

धी पर्सा नाथी शान महिदर, पंचमा
न्यायप्रदाप

साहित्यरत्न दरबारीलल—न्यायप्रदाप

प्रकाशक—

साहित्यरत्नकार्यालय
जुविलीवाग, तारदेव—वर्वई

ज्येष्ठ वि० १९८६।

जून १९२९।

प्रथमावृत्ति]

[मूल्य एक रुपया ।

प्रकाशक—साहित्यरत्न दृवारीलाल न्यायतीर्थ, जुबिलीबाग,
तारदेव, बम्बई.

मुद्रक—वि. वा. परांजपे, नेटिव ओपिनीयन प्रेस, अमेवाडी,
गिरगांव बैंकरोड, बम्बई नं० ४.

प्रस्तावना ।

हिन्दी राष्ट्रभाषा है । राष्ट्रभाषाका साहित्य जैसा प्रौढ़ और विशाल होना चाहिए वैसा ज्ञानेके लिये दूस पन्द्रह वर्षसे कुछ अधिक उद्योग हो रहा है, लेकिन जिस दर्शनिक साहित्यके लिये भारत विरयात है वह, हिन्दीमें नहीं के बराबर है । विषयकी नीरसता, अधिक परिचय और कम विकानेसे, प्रकाशकों की अहाचि ही इसका कारण है, इसीसे हिन्दीसाहित्यसम्मेलनकी परीक्षाएँ भी सस्तत पुस्तकोंके आधारपर देना पड़ती हैं । सस्तत न जानेवाले, न्याय और दर्शनके अध्ययनसे विश्वित रहते हैं । जैन विद्यालयोंमें भी सस्ततानभिज्ञोंके लिये प्रवेशिकासे आगे कोई स्थान नहीं है । इसी नुस्खिकी किञ्चित् पूर्तिके लिये लेखकका यह क्षुद्र प्रयास है ।

गणित व्याकरण आदिके समान न्यायशास्त्र (Logic) में भी साम्प्रदायिकता नहीं होती, परन्तु भारतीय न्याय कुछ दर्शनिक (Philosophical) ढगका है इसलिये कहीं कहीं पर कुछ साम्प्रदायिक मतभेद पाया जाता है । शुद्ध याके विषयमें जो मतभेद है वह तो नाम भानका है । लेखकने विना किसी सठनमठनके इन मतभेदोंका उल्लेख दिया है और उन सबमें सम्बन्ध बननेसी देखा भी की है । इसलिये यह पुस्तक जैन न्यायके ढगपर लिखीजानेपर भी सर्वोपयोगी है । हाँ ! पिछले तीन अव्याय, जैन न्यायके ही जग हैं और चतुर्थ अव्याय गोतमीय न्यायका अग है । परन्तु भारतीय न्यायशास्त्रके विद्यर्थियोंको उनका ज्ञान भी अवश्य होता चाहिये । नय निषेप और जाति आदिके भेदभानोंको पढ़कर पाठक अवश्य ही कृच उठेंगे । लेखककी इच्छा इन विषयोंको घटाकर लिखनेकी नहीं धी, परन्तु यह सीधरह कि जब प्राचीन लेखर्णने इस विषयको घटाकर लिख दिया है तब प्रौढ़ विद्यर्थियोंको उसका जानना आवश्यक है, यह विषय जरा विस्तारसे लिखा गया है । अगर इस पुस्तकमें भारतीय न्यायका कुछ ऐतिहासिक विवेचन भी होता तो पुस्तककी उपयोगिता यह जाती । परिस्थितियोंने और पालवी साल निकालनेवाले तार्किंकोंकी दुदिने विस विषयको कहा लासरका है यह बात पालकोंमें पसन्द आती । जैसे - प्रमाणके स्वतस्त्व और परतस्त्वकी घर्चाँ । प्रभकारके प्रामाण्यसे प्रायमें प्रामाण्य आता है लेकिन जो लोग (मीमांसक) ऐको अस्तुक मानकर भी प्रमाण मानते थे उन्हें स्थान प्रामाण्यशाद मानना पढ़ा और उनके विरोधियोंको परत प्रामाण्यशाद । धीरे पर्ये स्वतस्त्व परतस्त्वका प्रभ सभी प्रमाणोंके बिटे लग गया । इसीप्रकार अन्य विषयोंमें भी विकास या परिवर्तन होता रहा है । कई बारणेसि लेखकने इस विषयमें प्राय मौनही रखा है ।

अनेक शाखोंका सहारा लेकर प्रत्येक विषयपर लेसकने बुद्धिके अनुसार चिन्तन किया है, उसके फलम्भूषण जो सामग्री उपलब्ध हुईं, वही इसमें रफ्ती गई है। पाठक देसेरों कि अनेक स्थलोंपर नवीन युक्तियों, और नवीन उदाहरणोंसे काम लिया गया है अनेक प्रभेदोंका अन्तर दिखलानेके लिये भी काफी विचार किया गया है।

फिर भी इसमें बहुतसी त्रुटियाँ और अगुद्धियाँ रहगई होंगी। उनके लिये समा-
मांगनेके उपाय और फ्या किया जा सकता है। लेतककी इच्छा थी कि यह पुस्तक
सभी सम्प्रदायके जैनियों और अन्य धन्युओंके लिये तमानरूपसे उपयोगी बने। प्रथल
भी उसने ऐसा ही किया है। सफलता का निर्णय पाठकोंके ऊपर छोड़ा जाता है।

दरवारीलाल.

परिभाषिक शब्दसूची ।

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अकिञ्चित्कर	६८	अनुपलन्धिसमा	८६
अज्ञान निग्रह.	९२	अनुमान	२६
अतदाकार (अतङ्गाव) स्था.	११४	अनुमानवाधित	६८
अतिव्याप्ति	५	अनैकान्तिक	६७
अतिव्याप्ति	६	अन्योन्याभाव	१३१
अतीतकाल	६९	अन्योन्याश्रय	६५-६६
अत्यन्ताभाव	१३१	अन्वय	२६
अधिक निग्रह.	९३	अन्वय दृष्टान्ताभास	७१
अनध्यवसाय	६१	अपकर्षसमा	८०
अनवस्था	६५	अपसिद्धान्त निग्रह.	९३
अननुभाषण निग्रह.	९२	अपार्थक निग्रह.	९१
अनात्मभूत	५	अप्रतिभा निग्रह.	९२
अनित्यसमा	८६	अप्राप्तिसमा	८१
अनुत्पत्तिसमा	८२	अप्राप्तकाल निग्रह.	९१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अभावप्रमाण	५७	आश्रयासिद्ध	६३
आभिधा	७६	इतरेतराश्रय	६५
अर्थनय	१००	इष्ट	२७
अर्थान्तर निष्ठ	९०	ईहा	२१
अर्थापत्ति	५६	उत्कर्षसमा	७९
अर्थापत्तिसमा	८४	उत्तरचर	३६
अलक्ष्य	४	उत्तरचरानुपलब्धि	४०
अवग्रह	२१	उत्पाद	१०६
अवर्ण्यसमा	८०	उदाहरण	४९
अवधिज्ञान	२१	उपचरित नय	११०
अवाय (अपाय)	२१	उपचारछल	७६
अविनाभावसम्बन्ध	२६	उपनय	५०
अविज्ञातार्थ	९१	उपपत्तिसमा	८५
अविशेषसमा	८५	उपलब्धिसमा	८५
अव्याप्त	५	ऋजुसूननय	१००
अव्याप्ति	५	एकत्वप्रत्यभिज्ञान	२५
असद्गूत नय	१०९	एवमूतनय	१०३
असम्भव	७	ऐतिह्यप्रमाण	५७
असम्भवि	५	कारणोपलब्धि	३४
असिद्ध हेत्वामास	६२	कारणानुपलब्धि	४०
अहेतुसमा	८१	कार्यसमा	८७
आगम (शास्त्र)	५१	कार्यानुपलब्धि	४०
आगमद्रव्यनिक्षेप	११७	कार्योपलब्धि	३४
आगमाभास	७२	काल	१२८
आगमभावनिक्षेप	१२०	कालातीत	६९
आगमचाधित	६८	कालात्ययापदिष्ट	६९
आत्ममूत्तलक्षण	४	केवलावयी	४४
आत्म	५२	केवलज्ञान	२१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
क्षेत्र	१२७	निग्रहस्थान	८८
चक्रक	६५	नित्यसमा	८७
च्यावित शरीर	११८	निरनुयोजयानुयोग	९२
च्युत शरीर	११८	निरर्थक	९०
छल	७४	निश्चयनय	९६
जल्प	७४	निश्चयातिष्ठ	६२
जाति	७७	निश्चितवृत्ति अनै. हे.	६७
ज्ञायकशरीर नो. द्र. नि.	११८	नोआगम द्रव्यनिक्षेप	११७
तदाकार (तद्वाव) स्था.	११४	नोआगम भावनिक्षेप	१२०
तद्वच्चतिरिक्त	११८	नैगम नय	९७
तर्क	२६	न्याय	२
तर्कभास	६२	न्यून निग्रह	९३
त्यक्तशरीर	११८	पक्ष	३१
दृष्टान्त	७०	पक्षभास	६२
दृष्टान्ताभास	७०	परतरत्व	१४
देशप्रत्यक्ष	२१	परार्थानुमान	४८
द्रव्य	१२७	परस्पराश्रय	६५
द्रव्यनिक्षेप	११६	परोक्षाभास	६३
द्रव्यनय	९६	पर्यनुयोज्योपेक्षण	९२
द्रव्यार्थिकनय	९७-१०५	पर्यायार्थिकनय	९७
धारणा	२२	पर्युदास	३९
धारावाहिकज्ञान	११	पारमार्थिक प्रत्यक्ष	२०
ध्रौव्य	१०६	पुनरुक्त	९१
नय	९३	पूर्वचर हेतु	४४
नयाभास	९४	पूर्वचरानुपलब्धि हेतु	४०
नामनिक्षेप	११२	पूर्वचरोपलब्धि हेतु	३५
निक्षेप	११२	प्रकरणसम	७०
निगमन	५०	प्रकरणसमा	८३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
प्रतिज्ञा	५०	योगज प्रत्यक्ष	२१
प्रतिज्ञान्तर	८९	लक्षण	२
प्रतिज्ञाविरोध	९०	लक्षणा	७६
प्रतिज्ञासन्यास	९०	लक्षणाभास	५४
प्रतिज्ञाहानि	८९	लक्ष्य	४
प्रतिष्टान्तसमा	८२	लोकबाधित	६९
प्रत्यक्षप्रभाण	१६	वर्ण्यसमा	८०
प्रत्यक्षाभास	६१	वाद	७४
प्रत्यक्षबाधित	६८	वाकछल	७४
प्रत्यभिज्ञान	२४	विकल्पसमा	८०
प्रत्यभिज्ञानाभास	६२	विक्षेप	९२
प्रध्वसाभाव	१२१	विजिर्गाषुकथा	१०४
प्रमाण	८	वितण्डा	७४
प्रमाता	१३	विपक्ष	३१
प्रमाणाभास	६०	विपर्यय	६०
प्रमिति (प्रमा)	१२	विरुद्धकारणानुपलब्धि	४१
प्रमेय	१२	विरुद्धकारणोपलब्धि	३७
प्रसङ्गस्तमा	८२	विरुद्धकार्यानुपलब्धि	४१
प्रसञ्ज	३९	विरुद्धकार्योपलब्धि	३६
प्रागभाव	१३१	विरुद्धपूर्वचरोपलब्धि	३७
प्राप्तिसमा	८१	विरुद्धोत्तरचरोपलब्धि	३७
बाधितविषय	६८	विरुद्धव्याप्योपलब्धि	३६
भागसिद्ध	६४	विरुद्धसहचरोपलब्धि	३७
भाव	१२८	विरुद्धस्वभावानुपलब्धि	४१
भावनय	९६	विरुद्ध हेत्वाभास	६८
भावनिक्षेप	३२०	विशेषणासिद्ध	६३
भावि नो द्र निक्षेप	११८	विशेष्यविशेषणासिद्ध	६३
मतानुज्ञा	९२	विशेष्यासिद्ध	६३
मन्यपर्यय	२१	वीतरागकथा	७३

पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
७८	सत्तमंगी	१२२
१२३	सन्व्यभिचार	६७
२५	सहचरानुपलब्धि	४१
७७	साट्टद्यप्रत्यभिज्ञान	२५
२२	साधन	२१
१२४	साधर्म्यसमा	७८
२६	साध्य	२६
७१	साध्यसम	६२
६३	साध्यसमा	८१
६७	सामान्यछल	७५
१०६	सामान्यतोहृष्ट	४४
६४	सिद्धसाधन	६८
६४	संकर	१२४
९६-९९	संभव प्रमाण	५७
३४	संशय	६०
३९	संशयसमा	८३
२६	संसर्गभाव	१३१
३४	सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष	१७
३३	स्थापनानिशेष	११३
१००	स्मरणाभास	६१
५१	स्मृति	२४
७२	स्वचतुष्टय	१२७
४४	स्वतस्त्व	१४
६७	स्वरूपासिद्ध	६२
२१	स्ववचन वाधित	६९
१०२	स्वार्थानुमान	४८
९९	हेतु	४९-३२
६९	हेत्वन्तर	९०
१०९	हेत्वाभास	६२

विनयश्रिय-

प्रथम अध्याय ।

• 3 •

कथाय ।

न्यायशास्त्र, वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम पदार्थोंकी ठीक ठीक परीक्षा अथवा निर्णय करते हैं। जिसतरह भाषाको परिष्कृत करनेकेलिये व्याकरण शास्त्रकी आपश्यकता है, उसीतरह बुद्धिको परिष्कृत करनेकेलिये न्यायशास्त्रकी आपश्यकता है। यद्यपि सैकड़ों मनुष्य ऐसे हैं जो नियमानुसार व्याकरण शास्त्रका अध्ययन तो नहीं करते किन्तु शुद्ध बोललेते हैं, इसी तरह हजारों आदमी ऐसे भी हैं जो न्यायशास्त्रके अध्ययनके पिना बुद्धिका उचित उपयोग करते हैं। इससे मालूम होता है कि मनुष्यके भीतर बोलने और चिचारनेकी खाभाविक शक्ति है। समाजके सर्वसे अभ्यासमरा वह इनका उचित उपयोग करने लगता है, फिर भी शास्त्रोंके द्वारा सत्स्कार करनेकी आपश्यकता रहती ही है। हीरा तो खदानसे निकाला जाता है लेकिन उसे चमकदार बनानेकेलिये सत्स्कारकी आपश्यकता निश्चित है। न्यायशास्त्र, बुद्धिको सख्त करके अर्थसिद्धिके योग्य बना देता है।

अर्धसिद्धि के तीन भेद यह हैं—(१) किसी नयी वस्तुका निर्माण करना (२) इच्छित वस्तुका प्राप्त करना (३)

वस्तुका जानना । इनमें न्यायशास्त्रसे तीसरी अर्थसिद्धिका ही साक्षात्सम्बन्ध है । यद्यपि जबतक तीसरी अर्थसिद्धि न होगी तब तक प्रारम्भकी दोनों सिद्धियाँ नहीं हो सकतीं, इसलिये तीनों सिद्धियोंके साथ न्यायशास्त्रका सम्बन्ध मानना अनुचित नहीं कहा जा सकता; फिर भी तीसरी अर्थसिद्धिही मुख्य है इसलिये इस प्रकरणमें इसीसे तात्पर्य है ।

वह अर्थसिद्धि, लक्षण और प्रमाणसे होती है । प्रमाणका एक अंश नय है इसलिये प्रमाण और नयसे भी अर्थसिद्धि मानी जाती है, अगर इसका जरा विस्तारसे विवेचन करना हो तो लक्षण, प्रमाण, नय और निष्केपसे अर्थसिद्धि मानी जाती है । अगर और भी स्पष्ट विवेचन करना हो तो सप्तभंगी न्यायका भी पृथक् विवेचन किया जाता है । इस तरह न्यायशास्त्रका स्वरूप बहुत विस्तृत है । किन्तु यह सारा विवेचन प्रमाणकाही विस्तार है, इसलिये 'प्रमाणके द्वारा अर्थकी परीक्षा करना न्याय' कहा जाता है । इस पुस्तकमें लक्षण, प्रमाण, नय, निष्केप और सप्तभंगी द्वारा न्यायका विवेचन किया जायगा ।

लक्षण ।

जिस चिह्नके द्वारा किसी वस्तुकी ठीकठीक पहचान की जाती है, उसे 'लक्षण' कहते हैं । जैसे—उण्ठाताके द्वारा

१ सिद्धिरसतः प्रादुर्भावोऽभिलपितप्राप्तिर्भावज्ञस्तिश्वोच्यते, इति प्रमेयकमलमार्तिष्ठे ।

२ "लक्षणप्रमाणाभ्यामर्थसिद्धिः" इति न्यायदर्शने ।

३ "प्रमाणनयैरधिगमः" इति तत्वार्थसूत्रे ।

४ प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः ।

५ व्यातिकीर्णवस्तुव्यावृच्छेतुलक्षणम् । परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्वं लक्ष्यते तलक्षणम् ।

अग्निर्की, चेतयके द्वारा जीवकी, रूपादिके द्वारा पुद्गलकी पहिचानकी जाती है । इसलिये उष्णता अग्निर्का, चेतन्य जीवका, रूपादि पुद्गलका लक्षण है । लक्षणका उपयोग हमें जीवनमें प्रतिक्षण करना पड़ता है । क्योंकि जबतक हम काममें लाने लायक वस्तुओं अलग न पहिचानेंगे तबतक उसको काममें कैसे लासकेंगे ? सैकड़ों मनुष्योंमेंसे हम अपने भाईको अलग पहिचानलेते हैं इसका कारण यह है कि हमें उसका लक्षण मालूम है । हा ! बहुतसे लक्षण ऐसे होते हैं कि जिनका जानना तो मरल है परन्तु कहना, असभव नहीं तो अतिकठिन जखर है । जैसे—आगर हम दस हजार आदमियोंको जानते हैं तो उनको लक्षणों द्वारा अलग अलग पहिचानना कठिन नहीं है । कितु शब्दों द्वारा उनके लक्षणोंको अलग अलग कहना कठिन अवश्य है । खैर ! हम कहसकें या न कहसकें, किन्तु प्रत्येक वस्तुके व्यवहारमें लक्षणका उपयोग करना ही पड़ता है ।

जिस चिह्नके द्वारा हम किसी वस्तुको पहिचानते हैं वह चिह्न असाधारण अवश्य होना चाहिये । क्योंकि साधारण चिन्होंसे हम किसी वस्तुकी विशेषता नहीं जान सकते । आगर हमसे कोई पूछे, कि मनुष्य किसे कहते हैं और हम उत्तर देंदें कि ‘जिसके कान हों’ तो यह लक्षण ठीक न होगा, क्योंकि कान तो पशुओंके भी पाये जाते हैं, इसलिये कानके अस्तित्वसे हम मनुष्यकी ठीक ठीक पहिचान नहीं कर सकते । हा । अगर मनुष्यको पहिचाननेके लिये ऐसे चिन्ह बताये जायं जो किसी दूसरे प्राणी आदिमें न पाये जाते हों तो उससे मनुष्यकी पहिचान होसकेगी ।

इस विनेचनसे यद्यपि असाधारणचिन्ह लक्षण छहर गया,

तथापि सभी असाधारण चिन्होंको लक्षण न समझना चाहिये । क्योंकि असाधारण चिन्हसे दूसरी वस्तु (अलक्ष्य) अलग कर सकते हैं, परन्तु जिसको हमें पहचान करना है उसे पूरे रूपमें नहीं पहचान सकते । जैसे—पशुका लक्षण सींग किया । यहाँ सींगमें असाधारणता तो जरूर है, क्योंकि पशुको छोड़कर अन्य किसी प्राणीके सींग नहीं होता, किन्तु इस चिन्हके द्वारा हम सब पशुओंको अलग नहीं कर सकते । घोड़ा गधा आदि अनेक पशु ऐसे हैं जिनके सींग नहीं होता; इसलिये पशुका लक्षण सींग, असाधारण चिन्ह होने पर भी ठीक लक्षण नहीं है । असाधारण चिन्ह ऐसा होना चाहिये जो पूरे लक्ष्यको जुदा कर सके, तभी वह सच्चा लक्षण कहा जासकेगा ।

नोट—‘लक्ष्य’ उसे कहते हैं जिसका लक्षण कहा जाय । जिस चीज को हम पहचानना चाहते हैं वही लक्ष्य है । जैसे—उष्णताके द्वारा हम अग्निको पहचानना चाहते हैं तो अग्नि लक्ष्य है और उष्णता लक्षण है । चैतन्यके द्वारा जीवको पहचानना चाहते हैं तो जीव लक्ष्य है, चैतन्य लक्षण है ।

लक्ष्यसे भिन्न पदार्थोंको ‘अलक्ष्य’ कहते हैं । जैसे—जीवका लक्षण करते समय, पृथ्वी, जल, अग्नि, काल, आकाश आदि सभी अलक्ष्य हैं ।

लक्षणभेद ।

लक्षण दो तरहके होते हैं । १ आत्मभूत २ अनात्मभूत । जिन लक्षणोंका अस्तित्व, लक्ष्यके स्वरूपसे अलग नहीं होता है—‘आत्मभूत’ लक्षण कहते हैं । जैसे—उष्णता—लक्षण,

अग्नि—लक्ष्य—में मिला हुआ है—अग्निसे उत्पन्ना अलग नहीं की जा सकती—इसलिये यह आत्मभूत लक्षण है । इसीतरह जीवका चैतन्य, आदि लक्षण भी आत्मभूत है ।

जो लक्षण, लक्ष्यके स्वरूपमें पृथर रहता है उसे 'अनात्मभूत' लक्षण कहते हैं । जैसे—किसी शाही झुलूसमें छम चामर आदिको देखकर हम राजाकी पहिचान करें तो छम चामर आदि राजाके लक्षण कहे जा सकेंगे, लेकिन उन चामरोंका अस्तित्व राजासे जुदा है, इसलिये हम उन्हें अनात्मभूत लक्षण कहते हैं । इसीतरह दण्डीका लक्षण दण्ड, धनीका लक्षण धन, आदि अनात्मभूत लक्षण समझना चाहिये ।

लक्षणाभास ।

जो चिह्न, लक्षणके स्वप्नमें प्रयुक्त तो किया जाय, किन्तु निर्दोष रीतिसे लक्ष्यकी पहिचान न करा सके, उसे 'लक्षणाभास' कहते हैं । जैसे—गायका लक्षण सींग किया, तो यह लक्षणाभास कहलाया । क्योंकि—सींग लक्षणमें गायकी पहिचान नहीं हो सकती । सींग तो भैंस आदि अस्य जानवरोंके भी होने हैं, इसलिये ये भी गाय कहलाने लगेंगे ।

लक्षणाभासके तीन भेद हैं (१) अव्यास (२) अनिव्यास (३) असम्भवि । जिसमें अव्यासि दोप हो उसे अव्यास, जिसमें अतिव्याप्ति दोप हो उसे अतिव्यास, और जिसमें असम्भव दोप हो उसे असम्भवि लक्षणाभास कहते हैं ।

लक्षण स्वप्नमें कहे गये धर्मका लक्ष्यके एक हिस्में रहना 'अव्यासि' दोप है । जैसे—पशुका लक्षण सींग किया तो यहाँ

अव्यासि दोष रहा । क्योंकि यहां पर पशु लक्ष्य है, इसलिये लक्षण (सींग) को सब पशुओंमें रहना चाहिये; लेकिन घोड़ा गधा आदि पशुओंमें सींग नहीं है इससे यहां अव्यासि दोष और इस दोषसे यह लक्षण अव्यास लक्षणाभास मानाजाता है । इसी-तरह जीवका लक्षण मतिज्ञान, मनुष्यका लक्षण वस्त्र आदि भी अव्यास लक्षणाभास हैं, क्योंकि सिद्ध (मुक्त) जीवोंमें मतिज्ञान नहीं होता । अनेक बच्चे, साधु, तथा असभ्य जातियाँ वस्त्र नहीं पहिनतीं, यद्यपि वे मनुष्य हैं ।

‘ लक्षणका, लक्ष्य और अलक्ष्य—दोनों—में रहना ‘अतिव्यासि’ दोष है । जैसे—लक्षणका लक्षण किया जाय ‘असाधारण धर्म’ यहां अतिव्यासि दोष होगा, क्योंकि बहुतसे असाधारण धर्म ऐसे हैं जो लक्षण नहीं, किन्तु अव्यास लक्षणाभास कहे जाते हैं । हम पहिले कठ चुके हैं कि बहुतसे असाधारण धर्म ऐसे हैं जो लक्ष्य के एकही हिस्सेमें रहते हैं । (लक्षणका लक्षण कहते समय लक्षणही लक्ष्य बन जाता है) लक्षणका लक्षण तो ऐसा होना चाहिये जो लक्षणमें ही रहे लक्षणाभासमें न रहे । जो लक्षणका लक्षण, लक्षणाभासमें भी चला जाता है वह अतिव्याप्त लक्षणाभास है । जैसे—पशुओंका लक्षण सींग किया, यहां सींग (सींगवालापन) पशुओंका असाधारण धर्म तो है लेकिन अव्यासि दोषवाला होनेसे लक्षण नहीं है; जो लक्षण नहीं है उसमें अगर लक्षणका लक्षण चला जाय तो अतिव्यासि दोष होगा । हां ! अगर “ अव्यासिदोषरहित (लक्ष्यव्यास) असाधारण धर्म ” लक्षणका लक्षण किया जाय तो कुछ दोष नहीं है ।

इसी तरह गायका लक्षण सींग, मनुष्यका लक्षण पचेन्द्रियत्व आदि भी अतिव्याप्ति लक्षणभासके उदाहरण समझना चाहिये ।

अन्यास लक्षणभास तो लक्ष्यके भीतर ही रहता है और अतिव्याप्त लक्षणभास भीतर और बाहर—दोनों जगह—रहता है ।

लक्षणरूपमें कहेगये धर्मका, लक्ष्यमें निलम्बुल न रहना ‘असम्भव’ दोप है । जैसे गधेका लक्षण सींग । सींग किसी भी गधेमें नहीं होता, इसलिये यहा असम्भव दोप है और यह दोपताता लक्षण, असम्भव लक्षणभास कहलाता है । इसीतरह जीवका लक्षण अचेतनत्व और पुद्धल (पृथ्वी आदि) का लक्षण चेतनत्व आदि भी असम्भव लक्षणभास हैं ।

कुछ लक्षणभास ऐसे भी होते हैं, जिनमें अन्याप्ति और अतिव्याप्ति—दोनों—ही दोप पाये जाते हैं । जैसे—मिद्दान उसे कहते हैं जो अप्रेजी अथवा सस्तृत जानता हो । परन्तु वहुतसे मिद्दान ऐसे हैं जो अप्रेजी और सस्तृत दोनों नहीं जानते किर भी वे मिद्दान हैं, इसलिये अन्याप्ति दोप है । तथा वहुतसे मूर्ख भी सगति आदिसे या मातृभावा होनेसे अप्रेजी या सस्तृत बोलने लगते हैं लेकिन वे मिद्दान नहीं होते, इसलिये यहा अनिव्याप्ति दोप भी है । प्राचीन प्रन्थ-फारोने ऐसे मिश्रलक्षणभासोंमा अलग उठेख नहीं किया है । क्योंकि लक्षणभासके द्वारा लक्षणके दोप ही कहे जाने हैं । हेत्वाभासमें भी एक जगह अनेक दोप होते हैं, परन्तु मिश्रहेत्वाभासोंमा ताम अलग नहीं रखताजाना, क्योंकि इसमें व्यर्थका विचार होता है । यही बात लक्षणभासके गियर्यमें भी समझना चाहिये । इसलिये लक्षणभासके तीन ही भेद किये गये हैं ।

द्वितीय अध्याय ।

॥२३॥

प्रमाण ।

जंसके द्वारा वस्तु, सचेष्टपर्में जानी जाय उसे 'प्रमाण' कहते हैं ।

वस्तुके जानने का काम आत्मामें रहनेवाले ज्ञान गुणका है, इसलिये प्रमाण शब्दसे ज्ञान ही कहा जाता है । इसीलिये किसी किसीने प्रमाण का लक्षण सम्यग्ज्ञान किया है । व्यवहारमें ज्ञानके अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी प्रमाण समझे जाते हैं । जैसे—“आपने रूपये लिये है इसकेलिये अमुक आदमी प्रमाण है अथवा आपका पत्र प्रमाण है” यहां आदमी या पत्रको प्रमाण कहनेका प्रयोजन यह है कि इनके द्वारा सत्य बात जानी जाती है । यद्यपि जाननेका कारण ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञानका निमित्त कारण आदमी या पत्र है इसलिये उपचारसे इन्हे भी प्रमाण कहसकते है । इसीलिये किसी किसीने इंद्रिय और अर्थका सञ्चिकर्ष, अथवा इन्द्रियोका व्यापार प्रमाण माना है । परन्तु इसे मुख्यप्रमाण न समझना चाहिये । क्योंकि ये तो मुख्यप्रमाणके कारण है, स्वयं मुख्यप्रमाण नहीं है । मुख्यप्रमाण वही है जो पदार्थके जाननेमें

१ प्रकर्षण=संशयादिव्यवच्छेदेन, मीयते=परिच्छिद्यते=ज्ञायते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम् ।

२ सम्यग्ज्ञानप्रमाणम् । न्यायदीपिका ।

३ मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते=मुख्यके भावमें कोई प्रयोजन या निमित्त मिलने पर उपचारकी प्रवृत्ति होती है ।

अनिम कारण हो । उपर्युक्त इन्द्रियादिक अतिन कारण नहीं हैं, क्योंकि इन्द्रियादिक जड़ हैं, इनका व्यापार होने पर भी लगर ज्ञान का व्यापार न हो तो हम पदार्थको नहीं जान सकते । जब इन्द्रिय-व्यापारके बाद ज्ञान पैदा होता है, तब वही अनिम कहलाया, इन्द्रियव्यापार नहीं, इसलिये इन्द्रियव्यापार आदि को गौण या उपचरित प्रमाण मानना चाहिये । वास्तविक प्रमाण सम्बन्धान ही है ।

प्रश्न—यदि पदार्थोंको जाननेमें प्रमाण कारण है, तो प्रमाणको जाननेमें कारण क्या है ?

उत्तर—प्रमाण, पदार्थोंको नी जानता है और अप्नेको भी जानता है । जिसप्रकार दोषक, पदार्थोंको प्रकाशित करने के साथही उपनेको भी प्रकाशित करता है, अर्थात् दोषकको देखने के लिये दूसरे दोषककी जरूरत नहीं पड़ती, उनीप्रकार प्रमाणको जानने केरिये दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिये प्रमाण, स्वपरिच्छेदक या स्वव्यवसायाभक बहा गया है ।

प्रश्न—क्या सभी तरह के ज्ञान स्वपरिच्छेदक या स्वव्यवसायात्मक हैं ? या निर्झ सम्बन्धान ही है ?

उत्तर—सभी तरह के ज्ञान स्वपरिच्छेदक होते हैं, और इस स्वपरिच्छेदकी दृष्टिसे कोई ज्ञान अप्रमाण या निष्पाहान नहीं होता । ज्ञानमें सधारन या सूठापन विषय के सधेपन या सूठेपन पर निर्भर है । जैसे—सामने रखीजा ज्ञान निष्पाहान है, क्योंकि

१ भावनेयानेश्वाया प्रमाणामासुनित्रव, वहिप्रमेयानेश्वाया प्रमाण तद्विभं च ते, इनि देवामने । ‘ज्ञानस्य प्रामाण्यादानान्ये जदि वहिर्या देवदेव न भवत्यादेश्वा । इनि रघीयभवद्विज्ञानम् ।

इसका विषय 'रस्सी' मिथ्या है । अगर हम इस ज्ञानके आधार पर रस्सी लेनेजावेगे तो हमें रस्सीके बदले सांप मिलेगा । यहां पर रस्सीका अस्तित्व तो मिथ्या है परन्तु ज्ञानका अस्तित्व मिथ्या नहीं है, इसलिये यह मिथ्याज्ञान होनेपर भी स्वपरिच्छेदक है और इसका यह स्वपरिच्छेद सच्चा है ।

प्रश्न—क्या मिथ्याज्ञानका स्वपरिच्छेद भी सच्चा कहा जा सकता है ? फिर वह मिथ्याज्ञान कैसे कहलाया ?

उत्तर—हम कह चुके हैं कि ज्ञान, विषयकी अपेक्षासे मिथ्या बनता है नकि स्वखपको जाननेकी अपेक्षासे । संशयज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि इससे पदार्थका ठीक ठीक पता नहीं लगता, लेकिन हमें जो संशयका अनुभव होता है वह तो प्रमाण है, क्योंकि संशयका अनुभव मिथ्या नहीं हो रहा है ।

प्रश्न—जानेहुए पदार्थको फिरसे जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है या नहीं ?

उत्तर—जानेहुए पदार्थको फिरसे जाननेमें कुछ न कुछ विशेषता या न्यूनाधिकता हो जाती है इसीलिये वह ज्ञान निर्थक नहीं कहलाता । फिरभी जब उसकी विशेषता हमारी नजरमें नहीं आती और न उस विशेषताका कुछ फूँल ही नजरमें आता है, तब वह ज्ञान निर्थक होनेसे प्रमाण नहीं माना जाता ।

१ विद्यार्थी जब एकही पाठको अनेकवार याद करते हैं तब उस ज्ञान की विशेषता भले ही न मालूम पड़े परन्तु उस विशेषताका फल धारणाकी प्रवलता तो मालूम पड़ती ही है ।

ऐसे ज्ञानको धारावाहिकज्ञान कहते हैं ।

प्रश्न—जब प्रमाणको आपने ज्ञानस्वरूप माना है तब ज्ञान और प्रमाणमें कुछ अन्तर है या नहीं ?

१ धारावाहिक ज्ञानको अप्रमाण माननेमें अनेक शकाएँ हैं । निरर्थक होनेसे यह अप्रमाण बताया जाता है, किन्तु यह निरर्थक नहीं है । पहिले समयका ज्ञान, पहिले समयके अज्ञानको दूर करता है और दूसरे समयका ज्ञान, दूसरे समयके अज्ञानको दूरकरता है, ऐसी हालतमें पहिले समयका ज्ञान प्रमाण माना जाय और दूसरे समयका प्रमाण न माना जाय यह ठीक नहीं जचता । जैनन्यायमें प्रमाणके साथ प्रमिति का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रमाण करण है । इसीप्रकार ज्ञानके साथ ज्ञानिका होनामी अनिवार्य है क्योंकि ज्ञान करण है । प्रमिति पैदा न हो तो प्रमाणकी सत्ता नहीं मानी जा सकती इसीप्रकार ज्ञानिपैदा न हो तो ज्ञानकी सत्ता नहीं मानी जा सकती । धारावाहिकज्ञानसे यदि ज्ञानिपैदा नहीं होती तो वह ज्ञानहीं नहीं कहला सकता । यदि ज्ञानिपैदा होती है तो ज्ञानहीं होती तो अज्ञाननिवृत्ति है किर धारावाहिकज्ञान निर्थक कैसे ? इसतरह धारावाहिक ज्ञानकी विषयविशेषता हमारी नजरमें न आनेपर भी वह अप्रमाण नहीं टटर सकता । हेमचन्द्रने इसे प्रमाण माना है । माणिक्यनन्दि और पीछेके जैन नेयायिकनि इसे अप्रमाण माना है । माणिक्यनन्दिका ‘स्वापूर्वीर्थव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाण’ यह सूत्र अङ्गकदेवकी निप्रतिसित कारिकाके आधारपर बना है । “व्यवसायात्मक ज्ञानगा मार्थगार्थ मते । पराणं निर्णयस्तेन मुरय प्राप्माण्य मभुते” माणिक्यनन्दिके सूत्रमें प्रमाणको अपूर्वीर्थगार्थी मानकर धारावाहिक ज्ञानका अप्रमाण माना है, लेकिन अङ्गक देवने प्रमाणके टक्षणमें अपूर्वीर्थगार्थी दिगेषण नहीं दिया है और न पतिरेवे किसी ऊनाचार्यने इसका उक्त दिया है । प्रियानन्दि तो निराते हैं—तत्त्वार्थव्यवसायात्मज्ञानं मानमिनीयता । लक्षणेन गतार्थं गठपूर्वमन्यतिगेषणम् । १११०।५७।

उत्तर—ज्ञान, सच्चा भी होता है और झूठा भी होता है । सच्चाज्ञान प्रमाण कहलाता है झूठज्ञान नहीं । इसलिये ज्ञान व्यापक (अधिक देशमें रहनेवाला) है और प्रमाण व्याप्त (अल्पदेशमें रहनेवाला) है । इन दोनोंमें व्याप्तव्यापकसम्बन्ध मानना चाहिये । इसीतरहका व्याप्तव्यापकसम्बन्ध ज्ञप्ति और प्रमितिमें, ज्ञेय और प्रमेयमें, ज्ञाता और प्रमातामें भी है । ज्ञप्ति ज्ञेय और ज्ञाता, सम्यक् और मिथ्या दोनों तरहके होते हैं इसलिये व्यापक है । प्रमिति प्रमेय और प्रमाता सच्चे ही होते हैं इसलिये व्याप्त हैं ।

यहां प्रमिति प्रमाता और प्रमेयका भी स्वरूप समझ लेना चाहिये । प्रमाणके द्वारा जो क्रिया (जानना) होती है उसे प्रैमिति अथवा प्रमा कहते हैं । प्रमाणके द्वारा जो पदार्थ जाना

गृहीतमगृहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्थाति, तत्र लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम् । ११०।७८। श्लो. चा । अर्थात् “ वास्तविक अर्थ जानने वाला ज्ञान प्रमाण है । प्रमाणके लक्षणमें अन्य विशेषण ढालने की जरूरत नहीं है । चाहे गृहीत हो या अगृहीत जो अपने अर्थको जानता है वह प्रमाण है । ” इन सब बातोंपर विद्वानोंको विचार करना चाहिये ।

१ प्रमिति, प्रमाणके द्वारा पैदा होती है, इसलिये प्रमाणका साक्षात्फल प्रमिति ही है । इसीको अज्ञाननिवृत्ति भी कहते हैं । इसकेबाद प्रमाणका फल, हानबुद्धि (त्याग=द्वेष) उपादानबुद्धि (ग्रहण=राग) उपेक्षाबुद्धि (राग और द्वेष दोनोंका न होना) भी माने जाते हैं (अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाश्च फलम्) । इन फलोंको देखनेसे मालूम होता है कि ये आत्मासे भिन्न नहीं हैं । इसलिये प्रमाणका फल अभिन्न माना जाता है । लेकिन यदि बिलकुल अभिन्नभाव मानलें तो प्रमाण और प्रमाणफलके जुदेजुदे नाम और जुदेजुदे लक्षण ही न बन सकेंगे, इसलिये इस अपेक्षासे भेद भी माना जाता है । (प्रमाणादभिन्नं भिन्नं च)

जाता है उसे प्रेमेय कहते हैं । प्रमाणका आधार अथवा कर्ता (जाननेवाला व्यक्ति) प्रमाता कहलाता है ।

प्रश्न—प्रमाणम् सचाई क्या है ? और वह अपने आप आती है या उसके लिये किसी अन्य कारणसे जखरत पड़ती है ?

उत्तर—प्रमाणके द्वारा जो चीज जिस तरह होती है वह उसी तरह जानी जाती है, यही प्रमाणकी सचाई (प्रामाण्य) है । इस सचाई के लिये कुछ विशेष गुणोंकी जखरत पड़ती है । जब प्रमाणमें ज्ञानसे कुछ विशेषता है तब ज्ञानके कारणोंसे प्रमाणके कारणोंमें भी कुछ विशेषता होगी । विशेषता सिर्फ प्रमाणमें ही नहीं है किन्तु अप्रमाणमें भी है । ज्ञान एक सामान्य चीज है । सम्पदज्ञान और मिथ्याज्ञान ये उसकी दो विशेष हालतें हैं, इन दोनों विशेष हालतोंके लिये विशेषकारणों की जखरत है । लकड़ी

१ जैन दर्शनमें प्रेमेय-प्रमाणका विषय—सामान्य विशेषात्मक माना गया है । (सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषय) वयाकि वस्तु भी सामान्यविशेषात्मक है । जैसे—प्रत्येक मनुष्य सास सास गुणों या आकार को रखता है, उसी तरह से उसमें कुछ ऐसी समानता भी है जिससे सभी मनुष्य एक मनुष्यजातिके भीतर शामिल होते हैं । जब हम किसी मनुष्यको देखेंगे तो उसकी सासियत और समानता दोनोंको विषय करेंगे । सासियतको छोड़कर समानता, या समानताको छोड़कर सासियतको विषय नहीं कर सकते । अगर हम किसी मनुष्यके एक एक धर्म के ऊपर विचार करना शुरू करदेंगे तो वह ज्ञान ‘नय’ कहलाने लगेगा (सकलादेशो प्रमाणाधीन विकलादेशो नयाधीन) नयका विवेचन आगे किया जायगा ।

२ प्रतिभातविषयात्यभिचारित्वम् प्रमाणस्य प्रामाण्य ।

से आप टेबुल बनाये तो विशेषकारणोंकी जखरत है और कुर्सी बनायें तो विशेषकारणोंकी जखरत है । इस्तरह जितनी अच्छी या बुरी चीजें बनाये उनमें विशेषकारणोंकी जखरत होगी । विशेष कारणोंकी अपेक्षा होनेसे ही प्रमाणकी उत्पत्ति परतः मानी जाती है । ज्ञान की सामान्य सामग्रीसे कुछ अधिक सामग्री का लगना प्रमाणका परतस्त्व है और अधिक सामग्री न लगकर सामान्य सामग्रीसे ही उत्पत्ति हो जाना स्वतस्त्व है । उपर्युक्त कारणोंसे जैन दार्शनिक विद्वान्, प्रमाण या अप्रमाणकी उत्पत्ति स्वतः नहीं मानते ।

प्रश्न—प्रमाण की ज्ञाप्ति कैसे होती है? अर्थात् यह कैसे मालूम होता है कि हमे जो ज्ञान हुआ है वह सच्चा है?

उत्तर—कई प्रमाण तो इतने स्पष्ट होते हैं कि उनकी प्रमाणता जानेनेके लिये हमे विशेष साधनोंकी जखरत नहीं होती । प्रमाणकी स्पष्टता आदि ही प्रमाणकी सचाई बतादेती है । जिन चीजोंका आप सदा उपयोग किया करते हैं उनकी सचाई आपहीसे (स्वयं) मालूम हो जाती है । जैसे आपके घरके पासमें नदी तालाब आदि हो और उसका हमेशा उपयोग किया जाता हो तो वहां आपको पानीके सङ्घावमें सन्देह न होगा जिससे कि किसी दूसरेसे पूछना पड़े या दूसरे चिह्नोंसे निश्चय करना पड़े । अथवा जिससमय आप मिठाई खारहे हों उससमय उसके मीठेपनके ज्ञान की सचाई जानेनेके लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान इतना विशद (स्पष्ट=साफ़) है कि अपनी सचाई अपने

आप बनला देता है । ऐसी हालतोंमें प्रामाण्यकी ज्ञानि स्वत मानी जाती है, क्योंकि उसकी सचाई जाननेके लिये विशेष कारणोंकी आवश्यकता नहीं होती । जहां विशेष कारणोंकी आवश्यकता होती है वहां प्रामाण्यकी ज्ञानि परत मानी जाती है । जैसे—किसी अपरिचित स्थानमें दूरसे पानी दिखनेपर यह सन्देह होसकता है कि वहां पानी है अथवा कौस झला हुआ है ? इतनेमें यदि उस तरफसे कोई पानीका घडा लेकर आता हो अथवा वहां रहनेवाले किसी आदमीसे पूछलिया जाय तो अपने ज्ञानकी सचाई मालूम हो जाती है । लेकिन इस सचाई की ज्ञानि दूसरेकी सहायतासे मालूम हुई है इसलिये यहापर प्रामाण्यकी ज्ञानि परत मानी जाती है । अगर सब जगह प्रामाण्यकी ज्ञानि परत मानी जाय तो उसका होना ही असम्भव हो जायगा । जैसे—उपर्युक्त दृष्टान्तमें हमें पानीके ज्ञानकी सचाई, पानीके घडेवाले किसी आदमीको देखकर हुई थी, अब यदि उस आदमीके ज्ञानकी सचाईके लिये तीसरे ज्ञानकी आवश्यकता मानी जाय तो तीसरे ज्ञानकी सचाईके लिये चार्ये ज्ञानकी सचाई मानना पड़ेगा । इस तरह चौथेके लिये पाचवें की, पाचवें आदिके लिये छठे आदि की आवश्यकता होगी, अन्तमें किसी न किसी ज्ञानकी सचाई स्वत स्वीकार करना पड़ेगी, अन्यथा अनवस्था दोष होनेसे हमें पानीका भी ज्ञान न हो सकेगा । इससे

१ ज्ञानि अभ्यस्ते विषये स्वत अनभ्यस्ते तु परत । परचितस्वग्रामत-
दाकजलादिरभ्यस्त , तद्यतिरिज्जोऽनभ्यस्त ।

२ अप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यभागोऽनवस्था । जहापर अप्रामाणिक अनन्तपदार्थोंकी कल्पना करना पढ़े वहा अनवस्था दोष देता है । जैसे उपर्युक्त उदाहरणमें तीसरे चौथे पाचवें आदि ज्ञानोंकी

इस वातकाभी निश्चय हो जाता है कि जहांपर परतः इन्पिति मानी जाती है वहांपर पहिले प्रमाणके प्रामाण्यकी इन्पिति परतः है, लेकिन जिन प्रमाणोंसे हम पहिले प्रमाणके प्रामाण्यका निश्चय करते हैं उनको परतः होनेकी जखरत नहीं है, अन्यथा उपर्युक्त रीतिसे अनवस्था होजावेगी ।

इस विवेचनसे मालूम होजाताहै कि वास्तविक प्रमाण स्वपर प्रकाशक, अज्ञानको नष्ट करनेमें साक्षात् या आंतिम कारण, उत्पत्तिमें परतः और इसिमें कहीं स्वतः कहीं परतः है ।

प्रमाणके भेद ।

यों तो प्रमाणके अनेक भेद माने जाते हैं । कोई एक, कोई दो, कोई तीन, चार, पांच, छः, सात अथवा आठ तक मानते हैं । किन्तु मूल भेद दो है—प्रत्यक्ष और परोक्ष ।

जिस प्रमाणके द्वारा पदार्थका निर्मल (स्पष्ट) ग्रतिभास होता है उसे 'प्रत्यक्ष प्रमाण' कहते हैं । जैसे—आखोके द्वारा किसी आदर्मीको देखकरके जैसा स्पष्ट ज्ञान होता है, वैसा किसीके कहनेसे या चित्र वगैरहके द्वारा नहीं होता । किसीके कहनेसे हम यह तो जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा गाता

कल्पना करना पड़ी है । इन ज्ञानों का अस्तित्व नहीं है इसलिये ये अप्रामाणिक हैं । अगर ऐसी कल्पना करते ही जावें तो विश्राम भी न मिलेगा, इसलिये यहां अनवस्था दोष है । हां ! विश्राम न मिलने पर भी अगर प्रामाणिक कल्पना हो तो यह दोष नहीं होता । जैसे अमुक आदर्मी अपने मावापसे पैदा हुआ है और वे मावाप और पहिलेके मावापसे, इसतरह मावापकी कल्पनामें विश्राम नहीं मिलेगा, फिर भी मावापकी कल्पना ज्ञानी नहीं है इसलिये यहां अनवस्था दोष नहीं माना जाता है ।

है, लेकिन उसके गायनका ठीक ठीक ज्ञान हमें तभी होगा जब हम उसके गायनका श्रावणप्रत्यक्ष करलेंगे अर्थात् कानोंसे सुनलेंगे । इसतरह हर एक इन्द्रियसे, मनसे, और केवल आत्मासे प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्षकी दूसरी पहचान यह भी है कि इसे किसी दूसरे ज्ञानके सहारे की जरूरत नहीं रहती, जिसप्रकार कि परोक्षको रहती हैं । जैसे—धुआँको देखकर आपने अग्निका ज्ञान किया, यहाँ धुआँका तो प्रत्यक्ष है और अग्निका अनुमान (परोक्ष) है, क्योंकि धुआँके जाननेके लिये हमें पहिले किसी अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु अग्निका अनुमान, धुआँके जाने मिना नहीं हो सकता । बीचमें किसी ज्ञानके आजानेसे निश्चिन्ता नष्ट हो जाती है इसअिये ऐसे ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कहते ।

प्रत्यक्षके दो भेद हैं । साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, और पारमार्थिक प्रत्यक्ष । जो प्रमाण, वास्तवमें प्रत्यक्ष (स्पष्ट) तो नहीं है किन्तु अन्य ज्ञानों की अपेक्षा, कुछ स्पष्ट होनेसे लोकव्याप्त-हारमें प्रत्यक्ष माना जाता है, उसे ' साम्यवहारिक प्रत्यक्ष ' कहते हैं । साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, वास्तवमें परोक्ष ही है । ऊपर जो इन्द्रियप्रत्यक्षके उदाहरण दिये हैं, वे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं । क्योंकि इन्द्रियोंके द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, वह अनुमानादिज्ञानों की अपेक्षा निर्मित जरूर है, परतु पूरी निर्मिलता उसमें भी नहीं पायी जाती, इसीलिये उसे पारमार्थिकप्रत्यक्ष नहीं कह सकते । उदाहरणार्थ—स्पर्शन इन्द्रियको ढीजिये ! इस इन्द्रियके द्वारा शीत उष्ण आदि स्पर्शोंका ज्ञान किया जाता है किन्तु इसके द्वारा पदार्थोंकी ठीक ठीक शीतउत्ता या उष्णताको जानना असम्भव है । जो पदार्थ या वायुमण्डल, यन्त्रों (चर्मार्माटर) के

द्वारा असी या नवे डिग्री गरम माना जाता है, वह हमें ठंडा मालूम होता है और जो पदार्थ, सौ डिग्री गरम रहता है वह हमें सिर्फ दो या डेढ़ डिग्री गर्म मालूम होता है । जिस ज्ञानमें इतनी गड़बड़ी है उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं ? इस गड़बड़ीका स्पष्ट कारण यह है कि हमारे शरीरमें ९८ या ९८॥ डिग्री गर्मी सदा रहती है इसलिये हमारी स्पर्शनेन्द्रियरूप तराजूमें इतनी डिग्रियों का पासंग सदा रहता है; जोकि हमें स्पर्शका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने देता । यही हालत रसना इन्द्रियकी है । जो चीज एक व्यक्तिके लिये अन्त्यन्त तीखी मालूम होती है वही दूसरेके लिये कम तीखी मालूम होती है । अगर सभी मनुष्य और पशुपक्षियोंके अनुभवोंपर विचार किया जाय तो सबमें कुछ न कुछ विशेषता होगी । उनमेंसे कौनसा अनुभव निर्मल है यह बात कौन बतला सकता है ? हाँ ! विचारने पर इतना अवश्य मालूम होता है कि उनमेंसे कोई भी अनुभव पूर्ण निर्मल नहीं है, क्योंकि रसनेन्द्रियके परमाणुओंका प्रभाव सभीको विकृत कर देता है । यही कारण है कि मनुष्यको एक ही वस्तुका स्वाद, सदा एकसा नहीं मालूम होता । नीरोग अवस्थामें जो स्वाद मालूम होता है वही पित्तज्वरकी हालतमें नहीं मालूम होता; हर्ष खानेके बाद पानीका स्वाद अधिक मीठा मालूम होने लगता है । यदि यह कहा जाय कि यह तो हर्षके परमाणुओंका प्रभाव है तो यह भी कहा जा सकता है—और यह कहना बिलकुल ठीक है—कि जिन परमाणुओंसे रसनेन्द्रियकी रचना होई है उनके रसका प्रभाव भी पड़ता है । रसनेन्द्रियके परमाणु नीरस नहीं हो सकते, इसलिये उनके द्वारा किसी वस्तुके शुद्ध स्वादका पता नहीं लग सकता । जो बात रसनेन्द्रियके विषयमें

कही गई है वही बात ग्राणेन्द्रियके विषयमें भी कही जा सकती है । क्योंकि उसकी रचना भी जिन परमाणुओंसे छुई है उनमें गन्ध अवश्य है जिसका प्रभाव भी अवश्य पड़ता है । यही कारण है कि किसी मनुष्यको कोई पदार्थ सुगन्धित मालूम होता है और वही, किसी दूसरे को दुर्गंधित मालूम होता है । तात्पर्य यह है कि गन्धके विषयमें भी पृथक् पृथक् व्यक्तियोंके अनुभव पृथक् पृथक् होते हैं और उनमें से कोई भी अनुभव पूर्ण निर्मल नहीं कहा जा सकता । चक्षु-रिन्द्रियके अनुभवोंकी गलित्याँ तो बिलकुल स्पष्ट हैं । जिस सूर्य चंद्रको हम थालीके बराबर और पट्टाडकी चोटीके कुछ ऊपर देखते हैं वह बहुत बड़ा तथा बहुत दूर है । हमारे देखनेमें निकटता और दूरीका प्रभाव अवश्य पड़ता है । पदार्थ जितना पास हो, उतना ही बड़ा दिखता है । ऐकिन आखसे लगा लेने पर उसका दिखना ही बन्द हो जाता है, अगर आखसे लगालेने पर भी कदाचित् पदार्थका दिखना बन्द न होता तो हम उतनाही दूर्य देखपाते जितनी बड़ी हमारी आख है । ऐसा देखना एक तरहसे निरर्थक ही है । यह तो आकारकी बात छुई, अब रगकी बातपर विचार कीजिये । सूर्यके प्रकाशमें जो वस्तु जिस रगकी दिखती है, चन्द्र, चिंगली आदिके प्रकाशमें उसी रगकी नहीं दिखती । इससे मालूम होता है कि प्रकाशके प्रभावसे हमारा रूपदर्शन विष्ट अवश्य होजाता है । जब प्रकाशादिके बिना रूप जाना नहीं जा सकता तब नेप्रसे रूपका निर्मल प्रतिमास होना अमम्बव है ॥ इसी-तरह कर्णके द्वारा भी शम्बके घास्तविक स्वरूपका प्रतिमास नहीं हो सकता । उसपर भी निकटता, दूरीपन, तथा कर्णेन्द्रियकी ग्रहणशक्ति प्रभाव पड़ता है । मतलब यह कि जानना आत्माका क्या-

है । अगर आत्मा और अर्थ (विषय) का साक्षात्सम्बन्ध होकर ज्ञान हो तो ठीक ठीक हो सकता है । अगर वह प्रतिभास, इन्द्रियोंके द्वारा वाह्यपरिस्थितिसे प्रभावित होकर आत्मामें पहुँचेगा तो वह कभी निर्भल नहीं रह सकता । इसलिये इन्द्रियज्ञानको वास्तविक प्रत्यक्ष न कहकर सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना चाहिये ।

इन्द्रियादिकों की सहायताके बिना जो ज्ञान, केवल आत्मासे होता है उसे 'पारमार्थिक प्रत्यक्ष' कहते हैं । हम लोगोंको पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं है इसलिये इसका अनुभूत उदाहरण नहीं दिया जा सकता । हाँ ! इतना कहा जा सकता है कि प्रत्येक ज्ञान, स्वरूपसे प्रत्यक्ष है और यही स्वानुभव, पारमार्थिक प्रत्यक्षका उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि पदार्थोंको जाननेके लिये आत्माको इन्द्रियादिकोंकी सहायता लेना पड़ती है लेकिन अपने ज्ञानको जाननेके लिये इन्द्रियोंकी सहायता नहीं लेना पड़ती, जिससे स्वानुभव विकृत कहा जा सके । ज्ञानके प्रत्यक्ष परोक्ष भेद, परप्रकाशकता की दृष्टिसे किये जाते हैं । पर—प्रकाशकता की दृष्टिसे पारमार्थिक प्रत्यक्षका उल्लेख प्राचीन दार्शनिकोंने किया है । जैनियोंने इसके तीन भेद माने हैं अवैधि, मनः—

१ ज्ञानस्य वाह्यार्थपेक्षयैव वैशाद्यावैश्यै देवैः प्रणीते । स्वरूपापेक्षयासकलमपि ज्ञानं विशद्दमेव, स्वसंवेदने ज्ञानन्तराव्यवधानात् । इति लघी—यस्त्रयटीकायाम् ।

२ आचार्य उमास्वामीने 'आद्ये परोक्षम्', 'प्रत्यक्षमन्यत' सूत्रोंके द्वारा मति श्रुतको परोक्ष और अवधि मनःपर्यय केवल को प्रत्यक्ष कहा है । ये विभाग परप्रकाशकता की अपेक्षासे किये गये हैं ।

३ इन्द्रियादिकों की सहायता के बिना, द्रव्य क्षेत्र काल भावकी

पर्यय और केवल ज्ञान । दूसरे लोगोंने भी 'योगज प्रत्यक्ष' नामसे इसका उल्लेख किया है ।

साम्बुद्धारिक प्रत्यक्षके चार भेद हैं । अप्रह, ईहा, अपाय (अपाय) धारणा । इन्द्रियादिकोंके द्वारा जो सत्त्वसे पहिले पदार्थका ज्ञान होता है उसे अवग्रह कहते हैं, जैसे—दूरसे किसी उम्मीचीजका ज्ञान होना । अप्रहसे जाने हुए पदार्थमें विशेष आकाक्षाल्प ज्ञान ईहा है जैसे—वह उम्मा उम्मा पदार्थ मनुष्य होना चाहिये । सशयज्ञानसे ईहामें बहुत अन्तर है । ईहा होनेसे सशय नष्ट हो जाता है । सशयमें दोनों ओर झुकाव रहता है । जैसे—वह मनुष्य है या छूँठ । लेकिन ईहामें दोनों ओर को झुकाव नहीं रहता । मनुष्य होना चाहिये इस ज्ञानमें छूँठका पताही नहीं है । ईहासे जाने हुए पदार्थका पूर्ण निश्चय होजाना अवाय अर्थवा अपाय है ।

मर्यादापूर्वक, सभी पदार्थोंको स्पष्ट जाननेगारा ज्ञान, अविज्ञान है । इन्द्रियादिकी सहायताके बिना दूसरेके मनकी बातको स्पष्ट जानने वाला ज्ञान, मन पर्यय कहलाता है । सर्वदाशपर्यायोंको विषय करनेवाला ज्ञान, केवल ज्ञान कहलाता है । केवल ज्ञान सकलप्रत्यक्ष है और अपि मन पर्यय देशप्रत्यक्ष हैं । इसका वह मतलब नहीं है कि इनमें निर्मलता कम है । निर्मलता तो सत्त्वमें एकसी है परन्तु अपि मन पर्यय ज्ञान सब द्रव्या और सब पर्यायोंको नहीं जानते इसलिये देशप्रत्यक्ष कहलाते हैं ।

१ दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित तात्त्वार्थसूत्रमें 'अवाय' पाठ है और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अपाय । भट्टाक्तरक्तेवेन दोनों पाठोंको निर्दोष बतलाया है 'किमयमवाय उत्तापाय इत्युपमयथा न दोपोऽन्यतर यग्नेऽन्यतरस्य अर्थगृहीतत्वात्' अर्थात् अवाय और अपाय दोनोंही पाठ ठीक हैं क्योंकि इस ज्ञानमें एक कोटीका ज्ञाय (ग्रहण) जीर इसमें कोटीका ज्ञाय (त्याग) होता है ।

जैसे—वह मनुष्य ही है । अवायज्ञानका इतना दृढ़ होजाना, जिससे कालान्तर में (कुछ समय बाद) सृति होसके धारणा है । ये चारों ही ज्ञान पांच इन्द्रिय और मनसे होते हैं इसलिये सांब्यवहारिक प्रत्यक्षके $6 \times 8 = 24$ भेद माने जाते हैं ।

१ अवग्रहके दो भेद करनेसे चार भेद और बड़ जाते हैं । व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह ये अवग्रहके भेद हैं । व्यञ्जन शब्दका अर्थ है अव्यक्त अर्थात् अप्रगट । सोते समय हमें कोई पुकारता है और नींद न खुलनेसे हम ठीक ठीक सुन नहीं पाते, फिर भी कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर पड़ता है, इसतरहका अप्रगट ज्ञान व्यञ्जनावग्रह है । यह व्यञ्जनावग्रह, आंख और मनसे नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों ही अप्राप्यकारी हैं । आंख और मन दूरसे ही पदार्थको ग्रहण कर लेते हैं । न पदार्थ इनसे मिड़ता है न ये पदार्थसे मिड़ते हैं, इसलिये अप्राप्यकारी कहलाते हैं । कुछ दार्शनिकोंका मत है कि नेत्रोंसे किरणें निकलकर पदार्थपर पड़ती हैं और वर्तमानके वैज्ञानिकोंका मत है कि प्रत्येक पदार्थसे किरणें निकलती हैं और आंखपर पड़ती हैं, जैनदार्शनिक इसे वर्णादिविकार-परिणता छाया मानते हैं; इसतरह उनका मत कि सीतरह वैज्ञानिकोंसे मिलताजुलता ही है । उनका नेत्रको अप्राप्यकारी मानना भी उचित है क्योंकि आंखोंसे किरणें तो दिखती नहीं हैं, दिखता है स्थूल पदार्थ, जो कि नेत्रोंसे दूर ही है, इसतरह कुल चार इन्द्रियों ही प्राप्यकारी हुईं; इसलिये व्यञ्जनावग्रह भी चारतरह का हुआ और सांब्यवहारिक प्रत्यक्षके कुल 28 भेद हुए । सांब्यवहारिक प्रत्यक्षके द्वारा ग्रहण किया गया पदार्थ 12 तरहका होता है वहु, एक, वहुविध, एकविध, क्षिप्र, चिर (अक्षिप्र), अनिसृत, निसृत, उक्त, अनुक्त, धृव, अध्रुव । सांब्यवहारिक प्रत्यक्षके 28 भेदोंमेंसे प्रत्येक भेद 12 तरहके पदार्थोंको विषय कर सकता है इसलिये इसके $28 \times 12 = 336$ भेद हो जाते हैं ।

प्रश्न—आपने कहा था कि प्रत्यक्ष ज्ञानको दूसरे ज्ञानकी जखरत नहीं रहती, लेकिन यहा तो ईडाको अग्रप्रहकी, अवायको ईडाकी, धारणाको अवायकी सहायता आवश्यक है, इसलिये ईडादिकको परोक्ष क्यों न माना जाय ?

उत्तर—एकही प्रतिभास जब विशेषरूप धारण करता जाना है तब उसकी स्पष्टता नहीं मारी जाती, इसलिये वह प्रत्यक्षही कहलाता है । धुआँको देखकर जब अग्निका ज्ञान होता है तब ज्ञान पहिले विषयको छोड़कर दूसरे विषयपर पहुँच जाता है इसलिये वह परोक्ष कहलाता है, लेकिन ईडामें अग्रप्रहका विषय छूटता नहीं है बल्कि वह ईडाके अन्तर्गत हो जाता है । जैसे—दूरसे हमें किसी उम्बे पदार्थका ज्ञान हुआ (अग्रह) इसके बाद हम जरा निकट पहुँचे तो मालूम हुआ कि यह 'मनुष्य होना चाहिये' (ईडा) यहा यह नहीं कहा जासकता कि पहिले ज्ञानका उम्बापन दूसरे ज्ञानका विषय नहीं है । दूसरे ज्ञानमें उम्बापन और मनुष्यपन दोनों ही विषय होरहे हैं ।

इन ज्ञानोंमें उत्तरोत्तर विशेषता है इसलिये इन्हें धारावाहिक ज्ञानके समान निरर्थक नहीं कह सकते । इसी तरह आगे जो सूति आदिका जिकर किया जायगा वे भी धारावाहिक ज्ञान नहीं हैं क्यों कि उनमें भी अत्तर (विशेषता) हो जाता है ।

परोक्ष प्रमाणके पाच भेद हैं । सूति, प्रत्यभिमान, तर्क, अनुमान और आगम (शाब्द) ।

१ इसीलिये परीक्षामुस्सम लिखा है "प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेष-वक्तव्या वा प्रतिभासन वैश्यम्" (दूसरे ज्ञानका व्यवधान न पड़ना अथवा विशेष रूपसे प्रतिभास होना वैश्य-प्रत्यक्षता—है)

पहिले जानेहुए पदार्थका स्वाल आना स्मृति है । धारणा-ज्ञानने आत्ममें ऐसा संस्कार पैदा कर दियाथा जिससे किसी निमित्तके मिलनेपर स्मरण होगया । विना धारणाके स्मृति नहीं हो सकती। इसलिये इसमें दूसरे ज्ञानकी सहायता सिद्ध होती है, और इसीलिये यह परोक्ष है । प्रत्यक्षके द्वारा जब हम किसी मनुष्यको जानते हैं, तब हमें उसका जितना साफ़ ज्ञान होता है वैसा उसके परोक्षमें नहीं।

स्मृति और अनुभव के मिलनेसे जो जोड़स्वप्न ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जैसे—यह वही मनुष्य है जिसे कल देखाथा । यहांपर वर्तमानमें उस मनुष्यका प्रत्यक्ष हो रहा है और कलका स्मरण । इन दोनोंके मिलनेसे प्रत्यभिज्ञान एक तीसराही ज्ञान उत्पन्न हुआ है । कुछ लोग इसे प्रत्यक्षके भीतर शामिल करते हैं, परन्तु यह उसके अन्तर्गत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो सामने खड़े हुए मनुष्यको विषय करता है और प्रत्यभिज्ञान उस मनुष्यमें रहनेवाली एकताको । प्रत्यक्षमें यह ताकत नहीं है कि वह एकताको जान सके । जब उस मनुष्यमें रहनेवाली एकता साफ़ साफ़ नहीं मालूम होती वल्कि स्मृतिको मिलाकर विचार करनेसे मालूम होती है तब उसे अस्पष्ट ही कहना चाहिये और इसीलिये उसका ज्ञान परोक्षका एक स्वतन्त्र भेद है ।

कहा जासकता है कि प्रत्यभिज्ञान, जब स्मृति और प्रत्यक्षसे पैदा होता है तब वह दोनोंमें क्यों न बांट लिया जाय ? उसका पृथक् व्यक्तित्व क्यों माना जाय ? लेकिन पृथक् व्यक्तित्वका कारण विषयका पृथक् त्व ही है । अनुमान भी तो प्रत्यक्ष और तर्क (अविनाभावसम्बन्धका ज्ञान) को मिलाकर होता है, लेकिन इससे उसका पृथक् व्यक्तित्व नहीं छिन जाता । मातापितासे पैदा होनेवाली संता-

नका व्यक्तित्व, मातापितामें ही नहीं समाजाता किन्तु अलग रहता हे, इसीतरह प्रत्यभिज्ञानका व्यक्तित्व भी प्रत्यक्ष और स्मृतिसे अलग है ।

प्रत्यभिज्ञानके अनेक भेद हैं । एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादृश्य-प्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्यप्रत्यभिज्ञान, आदि । एकत्वप्रत्यभिज्ञान का उदाहारण हम ऊपर दे चुके हैं । इसके द्वारा एकता बतलायी जाती है । जहा दो पदार्थोंकी समता बतलायी जाती है उसे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जैसे—गाय, गधय (रोश) के समान है । मुख चन्द्रके समान है आदि । यहा पर एक चीज तो प्रत्यक्ष है और दूसरी परोक्ष, दोनोंकी समानता, प्रत्यभिज्ञानका नियम है । कोई कोई, सादृश्यप्रत्यभिज्ञानके स्थानमें 'उपमान' शब्दका प्रयोग करते हैं, योंतो इसमें विशेष हानि नहीं है, परन्तु उपमानके भीतर प्रत्यभिज्ञानके सभी भेदोंका समावेश नहीं होता, इसलिये उपमानको अलग प्रमाण मानने पर भी काम नहीं चलता । अगर उपमानके द्वारा सदृशता और विसदृशताका प्रहणकर लिया जाय तो भी एकत्व रहही जाता हे । जिसके द्वारा दो पदार्थों की विसदृशता जानी जाती है उसे वैसादृश्यप्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जैसे घोड़ा, हाथीमें विलक्षण है, गाय, भैंससे विलक्षण है आदि ॥ दो पदार्थोंकी तुलना भी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा की जाती है । जैसे— खाला आमसे छोटा है । इसमें आँगठा प्रत्यक्ष है और आम स्मृतिका विषय । यद्यपि दोनों ही चीजें आखोंमें साम्हने हैं परन्तु जिस समय हम तुलना करते हैं उस समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का विषय रह जाती है । तुलनात्मक ज्ञान आखोंसे नहीं, विचारनेसे होता है इसलिये यह परोक्ष है ॥ किसीको पहिचानना भी प्रत्यभिज्ञानका कार्य है क्योंकि इसमें उसके चिन्होंका (चाहे वे देखे हों)

या सुने हों किसी भी तरहसे क्यों न जाने गये हो) स्मरण होता है और विचार करनेकी भी आवश्यकता होती है ।

परोक्ष प्रमाणका तीसरा भेद तर्क है । व्याप्ति (अविनाभाव सम्बन्ध) के ज्ञान को तर्क कहते हैं और अन्वयव्यतिरेक को व्याप्ति कहते हैं । साधनके होनेपर साध्यका होना अन्वय है और साध्यके न होनेपर साधनका न होना व्यतिरेक है । धुआँको देखकर अग्निका ज्ञान किया जाता है इसलिये धुआँ साधन है और अग्नि साध्य है । इनदोनोंमें अन्वयव्यतिरेक पाया जाता है, क्योंकि जहाँ धुआँ होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है (अन्वय) जहाँ अग्नि नहीं होती, वहाँ धुआँ नहीं होता (व्यतिरेक) ।

तर्कको प्रत्यक्षमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो चीजोंके सम्बन्धका ज्ञान होता है । प्रत्यक्षसे हम दो चीजोंको सिर्फ देख सकते हैं, किन्तु उनके विषयमें कोई नियम नहीं बांध सकते । यह काम तर्कका है । प्रत्यक्ष, सृष्टि और प्रत्यभिज्ञानकी सहायतासे तर्क उत्पन्न होता है, इसीलिये यह उन तीनोंमें से किसी में भी शामिल नहीं हो सकता । इसे अनुमानके भीतर भी शामिल नहीं करना चाहिये । क्योंकि अनुमान तर्कका कार्य है । तर्कके द्वारा निश्चित कियेगये नियमके आधारपर इसकी (अनुमानकी) उत्पत्ति होती है ।

साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । जैसे धुआँको देखकर अग्निका ज्ञान करना । धुआँ साधन है अग्नि साध्य । जिस चीजको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे साध्य कहते हैं ऊपरके अनुमानमें हम अग्निको सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिये वह साध्य कहलायी । यद्यपि इतनेसे ही साध्यका परिचय मिल जाता है, फिरभी साध्यकी ठीक ठीक पहिचान करनेके लिये

साध्यमें तीन विशेषणोंका होना आवश्यक बतलाया गया है । वे विशेषण हैं इष्ट, अवाधित और असिद्ध । इष्टका अर्थ है हमारी इच्छाका विपय, अर्थात् जिसे हम सिद्ध करना चाहें । अवाधित अर्थात् जो दूसरे प्रमाणोंसे वाधित न हो, जैसे, अप्रिका ठड़ापन प्रत्यक्ष, प्रमाणसे वाधित है इसलिये यह साध्य नहीं कहला सकता । साध्यको असिद्ध होना भी आवश्यक है क्योंकि अगर वह सिद्ध हो—गा तो उसे सिद्ध करने की जरूरत ही न रहेगी । आखोंसे अभिको देखते हुए उसका अनुमान करना व्यर्थ है । इसलिये जिस चीज का हमें निश्चय नहीं है या निपरीत निश्चय है अथवा सन्देह है, उसे साध्य बनाना चाहिये ।

शका—‘ जहा जहा धुआँ होता है वहा वहा अग्नि होती है, इतना निश्चय तो तर्कसे ही कर लिया या फिर अनुमानसे सिद्ध करनेमें क्या विशेषता है ?

१ सन्दिग्धविपर्यस्ताव्युत्पन्नाना साध्यत्व यथा स्यादित्यसिद्धपदम् ।

२ अगर साध्यका इतना ही अर्थ लिया जाय कि जिसे हम सिद्ध करना चाहें वह साध्य, अर्थात् अवाधित और असिद्ध विशेषण न मिलाये जावें तो भी काम चल सकता है । और अवाधित तथा असिद्ध विशेषणों के बिना आनेवाले दोष, अकिञ्चित्कर हेत्वाभासमें शामिल किये जा सकते हैं । आकिञ्चित्कर हेत्वाभासके दो भेद हैं—सिद्धसाधन और वाधितविपय । जिसका साध्य सिद्ध हो उसे सिद्धसाधन कहते हैं और जिसका साध्य प्रमाणान्तरसे वाधित हो उसे वाधितविपय कहते हैं । अगर साध्यके लक्षणम् असिद्ध और अवाधित विशेषणोंपर विशेष जोर दिया जायगा तो अकिञ्चित्कर हेत्वाभास निरर्थक हो जायगा । हाँ ! अगर अकिञ्चित्कर भेदको ग्रोण करदिया जाय तो दोनों विशेषण साध्यके लक्षणमें अवश्य रखना पड़ेगे ।

उत्तर—तर्कसे हमें अग्नि और धुआँके नियमका ज्ञान हुआ था लेकिन उससे इस वातका पता नहीं लगा था कि पर्वतमें अग्नि है या नहीं ? पर्वतादिकमें अग्निको सिद्धकरना अनुमानका काम है । इसलिये तर्कके साध्यमें और अनुमानके साध्यमें अन्तर है । तर्कमें सिर्फ अग्नि साध्य है किन्तु अनुमानमें अग्निवाला पर्वत अर्थात् पर्वतमें अग्नि साध्य है । इसीको दूसरे शब्दोंमें यो कह सकते हैं कि तर्कमें तो सिर्फ धर्म साध्य है और अनुमानमें धर्मसहित धर्म साध्य है । यदि अनुमानका साध्य तर्कका साध्य बना दिया जावे तो बात बिलकुल विगड़ जावेगी । जहां धुआँ है वहां अग्नि है यह कहना तो ठीक है; लेकिन जहां धुआँ है वहां अग्निवाला पर्वत है यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इससे रसोईघर आदिसे भी धुआँ देखकर पर्वत मानना पड़ेगा किन्तु यह कल्पना अनुचित है । इससे मालूम होता है कि तर्क, अनुमानका कार्य नहीं कर सकता ।

अनुमानमें हमने धर्मीको अर्थात् साध्य (तर्कमें मानेगये साध्य) के आधारको भी साध्य माना है, इसलिये अनुमानके साध्यके दो भाग हो गये हैं धर्म और धर्मी । इनमें धर्मी सिद्ध होता है क्योंकि अगर धर्मी सिद्ध न होगा तो धर्मीकी सिद्धि किस जगह की जायगी ? जिसे पहाड़का भी पता नहीं है वह पहाड़में अग्नि कैसे सिद्ध करेगा ? हां धर्मीकी सिद्धि सर्वत्र प्रमाणसे ही नहीं होती, कहीं कहीं तो उसे प्रमाणसिद्ध माननेमें अनुमान व्यर्थ ही नहीं हो जाता, वल्कि असत्यका पोषक अथवा आपही

१ साध्य धर्मःकचित्तद्विशिष्टो वा धर्मी । व्याप्तौ तु साध्यं धर्म एव । अन्यथा तदधटनात् । परीक्षामुख ।

अपना विरोधी बन जाता है जैसे—खरविपाण (गधेका सींग) नहीं है क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है । यहापर पक्ष अयत्रा धर्मी खरविपाण है, साथ है उसका नास्तिल्य, साधन है अनुपलब्धि । यहा यदि खरविपाणको प्रमाणसे सिद्ध धर्मी मानले तो इससे खरविपाणका अस्तिल्य ही सिद्ध हो जायगा फिर इसी अनुमानके द्वारा खरविपाणका नास्तिल्य सिद्ध करना अपने ही अगके साथ अपना विरोध करना है । क्योंकि इसी अनुमानका एक अग खरविपाणका अस्तिल्य सिद्ध करता है और दूसरा अग नास्तिल्य । इसी तरह दूसरा अनुमान लीजिये “ परमाणु हैं क्योंकि घट आदि स्कन्धोंकी उपलब्धि होती है । इस अनुमानमें परमाणु पक्ष हैं और उनका अस्तिल्य साध्य, यदि यहा पर परमाणुको प्रमाणसिद्ध धर्मी मानले तो हेतु देनेके पहिले ही परमाणुओंका अस्तिल्य सिद्ध हो जायगा, इसलिये अनुमान निर्वर्यक मानना पड़ेगा । इसीतरह प्रत्येक वस्तुका अस्तिल्य या नास्तिल्य सिद्ध न हो सकेगा । इसलिये जिस धर्मीमें अस्तिल्य या नास्तिल्य साध्य हो उस धर्मीको प्रमाणसिद्ध नहीं कहते, किन्तु विकल्पमिद्द कहते हैं । विकल्पसिद्ध धर्मीमें अस्तिल्य और नास्तिल्यके सिराय और कोई धर्म साध्य नहीं हो सकता । एक तीसरे प्रकारका भी धर्मी माना जाता है, जिसे उभयसिद्ध धर्मी कहते हैं । जिस धर्मीका कुछ अशा प्रमाणसिद्ध होता है और कुछ अशा विकल्पसिद्ध होता है, उसे उभयसिद्ध धर्मी कहते हैं । जैसे—शब्द अनित्य है क्योंकि शृणि है । यहाँ कोई रास शब्द धर्मी (पक्ष) नहीं है किन्तु सभी शब्द (विकाल विशेषकरे) धर्मी हैं । उनमेंसे यर्तमान काठके

और निकटवर्ती शब्द तो प्रमाणसिद्ध हैं या और भी थोड़े बहुत शब्द स्मृत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध माने जा सकते हैं लेकिन वाकी शब्द, प्रमाणसिद्ध न होनेसे विकल्पसिद्ध माने जाते हैं । इस तरह एकहीं धर्मी विकल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध होनेसे उभयसिद्ध माना जाता है । विकल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध धर्मीमें सत्ता असत्ताको छोड़कर वाकी सब धर्म साध्य हो सकते हैं । उभयसिद्ध धर्मी और प्रमाणसिद्ध धर्मीमें साधारण दृष्टिसे एक अन्तर यह भी नजरमें आता है कि उभयसिद्ध धर्मी जात्यात्मक होता है । जैसे शब्द (शब्दमात्र) आदि, और प्रमाणसिद्ध धर्मी व्यक्त्यात्मक होता है । जैसे यह पर्वत (न कि सभी पर्वत) इत्यादि ।

१ प्रमाणोभयसिद्धे तु साध्यधर्मविशिष्टता ।

२ धर्मीके ये तीन भेद, प्राचीन परिपाटीके अनुसार लिखे गये हैं । जैन और बौद्ध तार्किकोंने इन भेदोंको माना है । परन्तु आजकल इन भेदोंका प्रयोग नहीं होता, इसलिये सभी धर्मी प्रमाणसिद्ध मानें जाते हैं । इसका कारण सिर्फ कथनशैलीका भेद है । नवीन परिपाटीके अनुसार केवल अस्तित्व और केवल नास्तित्व साध्य नहीं होता, किन्तु वह देशकालकी अपेक्षा रखता है । जैसे खरविषाणके नास्तित्वको सिद्ध करनेमें प्राचीन रीतिके अनुसार खरविषाण पक्ष है और नवीन रीतिके अनुसार 'खर' पक्ष है तथा 'विषाणका नास्तित्व' साध्य है । यहां 'खर' प्रमाणसिद्ध धर्मी कहलाया । बात यह है कि विकल्पसिद्ध धर्मीके वाचक दो शब्द होते हैं जैसे 'खरविषाण' में 'खर' और 'विषाण', दो शब्द हैं । इनमें एक पक्ष है दूसरा साध्य । जिस पक्षका वाचक एकहीं शब्द है वह विकल्पसिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि विना अर्थका असंयुक्त शब्द नहीं होता । असंयुक्त शब्दका अर्थ (वास्त्य) अगर विकल्प-सिद्ध धर्मी बनाया जाय तो समझना चाहिये कि वास्तविक धर्मी छिपा

साध्यके बाद साधनका नम्बर है । जिसके द्वारा साध्यकी सिद्ध की जाती है उसे साधन कहते हैं । साध्यकी सिद्धि उसीके द्वारा हो सकती है जिसका कि साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध हो अर्थात् अवयव्यतिरेक मिठ रहा हो, इसलिये दूसरे शब्दोंमें साधन उसे कहते हैं जिसका साध्यके साथ अविनाभाव (अन्यथा नुपपत्ति) हो । अग्निका धुआँके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, इसलिये धुआँ, अग्निका साधन है । यद्यपि इतनेसे ही साधनकी ठीक ठीक पहिचान हो जाती है किरणी अनेक दार्शनिकों ने दूसरे शब्दोंमें भी साधनका लक्षण बतलाया है । जैसे—जिसमें पक्षधर्मिता, सपक्षसत्त्व, विपक्षसे व्यावृत्ति हो उसे साधन कहते हैं । जहाँ साध्यके रहनेका सन्देह हो अथवा जहाँ हम साध्यको सिद्ध करना चाहें उसे पक्ष कहते हैं । जैसे—अग्निके अनुमानमें पर्वत । जहाँ साध्यके रहनेका निधय हो उसे सपक्ष कहते हैं । जैसे—उसी अनुमान में रसोईघर आदि । जहाँ साध्यके अभावका निधय हो उसे निपक्ष कहते हैं जैसे—तालार । हमारा धुआँ रूप हेतु, पक्ष (पर्वत) और सपक्ष (रसोईघर) में तो मौजूद है किन्तु विपक्ष (तालार) में मौजूद नहीं है इसलिये यह हेतु विपक्षव्यावृत्त कहलाया । इन तीन

हुआ है । जैसे ' घट नहीं है ' यहाँ पर ' घट ' धर्मी और ' नहीं है ' साध्य बनाया गया है परन्तु वास्तविक धर्मी है ' यह ' और ' घट नहीं है ' यह साध्य है । जब ' यहाँ ' ' वहाँ ' आदि धर्मी छिपे रहते हैं तब हमें प्रमाणसिद्ध धर्मी, विकल्पसिद्धसा मालूम होने लगता है । उमयसिद्ध धर्मीको ' प्रमाणसिद्ध धर्मीके अन्तर्गत करनेमें विशेष कठिनाई नहीं है, क्योंकि वहाँपर व्यक्ति (विशेष) जाति (सामाज्य) के भेदकी अपेक्षा न रखनेसे ही दोनों धर्मी एक हो जाते हैं ।

वातोंके सिवाय किसी दार्शनिक ने दो अन्य वातोंका होना भी आवश्यक माना है । वे अवधितविपयत्व और असत्प्रतिपक्षत्वका भी समावेश करते हैं । अग्नि शीतल है क्योंकि अग्निकी शीतलता प्रत्यक्षसे वाधित है । हेतुमे ऐसी वाधितविपयता न होना चाहिये । इसप्रकार हेतुको असत्प्रतिपक्ष भी होना चाहिये । अगर कोई कहे कि शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य नहीं है तो यह हेतु ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका प्रतिपक्षी हेतु मौजूद है—शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य नहीं है, इसलिये हेतु असत्प्रतिपक्ष भी न होना चाहिये । इसप्रकार तीन या पांच रूपवाला (त्रैरूप्य या पात्ररूप्य) हेतु माननेमें आपत्ति सिर्फ इतनी ही है कि अनेक हेतु, तीनरूप या पांचरूपके बिना भी साध्यकी सिद्धि करते हैं । क्योंकि सभी हेतु साध्यके साथ रहनेवाले नहीं होते । कोई सहभावी होते हैं कोई क्रमभावी । धुआँ अग्निके साथ रहता है इसलिये इसमे पक्षधर्मता है । लेकिन जो हेतु क्रमभावी हैं उनमे पक्षधर्मता कैसे रह सकती है ? जैसे—शकट नक्षत्रका उदय होगा क्योंकि कृत्तिकाका उदय है; यहां दोनो नक्षत्रोंका उदयकाल जुदा जुदा होनेसे पक्षधर्मता नहीं बन सकती; फिर भी अनुमान गलती नहीं है । इसलिये हेतुका अविनांभाव लक्षण ही ठीक है, वह छोटा होकर भी पूरा काम देता है । खैर ! विस्तार जितना चाहे किया जाय लेकिन सच्चा हेतु वही है जो निर्दोष रीतिसे साध्यकी सिद्धि करदेता हो ।

हेतुके भेद—हेतु दो तरहके होते हैं विधिरूप (उपलब्ध्यात्मक) और प्रतिपेधरूप (अनुपलब्ध्यात्मक) इनका लक्षण नामसे ही अगट है । पर्वतमे अग्निसिद्ध करनेवाला धुआँ हेतु, विधिरूप या उपलब्ध्यात्मक है । ‘वहां धुआँ नहीं है क्योंकि वहां अग्नि नहीं है’

यहा अग्निका प्रतिपेध या अनुपलब्धि हेतु है, इसलिये यह प्रतिपेधरूप हेतु कहलाया । विधिरूप हेतु दो तरह के होते हैं एक तो वे, जो किसी पदार्थ की विधि (सद्ग्राव) सिद्ध करते हैं दूसरे वे, जो किसी पदार्थका प्रतिपेध सिद्ध करते हैं । इसीतरह प्रतिपेधरूप हेतु नी दो तरह के होते हैं । इस तरह हेतुओंके चार भेद हुए । (१) विधिरूपविधिसाधक (२) विधिरूपप्रतिपेधसाधक (३) प्रतिपेधरूपप्रतिपेधसाधक (४) प्रतिपेधरूपविधिसाधक । इन चारोंको दूसरे शब्दोंमें यों कहसकते हैं—(१) अविरुद्धोपलब्धि (२) विरुद्धोपलब्धि (३) अविरुद्धानुपलब्धि (४) प्रिरुद्धानुपलब्धि । इन चारों ही भेदोंके क्रमसे ६—६—७—३ भेद हैं ।

विधिरूपविधिसाधक (अविरुद्धोपलब्धि)के छ भेद—व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्णचर, उत्तरचर, सहचर । जो हेतु, साध्यका व्याप्य (योडेमें रहनेवाला) हो उसे व्याप्यहेतु कहते हैं । जैसे—घडा (पक्ष) स्थूल—परिणामी है (साध्य) क्योंकि किसी मनुष्यके द्वारा बनाया गया है (हेतु) जो किसी मनुष्यके द्वारा बनाया जाता है वह स्थूलपरिणामी होता है जैसे कपडा, जो स्थूलपरिणामी नहीं होता वह किसी मनुष्यके द्वारा बनाया नहीं जाता । जैसे—आकाश, परमाणु आदि; यहापर ‘किसीके द्वारा बनायाजानारूप’ हेतु, स्थूलपरिणामरूप साध्यका व्याप्य है । क्योंकि बहुतसी चीजें ऐसी हैं जो स्थूल परिणमन तो करती हैं परन्तु किसी मनुष्यके द्वारा बनायी नहीं जाती, जैसे—इन्द्रधनुष आदि । इसलिये स्थूलपरिणमन व्यापक है और बनाया जाना व्याप्य, यह व्याप्य यहाँ उपलब्ध है और किसी चीजकी (स्थूलपरिणमनकी) विधि सिद्ध करता है इसलिये यह हेतु अविरुद्धव्याप्योपत्तिरूप कहलाया ।

शंका—जैसे आप अविरुद्धव्याप्योपलब्धिरूप भेद करते हैं उसीप्रकार अविरुद्धव्यापकोपलब्धि भेद क्यों नहीं करते ?

उत्तर—हेतुका यह नियम है कि उसकी उपलब्धि होनेपर साध्यकी उपलब्धि अवश्य होती है । इसीतरह व्याप्यका भी नियम है कि उसकी उपलब्धि होनेपर व्यापक की उपलब्धि अवश्य होती है । जहां व्याप्य, हेतु होता है वहां व्यापक साध्य बन जाता है, इसलिये व्याप्योपलब्धि को हेतु बना देनेसे साध्यकी सिद्धि होती है । लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि व्यापक की उपलब्धि होनेपर व्याप्य की उपलब्धि हो ही । ऐसी हालतमें यदि व्यापक की उपलब्धि, हेतु बनादीजाय तो व्याप्यकी उपलब्धि साध्य बनेगी, जो कि व्यापक के रहनेपर भी न रहेगी तब साध्यसिद्धि भी न हो सकेगी । (मनुष्यत्व व्यापक है ब्राह्मणत्व व्याप्य है. क्योंकि जो ब्राह्मण है वह मनुष्य तो अवश्य है; लेकिन जो मनुष्य है वह ब्राह्मण अवश्य है यह नहीं कहा जा सकता । इसीतरह सर्वत्रव्याप्य व्यापकका स्वरूप समझना चाहिये)

जो हेतु, साध्यका कार्य होकर उपलब्ध हो उसे अविरुद्ध कार्योपलब्धि हेतु कहते हैं । जैसे—पर्वतमें अग्नि है क्योंकि धुआँ है । यहां धुआँ (हेतु), अग्नि (साध्य) का कार्य होकर उपलब्ध है और अग्नि की विधि सिद्ध करता है ।

जो हेतु साध्यका कारण होकर उपलब्ध हो उसे अविरुद्ध कारणोपलब्धि रूप हेतु कहते हैं । जैसे—यहां छाया है क्योंकि छत्र है । छत्र (हेतु), छाया (साध्य) का कारण है और दोनों ही विधिरूप है इसलिये यह अविरुद्धकारणोपलब्धिरूप हेतु कहलाया ।

शक्ता—जैसे व्यापकके होनेपर व्याप्त्यके होनेका नियम नहीं है इसलिये आपने अविरद्व्यापकोपलभिंषि हेतु नहीं बताया, उसी तरह, कारणके होनेपर कार्यके होनेका नियम नहीं है इसलिये अविरद्व्यापकोपलभिंषिरूप हेतु भी न बताया है ।

उत्तर—ऐसा एक भी व्यापक नहीं है जिसके साथ किसी व्याप्त्यका होना सर्वत्र सर्वदा अनिवार्य हो इसलिये व्यापकके होनेपर व्याप्त्यके होनेकी व्याप्ति नहीं बन सकती । लेकिन ऐसे हजारों कारण हैं जिनपे होनेपर कार्यका होना सर्वत्र और सर्वदा अनिवार्य है इसलिये कारणके होनेपर कार्यके होनेकी व्याप्ति बन सकती है । ऊपरके उदाहरण में उत्र कारण है जिसके होनेपर छायारूप कार्य अवश्य होगा है । रात्रिये भी उत्रकी द्याया रहती है । यह बात दूसरी है कि यह अंपेरे में रिटीन होजानेसे अटग नहीं दिख पड़ती ।

भरणि नक्षत्रके बाद शृंखिका नक्षत्रका उदय होता है, और इसके बाद शक्ति नक्षत्रका । इसलिये जिस समय शृंखिका या उदय है उस समय दो अनुमान इसप्रकार किये जा सकते हैं (१) शक्तिका उदय होगा क्योंकि अभी शृंखिका या उदय है (२) भरणि सा उदय होगा क्योंकि अभी शृंखिका या उदय है । पहिते अनुमानों द्वारा (शृंखिका या उदय) साम्य (शक्तिओदय) के पहिते रहता है, इसलिये पूर्वचर कहलाया । दूसरे अनुमानमें

१ मेंपकि होनेवे दृष्टि नहीं है लेकिन कभी कभी देखोके रखे पर्याप्ति नहीं तो तो नहीं । शुद्धार पहा बनाया है लेकिन कभी कभी उसके रखनेवर भी पहा नहीं बनता जाति हजारों हजारों हैं रखे पर भी कार्य नहीं होता ।

हेतु (कृतिकाका उदय) साध्य (भरणिके उदय) के बाद होता है इसलिये उत्तरचर कहलाया । इन दोनोंमें कार्यकारणता और व्याप्यव्यापकता नहीं है इसलिये ये अलग भेद है । इसीप्रकार सहचर भी अलग भेद है । जैसे—फूलमें स्पर्श है क्योंकि गन्ध है । इस अनुमानमें स्पर्श और गंध दोनों साथ रहने वाले है इसलिये यहां पर हेतु सहचर कहलाया । ये तीनों उपलब्धिरूप और विधि-साधक है ।

विधिरूपप्रतिषेधसाधक अर्थात् विरुद्धोपलब्धि के भी छः भेद है—जब किसी वस्तुके विरुद्ध कोई वस्तु उपलब्ध होती है तब वह प्रतिषेध ही सिद्ध करती है इसलिये विरुद्धोपलब्धि प्रतिषेध—साधक ही होती है । इसके भी व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर इस प्रकार छः भेद है ।

घड़ा व्यापी नहीं है क्योंकि दृश्य (नेत्रोका विषय) है । व्यापी—पनका विरोधी है अव्यापीपन, उसका व्याप्य है दृश्यता । (क्योंकि जो दृश्य है वह अव्यापी तो अवश्य है लेकिन जो अव्यापी है वह दृश्य होता भी है और नहीं भी होता । घड़ा अव्यापी होकर दिखता है. परमाणु या द्रव्यणुकादि अव्यापी होकर नहीं दिखते इसलिये अव्यापीपन व्यापक है और दृश्यता व्याप्य है) यहां व्यापीपनके विरोधीका व्याप्य उपलब्ध है इसलिये व्यापीपनका प्रतिषेध सिद्ध हुआ और यह हेतु विरुद्धव्याप्योपलब्धि रूप कहलाया ।

‘ यहां उतनी ठंड नहीं है क्योंकि धुआँ निकल रहा है ’ इसमें ठंडका विरोधी अग्नि है और अग्निका कार्य धुआँ है, इसलिये यहां ठंडका प्रतिषेध सिद्ध हुआ और यह हेतु विरुद्धकार्योपलब्धि-रूप कहलाया ।

‘यह आदमी सुखी नहीं है क्योंकि इसके हृदयमें शाल्य है’ इस अनुमानमें सुखी होनेका विरोधी दुखी होना है और दुखी होने का कारण शाल्य मौजूद है इसलिये यह हेतु विरुद्धकारणोपलब्धिरूप कहलाया ।

इसके बाद शकटका उदय न होगा क्योंकि अभी रेवतीका उदय है । यहा शकटका विरोधी अश्विनी है उसका पूर्वचर रेवती है इसलिये यह विरुद्धपूर्वचरोपलब्धि रूप हेतु कहलाया ।

‘इससे पहिले भरणिका उदय नहीं था क्योंकि इस समय पुष्पका उदय है’ इस अनुमानमें भरणिके उदयका विरोधी पुनर्वसुका उदय है और उसका उत्तरचर पुष्पका उदय मौजूद है इसलिये यह हेतु विरुद्धोत्तरचरोपलब्धि रूप कहलाया ।

तराजूका पहिला पलड़ा नीचा नहीं है क्योंकि दूसरा पलड़ा नीचा है । इस अनुमानमें पहिले पलड़ेके नीचेपनका विरोधी है पहिले पलड़ेका ऊचापन, और इसका सहचर है दूसरे पलड़ेका नीचापन (जब पहिला पलड़ा नीचा होता है तब दूसरा ऊचा होता है इसलिये पहिलेके नीचेपन और दूसरेके ऊचेपनमें, और दूसरेके नीचेपन और पहिलेके ऊचेपनमें सहचरता है) इसलिये यह हेतु विरुद्धसहचरोपलब्धि रूप कहलाया ।

- हेतुका तीसरा भेद अविरुद्धानुपलब्धि अर्थात् प्रतिपेघरूप अतिपेघसाधक है । इसके सात भेद हैं—स्वभार, व्यापक, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर । ‘इस जगह घड़ा नहीं है क्योंकि उपलब्ध नहीं होता’ इस अनुमानमें “उपलब्ध नहीं होना”, अनुपलब्धात्मक हेतु है और घड़ेके प्रतिपेघको सिद्ध करता है ।

घड़ेका स्वभाव 'उपलब्ध होना' है इसलिये 'घड़ेके निषेध'का स्वभाव 'उपलब्ध न होना' मानागया ।

प्रश्न—अविसुद्धानुलब्धिमें स्वभावानुपलब्धि नामका सातवाँ भेद क्यों खड़ा किया जाता है? अथवा उपलब्ध्यात्मक हेतुओंसे भी स्वभावोपलब्धि नामका भेद क्यों नहीं किया गया?

उत्तर—जहांपर स्वभावकी उपलब्धि होती है वहां अनुमान नहीं, प्रत्यक्ष माना जाता है। जैसे 'इस कमरेमें घड़ा है क्योंकि उपलब्ध होता है अथवा दिखता है इसको अनुमान नहीं कहते किन्तु प्रत्यक्ष कहते हैं। अगर इसे भी अनुमान कहने लगें तो सभी प्रत्यक्ष अनुमान कहलाने लगेंगे, क्योंकि किसी चीजके स्वभावको देखकर ही तो प्रत्यक्ष किया जाता है इसलिये स्वभावोपलब्धिसे अनुमान न मानना चाहिये।

प्रश्न—यदि स्वभावोपलब्धिसे अनुमान न माना जाय तो स्वभावानुपलब्धिसे भी अनुमान न मानना चाहिये। अनुपलब्धिसे घड़ेके अभावको जानना भी तो प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो लोग (बौद्ध, सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक जैन, आदि) अभाव प्रमाणको अलग नहीं मानते वे लोग अभावको विषयकरनेवाला, प्रत्यक्ष आदिकोहीं मानते हैं। यह ठीक है कि अभाव, अनुमानका भी विषय है लेकिन उपर्युक्त उदाहरणमें (घटाभावके अनुमानमें) तो प्रत्यक्षहीं काम करेगा।

उत्तर—अभावके दो भेद हैं पर्युदास और प्रसञ्ज। पर्युदासमें एक चीजके अभावमें दूसरी चीज पकड़ी जाती है इस पक्षमें 'घटाभाव'का अर्थ 'खाली जमीन' है। खाली जमीनको हम

देख सकते हैं इसलिये यहापर घटाभाव प्रत्यक्षका विषय माना जाता है । प्रसज्ज्य पक्षमें खाली अभाव पकड़ा जाता है किसी दूसरी वस्तुका प्रहण नहीं किया जाता, इसलिये इस पक्षमें घटाभाव अन्तिमोक्षा विषय नहीं होता और इसीसे वह अनुमानका विषय माना जाता है ।

प्रश्न—पर्युदास और प्रसज्ज्यकी ठीक ठीक पहिचान क्या है ?

उत्तर—किसी वस्तुके अभाववाचक पदमें पर्युदास पक्ष लेना अपगा प्रमुख, यह वक्ताकी इच्छापर निर्भर है । प्राय एक ही तरहके पदसे दोनों तरहका अर्थ लिया जाता है । फिरभी इतना नियम रखा गया है कि जहाँ वस्तुवाचक शब्दके साथ निषेधवाचक अव्ययका सम्बन्ध हो वहाँ पर्युदास पक्ष समझना चाहिये और जहाँ कियापदके साथ निषेधवाचक अव्ययका सम्बन्ध हो वहाँ प्राय प्रसज्ज्य पक्ष समझना चाहिये । जैसे ‘यहा अमनुष्य है’ इस वाक्यमें निषेधवाचक अव्यय ‘अ’ का सम्बन्ध वस्तुवाचक ‘मनुष्य’ के साथ है, इसलिये इस वाक्यका अर्थ हुआ ‘मनुष्यको छोड़कर और कोई पशु आदि है’ यहा अभावसे किसी दूसरी चीजका सहाय रखा है इसलिये यह पर्युदास कहलाया । ‘यहा मनुष्य नहीं है’ इस वाक्यमें निषेधवाचक ‘नहीं’ का सम्बन्ध ‘है’ कियापदके साथ है इसलिये यह प्रसज्ज्य कहलाया और इस वाक्यका अर्थ भिर्क ‘मनुष्यका अभाव’ हुआ, किसी दूसरेका सहाय नहीं ।

‘इस जालने कोई मार्गदर्शक मनुष्य नहीं है क्योंकि यहाँ मनुष्य है’ इस अनुमानमें व्यापकतये अभावसे व्याप्त-

का अभाव सिद्ध किया गया है । उपलब्ध्यात्मक भेदोंमें ‘व्यापक’ का भेद नहीं रखा गया था क्योंकि व्यापककी उपलब्धिमें व्याप्त्यकी उपलब्धि होनेका नियम नहीं है । मनुष्य होनेसे ही कोई मार्गदर्शक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो सकता । अनुपलब्ध्यात्मक के भेदोंमें व्याप्त्य का भेद नहीं रखा गया क्योंकि व्याप्त्यकी अनुपलब्धिमें व्यापककी अनुपलब्धिका नियम नहीं है । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह ब्राह्मण नहीं है इसलिये मनुष्य भी नहीं है ।

इस बीमार आदमीका ज्वर वैसा नहीं रहा क्योंकि अब शरीरमें वैसी गर्मी नहीं है । शरीरमें गर्मी आजाना ज्वरका कार्य है । इस कार्य की अनुपलब्धिसे हम कारणकी अनुपलब्धि का अनुमान करते हैं । साधारणतः कार्यके अभावमें कारणका अभाव नहीं होता, लेकिन कोई कोई कार्य ऐसे हैं जो अपने अभावमें कारणके अभावका नियम रखते हैं । किसी बीमार आदमीके शरीरकी गर्मी घटनेसे ज्वरके घटनेका अनुमान करना सत्य है । ऐसे ही स्थलोपर कार्यानुपलब्धि, कारणानुलब्धि की साधक है ।

‘यहाँ धुआँ नहीं है क्योंकि अग्नि नहीं है’ इस अनुमान में कारण की अनुपलब्धिसे कार्य की अनुपलब्धि सिद्धकी गई है । कारणके अभावमें कार्यका अभाव होना ठीक ही है ।

“ इसके बाद शक्टका उदय न होगा क्योंकि कृत्तिकाका उदय नहीं है ” इसमें पूर्वचरकी अनुपलब्धिसे उत्तरचरकी अनुपलब्धि सिद्ध की गई है । “ इसके पहिले भरणिका उदय नहीं था क्योंकि कृत्तिकाका उदय नहीं है ” इस अनुमानमें उत्तरचरकी अनुपलब्धिकेद्वारा पूर्वचरकी अनुपलब्धिका अनुमान किया

गैया है 'तराजका पहिला पड़दा नीचा नहीं है क्योंकि दूसरा पल्डा ऊचा नहीं है' पहिले पड़देका नीचा होना और दूसरेका ऊचा होना एक साथ की क्रियाएँ हैं इसलिये एक की अनुपलब्धिमें दूसरे की अनुपलब्धि मिल की गई ।

ऐतुका चीपा भेद विरद्धानुपलब्धि अर्थात् प्रतिपेधखण्डपरिधि राखक है । इसके सिर्फ़ तीन ही भेद हैं (१) विरद्धकार्यानुपलब्धि (२) विरद्धकागणानुपलब्धि (३) विरद्धस्वभावानुपलब्धि । ये तीनों विभिन्नाधक हैं । "यह आदमी बीमार है क्योंकि इसकी नाई टीक नहीं चउती" बीमारीका विरोधी स्वास्थ्य है उसका कार्य है गाढ़ीका टीक चउना, यह यहाँ उपलब्ध नहीं है इसलिये बीमारीका अनुमान किया जाता है ।

'यह मनुष्य दुर्गी है क्योंकि इसकी इच्छित वस्तु नहीं मिलती है' दुरुपका विरोधी सुप है, उसका कारण है इच्छित यातुर्धी प्राप्ति, यह यहाँ मौजूद नहीं है इसलिये दुरुपका अनुमान किया जाता है ।

परन्तु अनेकात्तमस्त है, क्योंकि एकात्तरवस्थ्य की उपलब्धि नहीं होती । अनेकात्तमा विरोधी एकान्त है उसकी अनुपलब्धि यहाँ मौजूद है ।

प्रथा—अविरद्धानुपलब्धि के जिसप्रकार सात भेद किये,

१ नक्षर्दी पूर्वगता उत्तरगता को एकान्तर्मै रखने में साधारण पाठकों का अनुचित गमन है इसलिये जो ज्योतिषका ज्ञान न रहते हों वे गविशार गामगता आदि दिनमें पूर्वगता उत्तरगतार्दी करना परन्तु उदाहरण

- दृष्टि । जहां कारणसे कार्यका अनुमान किया जाय वह 'पूर्ववत्' । जहां कार्यसे कारणका अनुमान किया जाय वह 'शेषवत्' । कार्य कारणको छोड़कर अन्य साधनसे साध्यकी सिद्धि की जाय वह सामान्यतोदृष्टि ।

उपर्युक्त तीनों पारिभाषिक शब्दोंका अर्थ दूसरे ढंगसे भी किया जाता है । पूर्ववत्=केवलान्वयी । शेषवत्=केवलव्यतिरेकी । सामान्य=अन्वयव्यतिरेकी । लेकिन यह अर्थ कुछ ठीक नहीं जचता क्योंकि अन्वयको पूर्व और व्यतिरेकको शेष कहनेमें कोई खास कारण नहीं मिलता । दूसरी बात यह है कि केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी भेद भी ठीक नहीं मालूम होते । हमारी समझमें तो इन्हें भी अन्वयव्यतिरेकी मानना चाहिये । क्योंकि केवल अन्वय और केवल व्यतिरेकसे व्यापिका ठीक निश्चय नहीं हो सकता । और जहां व्यापिका ठीक ठीक निश्चय होता है वहां अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही दृष्टान्त मिल सकते हैं । यहां हम अपने वक्तव्यको कुछ स्पष्टतासे रखदेना उचित समझते हैं ।

- केवलान्वयी हेतु उसे कहते हैं जिसका निश्चायक सिर्फ अन्वय दृष्टान्त हो । जैसे जीव, अनेकधर्मात्मक है क्योंकि सत् है । जो सत्रूप होता है वह अनेकधर्मात्मक होता है, जैसे—पृथ्वी आदि । अब अगर इसकी व्यतिरेक व्याप्ति मिलायी जाय तो वह भी मिल सकती है जैसे—जो अनेकधर्मात्मक नहीं है वह सत्रूप भी नहीं है जैसे—खरविषाण । कहा जाता है कि खरविषाण तो जैनन्यायके ग्रंथोंमें इन पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग नहीं किया गया है । भिन्नभाषिक शब्दोंके विषयमें कुछ कहना अनावश्यक है ।

कोई यस्तु ही नहीं है परि उसे दृष्टान्त कैसे कहा जाय ? लेकिन हमारे प्राचीने उमेरे यहा इसीलिये दृष्टान्त मानना चाहिये कि यह अवस्था है । क्योंकि असतके लिये तो अवस्था ही दृष्टात्मकमें उपस्थिति की जायगी, न कि यस्तु । यह बात भी नहीं है कि दृष्टान्त रूपमें गरविषाणका प्रयोग न किया जाता हो ॥ “ विशेषरहित सामाय गरविषाणके समान है सामान्यरहित विशेष गरविषाणके समान है ” इत्यादि रूपानोंमें गरविषाण के द्वारा वस्तुका विवेचन हुआ है । इसलिये व्यनिरेकदृष्टात्मके रूपमें खरविषाणका उद्घेष दोना आवश्यक नहीं है । हाँ । अन्य दृष्टात्मके रूपमें उसका प्रयोग न होगा चाहिये । क्योंकि अवयदृष्टात्मके साधारका सद्ग्राह बातापा जाता है, जब कि व्यतिरेकमें अभाव ।

वेदउभयनिरेषी द्वारा उसे फहते हैं जिसका निधायक सिर्फ अपने दृष्टान्त हो । जिन्दे दरारमें आगा है क्योंकि उसमें प्राण है । जहाँ आगा नहीं है यहाँ प्राण भी नहीं है । जैसे—कुर्सी टेबुल और इदि । पक्षा जाता है कि यहाँ व्यतिरेक दृष्टात्मके मिठ गया परतु अन्य दृष्टात्मक नहीं है, क्योंकि जिन्दे दरारके अतिरिक्त और पहीं आगा हो नहीं सकती, जिसे अन्यदृष्टात्मक बनारे । कार जिन्हीं जिन्दे दरारमें ही दृष्टात्मक रूपमें उपस्थिति किया जाय ऐ यह पक्षके भीतर ही पक्षापापा । इसमें गाड़म हुआ कि यहाँ अन्य नहीं है परतु इसके पक्षिते हमे यह भी देगा देना चाहिये

१. निर्दि ५ दि गामाचे भवेत्तरविषाणवत् । सामान्यरहितवाच
स्त्रियादृष्ट दि ॥ उर्ध्वाप्रस्त्रादीचमें वरदाढ़े पुक्कड़े व्यतिरेक दृष्टान्त
बातापा है । ब्लान्डी, भीत्तिर्व्यवर्धीयामा प्रदानादृष्टात्मक से द्रव्य

कि यह अनुमान ठीक है या नहीं । इस अनुमान में जिन्दा शरीर पक्ष है उसमें आत्माका सद्वाव सिद्ध करना है इसलिये वह साध्य है । पक्ष और साध्यमें इतना अन्तर है कि पक्ष तो सिद्ध होता है और साध्य असिद्ध होता है । इसलिये मालूम हुआ कि अनुमान करनेवालेको जिन्दे शरीरका पता तो है, परन्तु उसमें आत्माका पता नहीं है । अगर उसे आत्माका पता नहीं है तो उसने कैसे समझा कि यह जिन्दा शरीर है ? जिन्दे शरीरका मतलब या लक्षण आत्मासहित होना है । यह कैसे हो सकता है कि उसे लक्ष्य (जिन्दे शरीर) का पता तो हो और लक्षण (आत्मासहित होना) का पता न हो । इसलिये मानना पड़ेगा कि उसे दोनोंका (लक्ष्य और लक्षण) का पता है । तब कहना चाहिये कि यहाँ हेतु सिद्धसाधन हेत्वाभास बन गया, क्योंकि इसका साध्य पक्षके समान सिद्ध है । अगर यह कहा जाय कि यह अनुमान उनलोगों (चार्वाक आदि) का खण्डन करने के लिये है जो जिंदा शरीर मानकर आत्माका अस्तित्व नहीं मानते । तो यह कहनाभी ठीक नहीं है क्योंकि उनके मतमें जिन्दे शरीरमें या किसी भी जगह आत्माका सद्वाव सिद्ध करना वाधित है इसलिये उनकी दृष्टिमें यह हेतु कालात्ययापदिष्ट (वाधितविषय) कहलाया । अगर हम किसी दूसरे प्रमाणसे उनके प्रमाणका खण्डन करके आत्माका अस्तित्व सिद्ध कर दें तो उन्हें दूसरे प्रमाणसे ही आत्माका सद्वाव मानना पड़ेगा । इसलिये यह अनुमान निर्यक ही रहेगा । जब वे दूसरे प्रमाणसे आत्माका अस्तित्व स्वीकार करलेंगे तब उनके मतमें भी जिंदाशरीर और आत्मासहित शरीर एक ही बात कहलायगी इसलिये यह हेतु फिर सिद्धसाधन हेत्वाभास कहलाने लगेगा । हाँ !

अगर इस अनुमान का यह रूप बनाया जाय कि “इस शरीरमें आत्मा है क्योंकि प्राण हैं” तो यह अनुमान ठीक कहलायगा लेकिन ऐसी हालतमें इसका अन्वय दृष्टान्त भी इस शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर मिल जायगा ।

अगर यह कहा जाय कि जो लोग वृक्षोंमें जीवन तो मानते हैं लेकिन आत्मा नहीं मानते उनके खण्डनके लिये यह अनुमान बनाया गया है । सैर ! यदि इस रूपमें यह अनुमान उचित भी मानलिया जाय तो यह अन्वयव्यतिरेकी हो जायगा । क्योंकि व्यतिरेकतो मिलताही है । अन्वय भी इसरूपमें मिलेगा कि ‘जहा जहा प्राण हैं वहा वहा आत्मा है, जैसे—हम लोगोंका शरीर । कहा जा सकता है कि हम लोगोंका शरीर भी तो जीवित शरीर है इसलिये पक्षके भीतर आगया । उसे दृष्टान्त कैसे बना सकते हैं ? यहा हमें अन्वयदृष्टान्तके लक्षणपर विचार करना चाहिये । जहाँ साध्य और साधनके रहनेका निधय हो उसे अन्वय दृष्टान्त कहते हैं । हमें अपने शरीरमें साध्य (आत्मा) साधन (प्राणादि) के होनेका निधय है इसलिये इसे दृष्टान्त कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है । अगर हमारा शरीर पक्षके भीतर शामिल किया जायगा तो हमारे शरीरका आत्मा साध्य कहलायगा । और साध्य होता है असिद्ध, इसलिये हमें अपने शरीरमें भी आत्माकी असिद्धि मानना पड़ेगी जो कि ठीक नहीं है । अब बात यह रह गई कि सा शरीरोंको पक्ष बनाया जाय या अपने शरीरोंको छोड़कर वासी शरीरोंको । यथपि सिद्धि तो वाकी शरीरोंमें ही करना है परन्तु सर शरीरोंको पक्ष उनानेमें भी कुछ छानि नहीं है । क्योंकि अपने शरीरमें आत्मा सिद्ध होनेपर भी सर शरीरोंमें असिद्ध है । जैसे किसी जगह दस आदमियोंमें दो

हिन्दुओंका निश्चय हो तो हम वह कहसकते हैं कि वहाँ दस हिन्दुओंका निश्चय नहीं है । इसीतरह कुछ शरीरोंमें आत्माका निश्चय होनेपर भी सब शरीरोंका अनिश्चय कहा जा सकता है जिससे 'सब शरीर' पक्ष, और 'कुछ शरीर' सपक्ष बन सकते हैं । इसलिये यहाँ अन्वयव्यतिरेकी हेतु है । इसीप्रकार "सब परिवर्तन शील है, क्योंकि सत् है" इस अनुमानमें भी हेतु अन्वय व्यतिरेकी है, क्योंकि खरविपाण आदिक व्यतिरेक दृष्टान्त और वस्त्रादि अन्वय दृष्टान्त हैं । अगर खरविपाणादिको असत् होनेसे व्यतिरेक दृष्टान्त और वस्त्रादिको पक्षके अन्तर्गत मानकर अन्वय दृष्टान्त न माना जावे तो इस अनुमानमें हेतु, निरन्वयव्यतिरेकी मानना पड़ेगा । यह चौथा भेद किसीने भी नहीं माना है । जिस प्रकार निरन्वयव्यतिरेकी भेद नहीं माना जाता है उसीतरह केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी भेद न मानना चाहिये ।

अनुमानके भेद—अनुमानके सुख्य अंगोंका निरूपण हो चुका है । उनके जितने भेद होगे वे अनुमानके भी भेद कहे जावेंगे । लेकिन यहाँ पर दूसरी ही दृष्टिसे अनुमानके दो भेद किये जाते हैं (१) स्वार्थानुमान (२) परार्थानुमान । ज्ञानात्मक अनुमान को स्वार्थानुमान और वचनात्मक अनुमानको परार्थानुमान कहते हैं परार्थानुमानका उपयोग शास्त्रार्थ या वातचीतके समय किया जाता है । इनमें परार्थानुमानको वास्तवमें प्रमाण ही न कहना चाहिये

१ एक सत्त्वेषि द्वयं नास्ति ।

२ 'परीक्षासुख' में इन भेदोंका जिकर नहीं है परन्तु टीका ग्रन्थोंमें इनका उल्लेख पाया जाता है । न्यायदर्शनमें भी इनका उल्लेख है । वद्धे इस विषयपर विचार करना चाहिये ।

क्योंकि हम पहिले कह चुके हैं कि वास्तवमें प्रमाण ज्ञानात्मक ही है । हा ! प्रमाणका साधक होनेसे अन्य वस्तु भी उपचारसे प्रमाण मानी जा सकती है इसीलिये यहा शब्दात्मक परार्थनुमान भी प्रमाणका भेद माना गया ।

अनुमानके अग——अनुमानके विषयमें हमने अभी तक तीन चीजोंका उल्लेख किया है (१) पक्ष (२) साध्य (३) हेतु । ये तीनों अनुमानके अग कहलाते हैं । इन्हीं तीनोंमें अनुमान रूपी शरीर रहा हुआ है । अगर हम तीनके बदले दो अग मानें तो भी काम चल सकता है । इसका मनःप्र यह नहीं है कि किसी एक अगसो अलग कर देना चाहिये, क्योंकि उपर्युक्त तीन चीजें अनुमानमें इतनी आमदार हैं कि उनमें काट औंट की गुजा—इश नहीं है । तीन अगके दो अग उनानेके लिये यहा सिर्फ़ इतना ही किया जायगा कि पक्ष और साध्यको एक ही अग मान लेंगे । इसका कारण यह है कि पक्ष, धर्मी कहलाता है और साध्य, धर्म कहलाता है । धर्म और धर्मीको एक ही अग कहें तो कुछ अनुचित नहीं है । इमतरह अनुमानके दो अग रहे, पक्ष और हेतु । अथवा अनुमानके दो अग, दूसरे शब्दोंमें घटना चाहिये साध्य और साधेन हैं । अनुमान का काम है एक वस्तु (सामन)

१ बोड्यात्ममें साधन और हेतु, दोनोंका एकही मतःप्र समझा जाता है । ऐसिन जब परार्थनुमानके अंगोंमें हेतुका उल्लेख किया जाता है तब वचनात्मक (साधनके वचन) को हेतु कहने हैं । इसीतरह दृष्टान्त और उदाहरणका भी बोड्यात्ममें एक ही माठ्य निया जाता है परन्तु परार्थनुमानके अंगोंमें उदाहरणका अर्थ होता है ‘दृष्टान्त का वचन, अर्थात् व्याप्तिसूख दृष्टान्तके वचनमें उदाहरण फैलता है ।

से दूसरी (साध्य) का ज्ञान करा देना । इसलिये ये दो हैं अनुमान के अंग कहलाये । लेकिन यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि साध्यके भीतर पक्ष शामिल है, क्योंकि हम पहिले कह चुके हैं कि अनुमानमें धर्म सहित धर्मी साध्य है, न कि अकेला धर्म । धर्म और धर्मीको जब हम शब्दोमें कहते हैं तब वह परार्थानुमानका अंग कहलाता है । इसका नाम 'प्रतिज्ञा' है । यह नाम विलकुल सार्थक है क्योंकि इस वाक्यके द्वारा किसी वस्तुको सिद्ध करने की प्रतिज्ञाकी जाती है । इस तरह स्वार्थानुमानके पक्ष और हेतु, तथा परार्थानुमानके प्रतिज्ञा और हेतु, ये दो अंग कहलाए । कोई कोई, परार्थानुमानके उदाहरण, उपनय और निगमन ये तीन अंग और भी मानते हैं इस प्रकार उनके मतसे पांच अंग हैं । तीन का स्वरूप आ चुका है । हेतुके दुहराने को उपनय कहते हैं । जैसे—इस पर्वतमें अग्नि है क्योंकि धुआँ है जहां धुआँ है वहां अग्नि है । जैसे—रसोईधर, जहां अग्नि नहीं वहां धूम नहीं, जैसे—तालाब । “ पर्वतमें धुआँ है ” यह उपनय है । प्रतिज्ञाको दुहराना निगमन कहलाता है जैसे “ इसलिये इस पर्वतमें अग्नि है ” अगर सुनने वाला अल्पबुद्धि हो तो पांचोका प्रयोग करना अनुचित नहीं कहा जा सकता । किसी किसीने चार और तीन अवयव भी मानते हैं । इस विपर्यमें कोई एकान्त पकड़ना अनुचित है । श्रोता की जैसी योग्यता हो उसीके अनुसार प्रयोग करना उचित है । यहां इतना कहदेना आवश्यक है कि उदाहरण उपनय निगमनका न्योग, समझनेके सुभीते के लिये है । वास्तवमें ये अनुमानके अंग हैं । अंगका मतलब है हिस्सा । उदाहरण आदिक नके हिस्से नहीं हैं किन्तु सहायक मात्र हैं । इसलिये

उदाहरण आदिकी समय समयपर आवश्यकता होने पर भी ये उसके अग नहीं हैं । जैसे—हाथ पैर आदि हमारे शरीरके अग हैं वैसे पक्ष हेतु अनुमानके अग हैं । जिसप्रकार बख आदि हमारे लिये आवश्यक होनेपर भी अग नहीं हैं उसी प्रकार उदाहरण आदिभी अग न समझना चाहिये ।

अनुमानके इस लम्बे विवेचनसे मालूम हुआ होगा कि यह एक जर्दस्त प्रमाण है । इसकी उपयोगिता भी बहुत अधिक है । लोकव्यवहारमें अनुमान शब्दका प्रयोग अदाज या समाधना अर्थमें भी करते हैं । जैसे “मेरा अनुमान है कि वह आज आयगा” इसका मतलब है अनेकी सम्मानना । ऐसे प्रयोगको ध्यानमें रख कर न्यायशाल से अपरिचित लोग अनुमान की प्रामाणिकता में सन्देह बताने लगते हैं । परन्तु यह सन्देह व्यर्थ है । क्योंकि अनुमान एक जर्दस्त हेतुपर अपरम्पित है । जो जर्दस्त हेतु पर अपरम्पित नहीं है उसे अनुमानाभास कहना चाहिये । अनुमान कभी कभी ठीक नहीं उत्तरता, इसका कारण है कि हमें हेत्याभासमें हेतुका भ्रम हो जाता है । इसप्रकारका भ्रम अनुमानमें ही क्या, मभी तरह के प्रमाणोंमें सम्भव है । जिस प्रकार कभी कभी हमारी आँखें तक हमें धोखा दे जाती हैं इसपरभी सभी सांख्यकारिक प्रत्यक्ष मिथ्या नहीं कहे जा सकते, उसीतरह अनुमानको भी मिथ्या नहीं कह सकते ।

आगम (शान्त)—विसी प्रामाणिक (आप्त) पुरुषके वचन आदिसे जो ज्ञान होता है उसे आगम अथवा शान्त बहते हैं । धार्मिक ग्रंथोंमें आप्तके तीन विशेषण बताये जाते हैं । धीतराग, सर्वश और द्वितोषदेशी । हमारे ऊपरके बहे गये लक्षणमें भी ये

तीनों विशेषण घटते हैं, क्योंकि जब कोई पुरुष हमारी बातका ठीक ठीक उत्तर देता है तब वह हितोपदेशी कहलाता है । हमारे प्रश्नके उत्तर के विपर्यमें उसे पूरी जानकारी है इसलिये वह सर्वज्ञ है । हमारे साथ उसे कोई कपाय (रागद्वेष) आदि नहीं है । इसलिये वह वीतरांग है । इन तीन विशेषणोंमें यदि अन्तका विशेषण ही कहा जाय तो भी काम चल सकता है, क्योंकि हितोपदेशीके भीतर ही वीतराग और सर्वज्ञ शामिल है । जो वीतराग और सर्वज्ञ नहीं है वह हितोपदेशी भी नहीं हो सकता है^१ । बात यह है कि सच बोलनेके लिये दो बातोंकी अत्यन्त आवश्यकता है । ज्ञान और अक्षयता । जब मनुष्यमें ज्ञानकी कमी होती है या कोई कषाय रहती है तभी वह झूठ बोलता है । जैसे—किसी अपरिचित स्टेशनपर पहुँच कर आप किसी गाड़ीचालेसे पूछें कि अमुक स्थान कितनी दूर है तो वह अधिक भाड़ेके लोभसे पासके स्थानको भी दूरका बता देगा । यहां लोभकपायके वश होकर झूठी बात बोली

१ धर्म शास्त्रोंमें जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी की व्याख्याकी जाती है; वह 'पूर्णआप' के लिये की जाती है लेकिन न्यायशास्त्रमें तो मामूली वार्तालापको भी आगम कहा जा सकता है इसलिये यहां उसीके अनुकूल इन शब्दोंकी व्यापक व्याख्या की जाती है । न्याय शास्त्रमें लिखा है “यो यत्रावच्चकः स तत्राप्तः” अर्थात् जो मनुष्य जहां पर धोखा नहीं देता है वह मनुष्य वहांपर आप कहा जाता है ।

२ धर्म ग्रन्थोंमें हितोपदेशीके स्वरूपमें वीतरागता और सर्वज्ञता काभी उछेख करते हैं ‘परमेष्ठी परंज्योतिर्विरागो विमलः कृती । सर्वज्ञो इनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते’ यहांपर “विरागः” और “सर्वज्ञः” ये दोनों विशेषण दिये हैं ।

गई है । अपने शुभ्र से भी कहना कि 'आपकी हानि होनेसे मुझे सबसे अधिक कष्ट हुआ ' यह मायाकथाय की झूठ कहलायी । एक शारुभोजी मनुष्य भी जब किसीसे कहता है तेरा खून पीदगा यह ओपर सम्बंधी झूठ बात है । 'वह मेरे साम्हने क्या चीज है चाहूं तो चुटकीसे मसल्लू' यह मान सम्बंधी झूठ है । एक आदमी चला जाता है किसीने मजाक उडाने के लिये कहा तेरा कपड़ा गिर गया यह हास्य सम्बंधी झूठ है । पुत्रके भरपेट भोजन करलेने पर्याप्त माता कहती है दूने तो अभी कुछ भी नहीं राया, गानेवाले तो इतना एक कौर में खाजाते हैं यह रंति (प्रेम) सम्बंधी झूठ है । किसी आदमीको कोई चीज खानेमें अच्छी नहीं माटूम देती तब वह उसके गिरपमें कहता है कि वह चीज मनुष्योंके खाने लायक ही नहीं है यह अरति सम्बंधी झूठ है । कोई मनुष्य रजसे बहता है 'इससे तो मर जाना अच्छा ' यह शोक सम्बंधी झूठ है । लड़का कोई उपद्रव करता है और डरके मारे पहता है 'मैं तो यहां गया भी नहीं' यह मय सम्बंधी झूठ है । जगह रहनेपर भी निर्मी गदे मनुष्यसे एम कहते हैं 'मत आओ ! यही जगह नहीं है, यह जुगुप्सा [धृणा] सम्बन्धी झूठ है । काम यासना के घरमें होकर झूठ बोलना वेद सम्बंधी झूठ है । इस उदाहरणोंमें मात्रम होगा कि जब वक्तामें किर्मी कथायमी सम्भावना अथवा निष्पत्र हो तब उसकी बातका विश्वास न करना

१ शोऽ चान्द्रमे रति शश्द्रका 'गौद्रा प्रेम' अर्थ किया जाता है । लेकिन शास्त्रोंमें रतिशश्द्रका अर्थ प्रेम किया है । जिसको शोऽ चान्द्रम् गौद्रा प्रेम कहते हैं उसे शास्त्रोंमें वद्यपाय (धीवेद्_पूर्वद्_नपुमकरेद्) कहा है ।

चाहिये । ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कपाय तो हो लेकिन जो बात वह कहरहा है उसके साथ उस कपायका कुछ सम्बन्ध न हो, ऐसी हालत में कपाय रहनेपर भी प्रामाणिकता में कोई अद्वचन नहीं है । जिस प्रकार मनुष्य कपायेंके वशमें होकर झूठ बोलता है उसी प्रकार अज्ञान [मिथ्याज्ञान] के वशमें होकर भी झूठ बोलता है । अमुक ग्राम यहाँ से कितनी दूर है ऐसा पूछने पर किसीने कह दिया आठ मील है यद्यपि या दस मील, लेकिन उसे आठ मीलका ही निश्चय या, यह अज्ञान सम्बन्धी झूठ कहलाता है । जहाँ इन दोनों कारणोंमेंसे एक भी कारण न होगा वहाँ कोई मिथ्याभाषण नहीं कर सकता । जैसे—हमने किसी स्टेशन मास्टरसे पूछा कि अमुक स्थानके टिकिटका दाम क्या है ? इस पर जो वह उत्तर देगा उसके ऊपर हम विश्वास कर लेंगे, क्योंकि टिकिटके दाम बतलाने में अज्ञान या कपायकी सम्भावना नहीं है । इस ज्ञानको हम आगम अथवा शाव्द प्रमाण कहेंगे । कहा जा सकता है कि बहुत कुछ जांच करने परभी किसीके सच बोलनेका विश्वास करना कठिन ही है, इसलिये आगमको प्रमाण ही न माना जावे तो क्या हानि है ? इसका उत्तर यह है कि अगर आगम अप्रमाण माना जावे तो उसका अवलम्बन लेकर किसी निश्चित रूपमें काम न करना चाहिये । परन्तु देखा जाता है संसारका बहुतसा व्यवहार आगमके सहारे चलता है । अगर आगमको प्रमाण न माने तो सब मनुष्योंको बोलचाल बन्द कर देना पड़ेगा, इस हालतमें एक दिन भी काम चलना मुश्किल है । रही अप्रमाणता की सम्भावना, सो यह तो सभी प्रमाणोंके

साय है । प्रव्यक्ष भी इस सम्बावनासे याली नहीं है इसलिये इसमें सिर्फ आगमका ही क्या अपराध है ?

प्रश्न—शब्दके द्वारा हमें अर्थका ज्ञान कैसे होता है ?

उत्तर—सर्वतमे । जब किसी बालकके सामने कोई कहता है ‘घड़ा लाओ’ और कोई आदमी घड़ा लेकर आता है तब वह बालक उस वाक्य का अर्थ समझ जाता है । अमीं बड़े वाक्यका अर्थ समझा है ‘घड़ा’ और ‘लाओ’ इस पदोंका जुदा जुदा अर्थ नहीं समझा । दूसरी बार जब किसीने कहा ‘पुस्तक लाओ’ और कोई आदमी पुस्तक लाया । तब बालक सोचता है कि यहाँ किया तो एकसी रही है परन्तु चीज बदल गई है, इससे वह लाओ किया पदका, पुस्तक तथा घड़ा समापदका अलग अलग अर्थ समझ जाता है । धीरे धीरे वह अब तरीकोंसे भी सर्वत भ्रष्ट करने लगता है यही सर्वत आगम प्रमाणवाला मुख्य या ग्रिशेष साधक है ।

प्रश्न—जिन शब्दोंमें सर्वत भ्रष्ट किया जाता है वे शब्द क्या भदा बने रहते हैं ? यदि बने रहते हैं तो सुन क्यों नहीं पढ़ते ? यदि नहीं बने रहते हैं तो एकका सर्वत दूसरे में कैसे काम आता है ?

उत्तर—शब्द सदा नहीं बने रहते, किन्तु सदृशतासे एक शब्दका सर्वत अनेक जगह काममें आता है । जैसे—एक धार एक गाय को देखकर अन्य गायोंको भी हम गाय ममझते हैं उसी प्रवार एक जगहका सर्वत भी मद्दशनाके कारण अनेक जगह काम आता है ।

प्रश्न—क्या आगम प्रमाण वचनसे ही होता है ?

उत्तर—नहीं । जिन जिन कार्योंसे मनके भाव दूसरों पर प्रगट किये जाते हैं वे सब आगम के साधक हैं । इसलिये अगर कोई आत, हाथ आदिके इशारेसे कोई वात समझाता है तो उस इशारेसे जो हमें ज्ञान होगा वह भी आगम प्रमाण कहलायगा । इसप्रकार पुस्तक आदि पढ़नेसे जो ज्ञान होता है वह भी आगम प्रमाण है ।

स्मृतिसे लेकर आगम तक सभी प्रमाण, परोक्षके भीतर शामिल किये जाते हैं इसलिये प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदोंमें सकल प्रमाणोंका सङ्ग्रह हो जाता है । कोई कोई लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, शाव्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य, इस प्रकार आठ प्रमाण मानते हैं । आदिके चार प्रमाणोंके स्वरूपका वर्णन हो चुका है ; वाकी चारका यहां लिख देते हैं जिससे मालूम होजाय कि ये आठ भेद कहाँ तक ठीक हैं ।

एक चीजके ज्ञानसे जहाँ दूसरी चीजकी कल्पना करना पड़े या एक वातके कहनेसे दूसरी वात आपसे आप सिद्ध हो जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैं । अनुमानसे अर्थापत्तिमें दो विशेषताएँ मानी जाती हैं । इसमें पक्षधर्म नहीं होता और अविनाभाव सम्बन्धका ज्ञान भी पहिलेसे नहीं होता अगर पहिलेसे हो भी तो उसकी कुछ उपयोगिता नहीं रहती । जैसे नदीके पूरकों देखकर कल्प-

१ पौराणिक ।

२ अर्थादापद्यते इति अर्थापत्तिः । सत्सु घनेषु वृष्टिरित्युक्तेऽसत्सु घनेषु वृष्टिर्न भवति ।

३ अविनाभाविता चाव तदैव परिगृह्यते । न प्रागवगतेत्येवं सत्यव्येषा न कारणम् ।

ना करना कि ऊपर पानी अपश्य बरसा होगा । इस अर्थापत्रिमें पक्ष धर्म नहीं है क्योंकि जहा की वर्षाकी कल्पना की गई है वहा पूर नहीं देखा गया है । वहा अविनाभाव सम्बन्धका ज्ञान भी पहिलेसे नहीं था । तिना वर्षाके पूर आ नहीं सकता इसीसे तुरत यह कल्पना की गई है । जिस प्रमाणके द्वारा किसी वस्तुका अभाव जाना जाने उसे अभावप्रमाण कहते हैं । जिस प्रमाणके द्वारा किसी वात की सम्भावना की जाय उसे सभै^१ प्रमाण कहते हैं । जैसे—वह क्षणिय है तो वीर भी होगा । लोकप्रगादकी परम्परासे जो हमें ज्ञान होता है उसे ऐतिह्य प्रमाणे कहते हैं ।

इनमें पीछेके दो प्रमाण तो ऐसे हैं जिनमें प्रामाणिकता का निश्चय भी नहीं हो सकता । इसलिये इनके आगारपर नि सशय प्रवृत्ति भी नहीं होती । शाब्द प्रमाणमें तो वक्ताकी परीक्षा करके उसकी वात का निशास किया जाता है, लेकिन ऐतिह्यमें कोई एक वक्ता नहीं होता जिसकी कि परीक्षा की जाय । हाँ ! जिस प्रकार सशय अप्रमाण होने पर भी सम्पूर्णज्ञानकी प्रतिमें सहायक होता है उसी तरह इसे भी समझना चाहिये । अगर लोकप्रगाद कुछ मजबूत आधार पर खड़ा हुआ हो तो यह शाब्द प्रमाणके अतर्गत हो जाता है । जिस प्रकार शाब्दमें किसी मनुष्यको आस मानकर उसकी वात पर निशास किया जाता है उसी प्रकार यहाँ अनेक लोगोंको आस मानकर उनकी वातोंपर निशास किया जाता है । इसलिये यह शाब्दके बाहर

^१ सम्बो भूय सराधीनज्ञानम् । यथा सम्बवति बाह्यणे विद्या ।

^२ इनिहोचुरित्यनिर्दिष्टप्रमरम्भक्रमप्रवादपारम्पर्यमेतिह्यम् ।

नहीं जा सकता । सम्भवमें भी संशयकी बहुत मात्रा मिली रहती है । यदि कहीं पर संशय न हो तो उसे अनुमान कहना चाहिये । जैसे, अनुमानमें साध्य साधन का अविनाभाव सम्बन्ध होता है उसी तरह सम्भवमें भी होता है । जैसे—उपर्युक्त उदाहरणें क्षत्रिय और वीरताका अविनाभाव है इसलिये क्षत्रियरूप साधनसे वीरतारूप साध्यका अनुमान किया जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि सम्भव और ऐतिहासे संशयकी मात्रा होनेसे प्रमाणता नहीं है । यदि इनमें संशय न हो तो ये अनुमान और आगम प्रमाणमें शामिल किये जाते हैं । इसलिये किसी किसीने आठकी जगह कुल छः प्रमाणही माने हैं । परन्तु इसमें भी अगर विचार किया जाय तो अभावको जुदा प्रमाण माननेकी विलकुल जखरत नहीं है । क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अभाव जाना जा सकता है । विरुद्धोपलब्धि और अविरुद्धानुपलब्धि रूप हेतुओंसे अभाव का ही अनुमान किया जाता है । इस बातको हम पहिले भी कह आये हैं । इसलिये अभाव प्रमाणको माननेकी जखरत नहीं है । इसलिये किसी किसीने कुल पांचही प्रमाण माने हैं । परन्तु इनमें भी अगर विचार किया जाय तो अर्थापत्तिको जुदा प्रमाण मानना कुछ ठीक नहीं मालूम होता । क्योंकि वह अनुमानके अन्तर्गत हो जाता है । यद्यपि अर्थापत्तिमें पक्षधर्म नहीं रहता किंतु भी यह अनुमान ही है । अनुमानमें पक्षधर्म रहना कोई आवश्यक नहीं है । पूर्वचर उत्तरचर आदि हेतुवाले अनुमानोंमें

भी पक्षधर्म नहीं रहता । पक्षधर्म हो या न हो परन्तु जहा साधनसे साध्यकी सिद्धिकी जायगी वह अनुमान कहलायगा । अर्थापत्तिमें भी साधनसे साध्यसी सिद्धिकी जाती है इसलिये वह अनुमान ही है । अर्थापत्तिको अनुमानसे भिन्न करनेकेलिये यह भी बहा जाता है कि उसमें पहिलेसे व्याप्तिका प्रहण नहीं किया जाता । लेकिन यह कारण भी जोरदार नहीं है, क्योंकि व्याप्ति-प्रहणकी आपश्यकता दोनों जगह है, भले ही वह वर्षों पहिले हो या उसीसमय, अनुमानको इन गतोंसे कोई मतलब नहीं । हा । अगर अर्थापत्ति, व्याप्तिप्रहणके बिना पदार्थमें बताये तो वह अनुमानसे नाहिर हो सकती है । परन्तु ऐसी हालतमें वह प्रमाणसे भी बाहर हो जायगी । इसतरह प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द और उपमान ये चार ही प्रमाण रहजाते हैं । लेकिन इनके भीतर सूति, एकत्व आदि प्रत्यभिज्ञान और तर्क प्रमाणोंका समावेश नहीं हो सकता इसलिये सबके स्थानपर एक परोक्ष प्रमाण मानना ठीक होगा जिसमें सबका समावेश होसके । जो छोग तीन ही प्रमाण मानते हैं या प्रायः और अनुमान दो^१ ही मानते हैं उनको शाब्द और उपमानको अनुमानके भीतर करनेकेलिये बहुतसी खीचातानी परना पड़ती है । उपर्योगोंके अनुसार अथवा पुनरुक्ति करके प्रमाणोंकी सफ्ट्या जितनी चाहे बढ़ायी जावे परन्तु मूलभेद तो प्रस्तु और परंतु ये ही उचित हैं ।

१ न्यायादिक ग्रोग चार प्रमाण मानते हैं ।

२ सांख्य ।

३ शोद्ध और चैत्यादिक ।

तृतीय अध्याय ।

प्रमाणाभास ।

जो अपने विषयको सत्य और निश्चित रूपमें सिद्ध न कर—
सके उसे प्रमाणाभास कहते हैं । जैसे—संशय विपर्यय आदि ।
विरोधी अनेक पक्षोंके ज्ञानको संशय कहते हैं । संशयका मूलरूप
यही है कि उसमें सामान्य धर्मका ज्ञान तो रहता है लेकिन
विशेषका नहीं रहता परन्तु उसके जानने की इच्छा रहती है ।
जैसे—यह सर्प है या रसी ? सर्प भी लम्बा होता है रसी
भी लम्बी होती है, दोनोंका समान धर्म—लम्बापन—हमें दिख
रहा है, लेकिन सर्प और रसीके विशेष चिह्न हमें दिख नहीं रहे
हैं इसलिये हमारा ज्ञान दोनों ओर झुक रहा है । ऐसा तो हो नहीं
सकता कि वह रसी भी हो और सर्प भी हो, यह तो निश्चित
है कि वह कोई एक ही चीज है, इसलिये हमारा ज्ञान अनिश्चित
रहता है । इसे संशय कहते हैं । इसी तरह जब दो या दो से अधिक
विरोधी वाते सुनते हैं तब भी संशय होता है । जैसे—किसीने
कहा जीव नित्य है दूसरे ने कहा अनित्य है तीसरे को सन्देह
होता है । उसे दोनों पक्षोंमें इत्यत्व रूपसे समानता दिखती है
नाकी विशेष (नित्यत्व अनित्य) में सन्देह रहता है । जब अपेक्षा-
भेदसे एक ही वस्तुमें नित्यत्व और अनित्यत्व सिद्ध कर दिया
जाता है तब वे विरोधी धर्म नहीं रहते इसलिये संशय भी पैदा
नहीं होता । विपरीत पक्षके निश्चयको विपर्यय कहते हैं

१ स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात् ।

२ विरुद्धानेककोटिस्पर्शि ज्ञानं संशयः ।

जैसे—सापको रसी समझ देना । जिस ज्ञानका गियर दूसरे जगदर्ता प्रमाणसे विभित हो उसे भी प्रमाणाभास कहते हैं । इसी तरह और भी अनेक प्रमाणाभास समझना चाहिये । सामाय रूपमे जो प्रमाणाभास (मशयादि) कहे गये हैं वे विशेष प्रमाणों (प्रत्यक्ष अनुमान आदि) के लिये भी कहे जा सकते हैं । साथ ही विशेष प्रमाणोंके प्रमाणाभास जुदे भी हैं ।

जो प्रत्यक्षके समान माद्दम होता है, किन्तु प्रत्यक्ष नहीं है, उसे प्रत्यक्षाभास कहते हैं । जैसे—एकत्व प्रत्यमिज्ञान, है तो परेक्ष, ऐसिन प्रत्यक्षके समान माद्दम होता है इसीलिये प्रत्यक्षाभास है । भ्रममे अनेक लोगोंने उस प्रत्यक्षके भीतर शामिल करने की कोशिश भी की है । इसीप्रकार ‘यह निष्ठ है यह दूर है’ इसादि जार भी परोक्ष है तोभी प्रत्यक्षके समान माद्दम होता है इसलिये यह भी प्रत्यक्षाभास है ।

अं प्राप्तं होनेपर भी परोक्षसा मात्रम हो उसे परोक्षाभास करते हैं । जैसे—प्रत्येक ज्ञान अपने रूपका प्रत्यक्ष करता है किर मी अनेक लोग उसे पराकृ मानते हैं । अपश्च जैसे यापुका स्पर्शन इन्द्रियक द्वारा प्रत्यक्ष होनेपर भी कोई कोई उसको परोक्ष मानते हैं ।

दिस रूपमे जो वस्तु जानी गई है उससे किसी भिन्न रूपमे उससा रूपाना करना या उसमे सन्देह हो जाना आदि स्मरणाभास है । २८—देवदत्तवृष्टि एवं वहदत्तक रूपमे करना । सद्वरको

१ अं प्राप्ताप भी प्रमाणाभास है । जैसे—रास्तेमे चढ़ते समय कंकड़

एक समझना, एकको सदृश समझना प्रत्यभिज्ञानाभास है । असम्बन्धमें सम्बन्धकी कल्पना करलेना तर्काभास है । जैसे—किसी गह्रे में पानी देखकर “जहां जहां गह्रा है । वहां वहां पानी है” इत्यादि ।

अनुमानका प्रकरण लम्बा है । इसलिये अनुमानाभास भी बहुत हैं । अनुमानके दो अंग वतलाये थे पक्ष और हेतु । पक्षमें साध्य भी शामिल है । इष्ट अवाधित असिद्ध ये साध्यके विशेषण हैं इसलिये साध्यका अनिष्ट वाधित और सिद्ध होना पक्षाभास कहा जायगा । कोई सांख्य मतका पक्षलेकर पदार्थोंकी उत्पत्ति सिद्ध करनेके लिये अनुमान बनावे तो यह अनिष्ट कहलायगा । क्योंकि— सांख्य दर्शनमें, पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति मानी गई है ।

जिस का हेतुके रूपमें प्रयोग तो किया जाय लेकिन वह साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे हेत्वाभास कहते हैं । हेत्वाभास चार तरहके हैं असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, अकिञ्चित्कर ।

जो हेतु सिद्ध न हो उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं । साध्यसम भी इसी का नाम है । हेतु दो तरहसे असिद्ध होता है । या तो उसके अभावका निश्चय हो, अथवा सङ्घावमें सन्देह हो । जैसे—शब्द अनित्य है क्योंकि आंखोंसे दिखता है । (चाकुषष है) शब्द आंखोंसे दिख नहीं सकता, इसलिये यह असिद्ध है । इसको स्परूपासिद्ध कहते हैं । क्योंकि शब्द का ‘आंखोंसे दिखना’ यह स्वरूप ही असिद्ध है । जब हेतुके सङ्घावमें सन्देह होता है तब उसे निश्चयासिद्ध कहते हैं । जैसे—धुआँके न

१ साध्य असिद्ध होता है । इसलिये जो हेतु असिद्ध होता है उसको साध्यसम (साध्यसमान) कहने लगे हैं ।

दिखनेपर भी धुआँकी सम्भावना मात्रसे अनुमान करना कि वहाँ अग्नि है क्योंकि धुआँ है । असिद्धके इन दो भेदोंमें ही सभी भेद आजाते हैं फिर भी असिद्धके विशेष भेदोंका बहुत प्रयोग होता है इसलिये यहा उनका उछेख किया जाता है । जहापर हेतुके विशेष्य और विशेषण दो भागोंमेंसे एक भाग असिद्ध होता है वहा वह विशेष्यासिद्ध या विशेषणासिद्ध कहलाता है । जैसे— यह पुतला स्वयं चल सकता है क्योंकि पैरवाला प्राणी है यहा हेतु में विशेष्य असिद्ध है क्योंकि पुतलाप्राणी नहीं है । अगर हेतुको उठाटा करदें तो विशेषणासिद्ध हेतु होजायगा जैसे—यह पुतला स्वयं चल सकता है, क्योंकि प्राणी होकर भी पैरवाला है । यहा पर 'प्राणी' विशेषण बन गया है जोकि असिद्ध है । कहीं कहीं विशेष्य और विशेषण दोनों असिद्ध होते हैं । जैसे—यह सटूक स्वयं चल सकता है क्योंकि पैरवाला प्राणी है यह विशेष्यविशेषणासिद्ध कहलाया । क्योंकि सटूक न तो पैरवाला है न प्राणी है । जहा हेतुका आधार ही सिद्ध नहीं होता उसे आश्रयासिद्ध कहते हैं, जैसे—ब्रह्म लोकमें वडी शान्ति है, क्योंकि वहाँ अशांत प्राणीही नहीं रहते । यहा हेतुका आधार ब्रह्मलोक ही सिद्ध नहीं है । जो हेतु किमी दूसरे आधारमें रहनेके कारण साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे व्याधिकरणासिद्ध कहते हैं । जैसे—शम्द अनित्य है क्योंकि घडा कृत्रिम है । यहा कृत्रिम हेतु अनित्यताको सिद्ध तो करता है ऐकिन कृत्रिमता तो घडेमें है उससे शम्दकी अनित्यता कैसे सिद्ध हो सकती है ? यहा इतनी बात रपालमें रखना चाहिये कि व्यधिकरण होनेसेही हेतु असिद्ध नहीं होता । पूर्वचर उत्तरचर आदि हेतु व्यधि-

करणासिद्ध नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे अपने साध्य की सिद्धि करते हैं। जो हेतु पक्षके एक देशमें ही रहता है उसे भागासिद्ध कहते हैं। जैसे—शब्द अनित्य है क्योंकि प्राणियोंके प्रयत्नसे पैदा होता है। यहां पर शब्द पक्ष है लेकिन सभी शब्द प्राणियोंके प्रयत्नसे पैदा नहीं होते इसलिये यह हेतु पक्षके एक भागमें रहा और इसलिये भागासिद्ध कहलाया। भागासिद्धसे आंशिक सिद्धि होती है इसलिये अगर आंशिक सिद्धिसेही काम चलता हो तो इसे हेत्वाभास नहीं कहना चाहिये। जैसे—उपर्युक्त अनुमानमें यदि वक्ता कहे कि “सभी शब्द न सही किन्तु कुछ शब्द तो इस हेतुसे अनित्य सिद्ध हुए, वस।” मैं तो शब्दको अनित्य सिद्ध करना चाहता हूँ भले ही वह एक ही शब्द क्यों न हो? ” ऐसी हालतमें भागासिद्ध दोष निर्वल हो जाता है। कोई हेतु निरर्थक विशेष्य अथवा निरर्थक विशेषणवाले होनेसे भी असिद्ध विशेष कहलाते हैं। जहां विशेष्य असिद्ध हो उसे व्यर्थ विशेष्यासिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे—परमाणु अनित्य हैं क्योंकि कृत्रिम होकर भी सामान्य वाले हैं। यहां पर परमाणुकी कृत्रिमता तो असिद्ध है और उसे सामान्यवाला बतलाना निरर्थक है क्योंकि परमाणुकी अनित्यताके साथ सामान्यका कुछ सम्बन्ध नहीं है और न इससे कृत्रिमतामें कुछ खासियत आजाती है। यहांपर सामान्यवालापनको कृत्रिमताका विशेष्य बनादिया था इसलिये यह हेतु विशेष्यासिद्ध है। अगर इसी हेतुके विशेष्यको विशेषण और विशेषणको विशेष्य बनादे तो हेतु व्यर्थविशेषणासिद्ध कहलाने लगेगा, क्योंकि ऐसी हालतमें व्यर्थ पड़ने वाला सामान्यवान विशेषण बन जायगा।

हेतुमें अन्योन्याश्रय, चक्रक, और अनवस्था दोप भी लगाये जाते हैं। इन दोयोंके प्रयोगसे हेतु असिद्ध हो जाता है इस-
लिये इन्हें भी असिद्ध हेतुभासके भीतर रख सकते हैं। जहापर
हेतुको सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु दिया जाय और दूसरे हेतुको
सिद्ध करनेके लिये फिर पहिला ही हेतु उपस्थित किया जाय उसे
अन्योन्याश्रय दोप कहते हैं। अथवा जहा हेतुको सिद्ध
करनेके लिये साध्य ही हेतु बना दिया जाय उसे अन्योन्याश्रय दोप
कहते हैं। जैसे—आकाश अनित्य है, क्योंकि कार्य है। यहा
आकाशकी कार्यता असिद्ध है इसलिये इसे सिद्ध करनको अनुमान
बनाया ‘आकाश कार्य है क्योंकि अनित्य है’। इसतरह यहा
पर अनित्यताकी सिद्धि कार्यतासे और कार्यताकी सिद्धि अनित्यतासे
की जाती है। पहिले अनुमानमें अनित्यता साध्य थी और कार्यता
है, दूसरे अनुमानमें कार्यता साध्य हो गई और अनि-
त्यता हेतु, इसलिये दोनोंकी सिद्धि न होसकी और यहाँ अन्यो-
न्याश्रय (परस्पराश्रय=इतरेतराश्रय) दोप काहटाया। जहापर
तीनसे अधिक हेतुओं की सिद्धि एक दूसरेके ऊपर अवलम्बित
हो जाता है उसे चक्रक दोप कहते हैं। जैसे—आकाशमें रूप है
क्योंकि स्पर्श है, आकाशमें स्पर्श है क्योंकि गध है, आकाशमें
गध है क्योंकि रूप है, यहापर रूपकी तिदि स्पर्शसे, स्पर्शकी
सिद्धि गधसे, गधवी सिद्धि रूपसे की गई है, ऐसिन इसतरहसे
तीनों ही असिद्ध हो जाते हैं। जहापर उत्तरोत्तर नयी नयी शूठी
फलपनाएँ करना पड़े और फलपनाओंका अत्त न हो उसे
अनवर्स्था दोप यहते हैं। जैसे—यह पृथ्वी है क्योंकि इसमें पृथ्वीच-

है, इसमें पृथ्वीत्व है क्योंकि पृथ्वीत्वत्व है । इस प्रकार नये नये मिथ्याधर्मों की कल्पना करना अनवस्था है । इन तीनों दोषोंका प्रयोग कार्यकारण लक्ष्यलक्षण आदिमें भी होता है । जैसे—यह घोड़ा किसका है ? जिसका मैं नौकर हूँ । तू किसका नौकर है ? जिसका घोड़ा है ? जिसका नौकर हूँ । यह अन्योन्याश्रय दोष कहलाया । अगर इसीको तीन या उससे अधिक प्रश्नों पर अवलम्बित करदें तो चक्रक दोष हो जायगा । जैसे—यह किसका घोड़ा है ? जिसका मैं नौकर हूँ । तू किसका नौकर है ? जो इस गांवमें सबसे बड़ा धनिक है । इस गांवमें सबसे बड़ा धनिक कौन है ? जिसका यह घोड़ा है । यह चक्रक दोष कहलाया । जीव किसे कहते हैं ? जिससे जीवत्व हो । जीवत्व किसे कहते ? जिसमें जीवत्वत्व हो । जीवत्वत्व किसे कहते ? जिसमें जीवत्वत्वत्व हो । यहां पर 'त्व' लगा लगाकर नये नये धर्मोंकी कल्पना की जाती है । ऐसी कल्पनाओंका अन्त भी नहीं है इसलिये इसे अनवस्था दोष कहते हैं ॥ जहां नयी नयी बातकी कल्पना तो करना पड़े परन्तु वह कल्पना ग्रामाणिक (सत्य) हो वहांपर अनवस्थादोष नहीं माना जाता । जैसे—हम अपने पितासे, हमारा पिता हमारे आजासे पैदा हुआ है ऐसी पितृपरम्परा अनादि कालसे आरही है इसे अनवस्था दोष नहीं कह सकते । क्योंकि यह पितृपरम्परा ग्रामाणिक (अनुमान प्रमाणसे सिद्ध) है । इसी तरहवृक्षबीजकी संतान आदिमें भी अनवस्था दोष न समझना चाहिये ।

जिस हेतुका अविनाभाव सम्बन्ध, साध्यसे विरुद्धके साथ निश्चित हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं । जैसे—शब्द, १ विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्धः । साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्धः ।

अपरिवर्तनशील है क्योंकि उत्पत्तिगाला है । यहाँ उत्पत्तिकी व्याप्ति परिवर्तनशीलता के साथ है जोकि साध्यसे विरुद्ध है, इसलिये यह हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाया । विरुद्ध हेत्वाभास सपक्षमें कभी नहीं रह सकता, और पक्ष भी विपक्षके समान बन जाता है, इसलिये उसका पक्षमें रहना भी विपक्षमें रहनेके समान है ।

जिस हेतुकी व्याप्ति साध्यके विरुद्धके साथ भी हो उसे अनैकान्तिक (सच्चयभिचार=व्यभिचारी) हेत्वाभास कहते हैं । अर्थात् विपक्षमें भी जिसकी अविरुद्ध वृत्ति हो उसे अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं । जैसे—घडा ठडा है क्योंकि मूर्तिक है । मूर्तिकता की व्याप्ति, ठडा और गरम दोनोंके साथ है इसलिये यह अनैकान्तिक कहलाया । यहापर अग्रि विपक्ष है और हेतु उसमें भी चला जाता है इसलिये यह विपक्षमें भी अविरुद्ध वृत्ति कहलाया ॥ विरुद्ध हेत्वाभासमें व्याप्ति, साध्यके विरोधीके साथ ही रहती है और अनैकान्तिकमें साध्यके विरोधीके साथ भी रहती है । यही “ही” “भी” का अन्तर, दोनों हेत्वाभासोंके अन्तरको साफ साफ बतलाता है ॥ अनैकान्तिक हेत्वाभासके दो भेद हैं । निष्ठितवृत्ति, शक्तिवृत्ति । जिसकीवृत्ति विपक्षमें निष्ठित है वह निष्ठितवृत्ति अनैकान्तिक है । जैसे—घडा ठडा है क्योंकि मूर्तिक है । इस अनुमानमें मूर्तिक हेतुकीवृत्ति, विपक्ष (अग्रि) में निष्ठित है इसलिये यह निष्ठितवृत्ति अनैकान्तिक कहलाया । मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि बोलता है । यहापर सर्वज्ञताके साथ बोलनेका विरोध निष्ठित नहीं, शक्तित है इसलिये यह शक्तिवृत्ति अनैकान्तिक कहलाया ।

जिस हेतुका साध्य, सिद्ध अथवा प्रत्यक्ष आदिसे वाधित हो उसे अकिञ्चित्कर हेत्वाभास कहते हैं । जैसे—अग्नि गरम है क्योंकि स्पर्शन इन्द्रियसं ऐसी ही मालूम होती है । यहांपर अनुमान व्यर्थ है क्योंकि अग्निकी गरमी प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही सिद्ध हो जाती है । अकिञ्चित्कर हेत्वाभासके दो भेद हैं सिद्धसाधन और वाधितविषय । जिस हेतुका साध्य सिद्ध हो उसे सिद्धसाधन हेत्वाभास कहते हैं । इसका उदाहरण ऊपर दिया है । जिसका साध्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे वाधित हो उसे वाधितविषय हेत्वाभास कहते हैं । जैसे अग्नि ठंडी है क्योंकि द्रव्य है, यहांपर अग्निका ठंडापन प्रत्यक्ष प्रमाणसे वाधित है इसलिये यह वाधित—विषय हेत्वाभास कहलाया । वाधितविषयके अनेक भेद हैं प्रत्यक्ष-विषय वाधित, अनुमानवाधित, आगमवाधित, स्ववचनवाधित लोक-वाधित, अनुमानवाधित, आगमवाधित, स्ववचनवाधित लोक-वाधित आदि । प्रत्यक्षवाधितका उदाहरण ऊपर दिया गया है । जिसमें अनुमानसे वाधा आवे वह अनुमानवाधित है । जैसे—शब्द अपरिणामी है क्योंकि किसीका बनाया हुआ नहीं है, इसका वाधक दूसरा अनुमान है कि शब्द परिणामी है क्योंकि प्रत्यक्षका विषय है, जितने प्रत्यक्षके विषय हैं वे सब परिणमनशील हैं । जैसे वस्त्रादि । कोई हेतु आगमसे वाधित होता है । जैसे—पाप सुखका देनेवाला है क्योंकि कर्म है जो ‘कर्म’ है वह सुखका देनेवाला है । जैसे पुण्य कर्म । यहांपर हेतु, आगम (शास्त्र) से वाधित है । जहां अपने ही वचनसे अपना पक्ष कठजाय वहां स्ववचन-वाधित हेत्वाभास माना जाता है । जैसे मेरी माता बन्ध्या है

क्योंकि पुरुषसेवा होनेपर भी गम्भीर हता । माता अगर बन्धा होती तो माताको बन्धा कहनेवाला ही कहासे आता ? स्वपचन-वाधित, प्रत्यक्षग्राहित आदिमें शामिल किया जा सकता है ऐसिन स्पष्टताके लिये यहा इसे अलग गिनाया है । लोकनाधित मनुष्यकी खोपड़ी परिनं है क्योंकि प्राणीका अग है । जैसे कि शख शुक्ल आदि । मनुष्यकी खोपड़ी की पवित्रता लोकब्यग्रहारसे वाधित है । लोकनाधित, आगमग्राहितमें शामिल हो सकता है । क्योंकि अगर लोगोंका कहना सच है तो वे आप हैं और उनका वचन आगम है । अगर लोगोंका कहना सच नहीं है तो उसके द्वारा वाधा ही उपस्थित नहीं हो सकती । इस तरह वाधितविपयके अनेक भेद हैं ।

अंकिचित्कर (सिद्धसाधन और वाधितविपय) का हेतुसे साक्षात् सम्बन्ध नहीं है । इसलिये वास्तवमें तीन ही हेत्याभास हैं । साधके सिद्ध होनेसे या वाधित होनेसे तो पक्ष दूषित हो जाता है इसलिये हेतुको दूषित बतलाने की जरूरत नहीं रहती, पक्षही दूषित बतलाया जाता है ।

अन्य लोगोंने हेत्याभासके पाच भेद बतलाये हैं १ असिद्ध (साध्यसम) २ विरुद्ध ३ अनैकान्तिक (व्यभिचारी=सञ्चयभिचार) ४ वाधितविपय (कालात्ययापदिष्ट=कालातीत=अतीतकाल) ५ सत्त्वग्रातिपक्ष=प्रकरणसम । इन पाचमें सिद्धसाधनका नाम नहीं आया है और प्रकरणसमका नया नाम आया है वाकी चार का स्वरूप कहा जा चुका है । सिद्धसाधनको हेत्याभास न माननेका कारण तो यही है कि इससे हेतु या अनुमान खड़िन

१ “ शुचि नरशिरकपाल प्राण्यद्वृत्तवाच्छुक्षिवत् ” परीक्षामूल ।

नहीं होता, किन्तु अनावश्यक होता है । जैनदर्शनमें इसे स्वतन्त्र हेत्वाभास न मानकर अकिञ्चित्कर हेत्वाभास के भीतर डाल दिया है । इसकी अनावश्यकता ही अकिञ्चित्करताको सिद्ध करती है । प्रकरणसमके विषयमें इतना ही कहना है कि इसे अनुमान वाधित के भीतर शामिल करना चाहिये ! जहां साध्यके अभावका धर्मरहित है दूसरा हेतु मौजूद रहता है वहां प्रकरणसम हेत्वाभास माना जाता है । जैसे—‘ शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य-धर्मरहित है ’ इसका वाधक हेतु यह है कि शब्द अनित्य है क्योंकि नित्यधर्मरहित है । यहां पहिले हेतुका नित्यत्व विषय, दूसरे अनुमानसे वाधित है इसलिये प्रकरणसमको अनुमानसे वाधित ही कहना चाहिये । हां । इतना अन्तर अवश्य है कि वाधित-विषयमें वाधक प्रमाण अधिक बलवान होता है और प्रकरणसममें दोनोंही समान बलशाली होते हैं । फिर भी यह वाधितविषयके लक्षणके बाहर नहीं है इसलिये इसे अनुमानवाधित ही समझना चाहिये ।

यद्यपि दृष्टान्त, अनुमान का अंग नहीं माना गया है परन्तु इसका प्रयोग बहुत किया जाता है तथा इसकी आवश्यकता भी बहुत रहती है इसलिये दृष्टान्ताभासका विवेचन कर देना भी अनावश्यक नहीं है । दृष्टान्तमें साध्य और साधनका सद्वाव या असद्वाव दिखलाया जाता है । इनमेंसे अगर अन्वय दृष्टान्तमें किसी एकका अभाव हो या व्यतिरेकमें किसी एकका सद्वाव हो अथवा अन्वय व्याप्तिके साथ व्यतिरेक दृष्टान्त, या व्यतिरेक व्याप्तिके साथ अन्वय दृष्टान्त दिखलाया जाय तो दृष्टान्ताभास कहलाता है । जैसे— शब्द, अपौरुषेय (किसी पुरुषका बनाया हुआ नहीं) है क्योंकि कह है, जो अमूर्तिक है वह अपौरुषेय है, जैसे—इन्द्रियसुख,

परमाणु, और घट । ये तीनों ही दृष्टान्ताभास हैं । क्योंकि अन्वयदृष्टान्त होनेसे इनमें साध्य और साधनका सद्ग्राव होना चाहिये । किन्तु इन्द्रियसुखमें साध्यका अभाव है । इन्द्रियसुख आला का गुण (पर्याय) है इसलिये अमूर्तिक तो है परतु वह पुरुषोंके प्रयत्नसे पैदा होता है इसलिये अपीरुपेय नहीं है । इसकारण यह असिद्ध-साध्य दृष्टान्ताभास कहलाया । दूसरे दृष्टातमें साधन नहीं है । क्योंकि परमाणु किमीके द्वारा बनाया नहीं जाता इसलिये अपीरुपेय तो है किन्तु उसमें रूप रस ग्रथ स्पर्श पाये जाते हैं इससे अमूर्तिक नहीं है इसलिये यह असिद्धसाधन दृष्टान्ताभास कहलाया । तीसरे दृष्टातमें साध्य और साधन दोनोंहीं नहीं है । क्योंकि घटा, न तो अपीरुपेय है और न अमूर्तिक, इसलिये यह असिद्धोभय अपवा असिद्धसाध्यसाधन दृष्टान्ताभास कहलायगा । व्यतिरेक दृष्टान्तमें दोनों का अभाव होना चाहिये । अगर एकका भी सद्ग्राव हुआ तो दृष्टान्ताभास कहलायगा । जैसे—जो अपीरुपेय नहीं है यह अमूर्त नहीं है जैसे परमाणु, इन्द्रियसुख, आकाश । परमाणुमें-अपीरुपेयत्वका अभाव नहीं है, इन्द्रियसुखमें आर्तिका अभाव नहीं है, आकाशमें दोनोंका अभाव नहा है इसलिये सब व्यतिरेक दृष्टान्ताभास हैं ।

व्याप्तिको उलटदेनेसे भी दृष्टान्ताभास माने जाते हैं । अन्वय व्याप्तिमें साधनके सद्ग्रावमें साध्यका सद्ग्राव बतलाया जाता है । यदि फोर साध्यके सद्ग्रावमें साधनका सद्ग्राव दिलाये तो यद अन्वयदृष्टान्ताभास कहलायगा । जैसे—जहाँ जहाँ अप्रि है वहाँ यहाँ धुओं है जैसे—रसोईपर । यहाँ दृष्टात टीक तो है ऐकिन उसमें साध्य साधन, टीक नियममें नहीं बतलाये गये हैं । अगर अप्रिके होनेपर धुओंके होनेका नियम मान दिया जाये तो

तपाये हुए लोहेके गोलेमें भी धुआँ मानना पड़ेगा । इसलिये अन्य व्यासि ठीक ठीक मिलाना चाहिये । इसीप्रकार व्यतिरेक व्याप्ति भी अगर ठीक ठीक न मिलाई जावे तो व्यतिरेक दृष्टान्तभास कहलायगा । व्यतिरेक दृष्टान्तमें साध्यके अभावमें साधनका अभाव माना जाता है । यदि साधनके अभावमें साध्यका अभाव कहा जाय तो लोहेके गरम गोलेमें धुआँके अभावसे अग्निका अभाव भी मानना पड़ेगा । इसलिये दृष्टान्तमें व्याप्तिका उचित रीतिसे प्रदर्शन करना अल्याकश्यक है ।

राग द्वेष अज्ञानसे प्रगट किये गये वचन आदिसे पैदा होनेवाले ज्ञानको आगमाभास कहते हैं । जैसे—कोई मनुष्य लड़कोसे तंग आकर कहे कि “यहाँ क्या करते हो ! नदी किनारे जाओ वहाँ लड्डू बैठ रहे हैं” यह आगमाभास कहलाया । आगमकी प्रमाणताको जांचनेके लिये पहिले तो उसके वक्ताकी परीक्षा करना चाहिये कि उसने कोई बात किसी कषाय अथवा अज्ञानके वशसे तो नहीं कही है । इतनेपर भी संदेह रहे तो यह देखना चाहिये कि उसका कथन, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणोंसे बाधित तो नहीं है । इसतरह पूरी तस्ली के बाद किसी बातको प्रमाण मानना उचित है । अगर इनमेसे कोई दोष हो तो उसे आगमाभास समझना चाहिये ।

चतुर्थ अध्याय ।

बाद विवाद ।

पुराने समयमें बाद विवादका बहुत रिवाज था । प्रत्येक बातके निर्णयके लिये बाद या शास्त्रार्थ होता था । आजकल भी शास्त्रार्थ

^१ बादविवाद धार्मिक विषयोंपर अधिक होते थे, और धार्मिक निर्णयमें आगम प्रमाण बहुत महत्वशाली माना जाता था ।

होता है परन्तु अब यह प्रया उठती जारही है । पुराने समयमें शास्त्रार्थियोंको सब नियमोंका पूरा पूरा पाठन करना पड़ता था । जब पराजयके निर्णयके लिये भी अनेक नियम बनाये गये थे, जिनके आधार पर मव्वस्थ लोग जब पराजयका निर्णय करते थे । लेकिन शास्त्रार्थमें लोग किसी भी तरह की चालाकी करनेसे नहीं चूकते थे इसलिये नियम भी बहुत कठोर बनाये थे । पीछे तो नियम यहाँ तक कठोर बन गये कि अनेक निरपराध भी उनके द्वारा पीसे जाने लगे । छठ, जाति या निप्रहस्थानसे पराजय मानली जाती थी परन्तु यह नियम इतना कठोर है कि सच्चा विजयी भी इसकी ओटमें परानित सिद्ध किया जा सकता है, इसलिये छठ आदिके प्रयोगसे ही जब पराजयकी व्यवस्था करना उचित नहीं है । जब पराजयकी व्यवस्थामें सिर्फ इतना ही देखना चाहिये कि कौन अपने पक्षको सिद्ध कर सका है और कौन नहीं कर सका है ।

यादविगद अप्या किसी पक्षको निर्णय करने की चर्चा दोतरह की होती है, वीतरागक्षया और विजगीयुक्त्या । गुरशिष्यमें, सद्वाटियोंमें, तथा अब जिनामुझोंके बीच जो तत्पनिर्णयके लिये चर्चाकी जाती है वह वीतरागक्षया कहलाती है । इस कथामें जब परानयके ऊपर विद्युत दृश्य नहीं दिया जाता सिर्फ तत्पके

इमण्डिये लोग शास्त्रोंके अर्थको अपने अनुकूल सिद्ध करनेके लिये पूरी कोशिश करते थे । शागद्ध भी भागतवर्षीय जरा जरासी बातके लिये शास्त्रका अर्थ तादा तरोदा जाता है । यन्हिं समयमें जब सारी विद्यावृद्धि जातीहै अर्थ कानेमें लगाई जाती थी तब यादविगदके लिये शास्त्रार्थ शास्त्रका प्रयोग होने लगा होगा ।

निर्णयका विचार रहता है । विजगीषुकथामें तत्त्वनिर्णय तो जौण है, जय पराजयका विचार ही मुख्य रहता है । कई लोग वीतरागकथाको चाद कहते हैं और विजगीषुकथाको जल्प और वितण्डा । यद्यपि जल्प और वितण्डा दोनोंमें जय पराजयका विचार रहता है परन्तु इनमें परस्पर कुछ अन्तर भी है । जल्प में तो वादी और प्रतिवादी दोनोंका कोई पक्ष रहता है जिसे सिद्ध करने की बे चेष्टा करते हैं; किन्तु वितण्डामें सिर्फ वादीका पक्ष रहता है प्रतिवादी अपना कोई पक्ष नहीं रखता वह तो सिर्फ, वादीका खण्डन ही करता है ।

वक्ताके वचनोंका अभिप्राय बदलना छल^उ कहलाता है । छलके तीन भेद हैं. बाक् छल, सामान्य छल, उपचार छल । किसी वाक्यके अनेक अर्थ होते हों, उनमेंसे वक्ताके अर्थको छोड़कर दूसरा अर्थ लेना बाँकछल कहलाता है । जैसे—“इस विषयको छोड़िये” यहां विषय शब्दके अर्थको बदलकर कोई देश अर्थ करले और कहे कि ‘इस देशको क्यों छोड़ूँ’ । यह

१ हरिभद्र सूरिने वितण्डाको शुष्कवाद, जल्पको विवाद, और वादको धर्मवाद कहा है ।

२ हेमचन्द्र सूरिने वितण्डाको कथा ही नहीं माना है । उनका कहना है कि जिसका कोई पक्ष नहीं, उसकी बात ही नहीं सुनना चाहिये “प्रतिपक्षस्थापनाहीनायाः वितण्डायाः कथात्वायोगात् । वैतण्डिको हि स्वपक्षमभ्युपगम्यास्थापयन्यत्किञ्चिद्वादेन परपक्षमेव दूषयन् कथमवधे-यवचनः ।” प्रमाणमीमांसा ।

३ वचनविधातोऽर्थविकल्पोपपत्या छलम् ।

४ अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलम् ।

आकृष्ण कहलाया । शाखार्थमें इस प्रकारका छल करना अनुचित है, लेकिन छल करनेसे किसीको पराजित मानना भी अनुचित है । क्योंकि सम्मत है वादीने ही ऐसे अनेकार्थक शब्दका प्रयोग किया हो जिससे प्रतिवादी चक्रमें आजाय और उसके ऊपर छल करने का दोषारोपण करके विजय प्राप्त करली जाय । ‘वह आदमी जटिल या’ इसके अर्थमें सन्देह हो सकता है कि वह जटिल सम्भासना या या जटाधारी या’ सम्भव है प्रतिवादीका व्याप सिर्फ एकही अर्थ की ओर जारे और वह वादीके अभिप्रायसे उल्टा हो, ऐसी हालतमें यह उल किया गया या नहीं, इसका निर्णय करना कठिन है । इसलिये छल करने पर अपने भाव दूसरे शब्दोंमें कह देना ही उचित है, अन्यथा यह छल है या नहीं, इसी विषयपर शाखार्थ खड़ा हो जायगा और विषयान्तर होनेसे शाखार्थका उद्देश ही नष्ट हो जायगा ।

वाक्तुर्थका प्रयोग करना शाखार्थमें ही अनुचित है । कविता तथा दैसी मजाकमें तो यह गुण माना जाता है काव्यमें तो क्लेशालङ्कारके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है ।

सम्भासना मात्रसे कही गई वातको सामान्य नियम मानकर यक्काका अभिप्राय बदलना सामान्य छल कहलाता है । जैसे— अमुक देशके मनुष्य बहुत विद्वान होते हैं । इस वाक्यका अर्थ बदलकर कहा जाय कि वहाँके छोटे छोटे वाटक भी विद्वान होना चाहिये । यहाँ बहुलनासे सम्भासना मात्र की गई थी इसे सामान्य नियम मानकर उपड़न करना अनुचित है ।

यद्यपि सामान्य छलका प्रयोग करना अनुचित है, फिर भी इससे प्रतिवादीका पराजय नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वादी अगर अनैकान्तिक हेत्वाभासका प्रयोग करे और प्रतिवादी उसको हेत्वाभास ठहरावे ऐसी हालतमें भी वादी कह सकता है कि “ मैंने तो सम्भावना मात्रसे यह वात कही थी तुमने व्यभिचार दिखलाकर छल किया है इसलिये तुम्हारा पराजय हुआ ” लेकिन इस तरह पराजय की व्यवस्था मानना अनुचित है । क्योंकि इससे तो अनैकान्तिक हेत्वाभासका उद्घाटन करना भी मुश्किल हो जायगा और यह छल है कि नहीं ? इसी विपयपर असन्तोषजनक चर्चा होने लगेगी ।

किसी धर्मका किसी जगह उपचार (अध्यारोप) किया गया हो, वहां उस उपचारको न मानकर शब्दका अर्थ बदलना उपचार छल कहलाता है । अथवा शब्दका लक्ष्य अर्थमें प्रयोग होनेपर अभिधेय अर्थको ग्रहण करना उपचार छल है । जैसे—भारत बड़ा धार्मिक देश है । इसका अर्थ बदलकर कहना भारतके निवासी धार्मिक हो सकते हैं भारत कैसे धार्मिक हो सकता है

१ धर्मविकल्पनिर्देशैर्थसञ्चावप्रतिषेधः उपचारछलम् ।

२ शब्दका अर्थ तीन तरहका होता है वाच्य (अभिधेय=अभिधासे होनेवाला), लक्ष्य (लक्षणासे होनेवाला), व्यङ्ग्य (व्यञ्जनासे होनेवाला) । जहां शब्दका सीधा (संकेतके अनुसार) अर्थ हो वहां अभिधा मानी जाती है जैसे यह नगर बहुत बड़ा है । यहां नगर शब्दका अर्थ सीधा है । जहां शब्दके अर्थका उपचार दूसरी चीजमें इकिया जाय वहां ‘ लक्षण ’ मानी जाती है जैसे “ महात्माके शिनोंको सारा नगर दौड़ा आया ” नगर तो घरोंका समूह है, घरोंका

क्या यहाँ नदी पहाड़ आदिमी धर्म करते हैं ? यह उपचार छल है । अथवा “ वाह साहिव । आपने अपने पक्षकी खूब सिद्धिकी जिसमें एकभी सचा हेतु नहीं है ” यहाँ ‘ खूब सिद्धिनी ’ इसका मन्त्रय है कि ‘ गिलकुउ सिद्धि नहीं की ’ मिन्तु इसका मतलब बदलकर कहना कि “ तुम घडे गिचित्र आदमी हो यदि एक भी सचा हेतु नहीं है तो खूब सिद्धि कैसे की ? यह उपचार छल है । इसका प्रयोग करना अनुचित है, फिरभी इसके प्रयोगसे किसीको पराजित न मानना चाहिये । छल करनेसे प्रतिगदी की अहानता अथवा गुस्ताखी माद्दम होती है फिरभी इससे यह नहीं वहा जा सकता कि वह अपने पक्षका समर्थन नहीं कर सकता । हाँ । अगर वह छल करे और अपने पक्षका समर्थन न करे तो अपश्य उसका पराजय हो जायगा । ऐसिन यह पराजय छल करनेसे नहीं, किन्तु अपने पक्षके समर्थन न करनेसे हुआ है ।

जाति ।

सिर्फ़ समानता या असमानता दियाउकर मिथ्या उत्तर देना ‘ जाति है । जब थादी की फही गई बातका दुःख खड़न नहीं सूझता तब इधर उधर फ़ौज वस्तुओंसे समानता या असमानता दौड़ नहीं सकता इसलिये नगर शब्दका अर्थ ‘ नगरमें रहने वाले मनुष्य ’ लिया गया । अभिधा और लक्षणके अतिरिक्त अन्य अभिप्रायका प्रहण करना व्यक्तना है । जैसे “ सन्ध्या होगई ” इसका अर्थ, वेश्याओंके लिये हुआ ‘ श्रेगार करना चाहिये ’ पूर्णवाटोंके लिये हुआ ‘ पूर्णे घटना चाहिये ’ इसी तरह ‘ पर घटना चाहिये ’ ‘ अमुक अदमीसे भिट्ठने घटना चाहिये ’ आदि अनेक अर्थ है ।

१ सापर्म्मवैष्म्याम्न्याम्पत्यवस्थान जाति । असद्गत जाति ।

नता दिखलाकर वादीका खंडन किया जाता है, इसे जात्युत्तर या जाति कहते हैं । जातिके २४ 'भेद हैं—१ साधर्म्यसमा, २ वैधर्म्य-समा, ३ उत्कर्षसमा, ४ अपकर्षसमा, ५ वर्णसमा, ६ अवर्णसमा, ७ विकल्पसमा, ८ साध्यसमा ९ प्राप्तिसमा, १० अप्राप्तिसमा, ११ प्रसङ्गसमा, १२ प्रतिदृष्टान्तसमा, १३ अनुत्पत्तिसमा, १४ संशयसमा, १५ प्रकरणसमा, १६ अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविशेषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपलब्धिसमा, २१ अनुपलब्धिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कार्यसमा ॥

साधर्म्यसे उपसंहार करनेपर दृष्टान्तकी समानता दिखलाकर साध्यसे विपरीत कथन करना साधर्म्यसमा जाति है । जैसे—वादीने कहा “ शब्द अनित्य है क्योंकि कृत्रिम है, जो कृत्रिम होता है वह अनित्य होता है जैसे घड़ा ” इसका खंडन करनेके लिये अगर प्रतिवादी कहे कि “ यदि कृत्रिम रूप धर्मसे शब्द और घड़ेमें समानता है इसलिये घड़ेके समान शब्द अनित्य है तो असूर्तत्व धर्मसे शब्द और आकाशमें भी समानता है इसलिये शब्द, आकाशके समान नित्य मानना चाहिये ” । यह साधर्म्यसमा जाति कहलायगी, क्योंकि यह उत्तर विलकुल अनुचित है । वादीने शब्दको अनित्य सिद्ध करनेके लिये कृत्रिमताको हेतु बनाया है जिसका खंडन प्रतिवादीने विलकुल नहीं किया । वादीने यह तो कहा नहीं है कि “ शब्द अनित्य है क्योंकि घटके समान है ”

१ साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षपकर्त्त्ववर्णवर्णविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिप्रसङ्ग-
प्रतिदृष्टान्तानुपपत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वर्थापत्त्यविशेषोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धि
अनित्यानित्यकार्यसमाः ।

२ साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामुपसंहारे तद्वर्मविपर्ययोपपत्तेःसाधर्म्यवैधर्म्यसमौ ।

अगर वह ऐसा हेतु देता तो प्रतिगादीका खण्डन ठीक कहा जा सकता था । सिर्फ दृष्टातकी समानता दिखलानेसे ही साध्यका खण्डन नहीं होता, उसके लिये हेतु देना चाहिये या वादीके हेतुका खण्डन करना चाहिये । यहा प्रतिगादीने दोनोंमेंसे एक भी काम नहीं किया । इसीतरह वैधर्म्यके उपस्थापन करनेपर वैधर्म्य दिखलाकर खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति है । जैसे—जो अनित्य नहीं है वह कृपित नहीं है जैसे—आकाश । यहापर यदि प्रतिवादी कहे ‘यदि नित्य आकाश की असमानतासे शब्द अनित्य है तो अनित्य घटकी असमानतासे (क्योंकि घट मूर्तिक है और शब्द अमूर्तिक है) शब्दको नित्य मानना चाहिये यह वैधर्म्यसमा जाति है । क्योंकि इससे वादीके हेतुका कोई खण्डन नहीं हुआ । वादीने वैधर्म्यको हेतु नहीं बनाया था । १—२

दृष्टान्तके धर्मको साध्यमें मिला देनेसे ही वादीका खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति है । जैसे—आत्ममें किया हो सकती है क्योंकि वसमें कियाका कारण गुण मौजूद है (कियाहेतुगुणाश्रय होनेसे) । जो किया हेतु गुणाश्रय है वह क्रियावाला है, जैसे—मिट्टी

१ यहाँ न्याय दर्शन की अपेक्षासे शब्दको अमूर्तिक कहा है, किन्तु जैन दर्शनमें शब्दको मूर्तिक माना है । इसका एक कारण यह भी है कि दोनों दर्शनमें मूर्तिक की परिमाण जुड़ी जुड़ी है । न्यायदर्शनमें मूर्तिकका भतलव अल्पपरिमाणवाला अर्थात् अव्यापक है, जैनदर्शनमें मूर्तिकका भतलव है स्परसग्राहस्पर्शवाला । जैनदर्शनमें शब्द भी स्पर्श-स्परादिवाला माना गया है क्याकि वह दीवाल आदिसे रुकता है । चतुर्थानके चैतानिका ने शब्दको इश्य मिल्द किया है । वे आवाजके रूपमें परिणत कर लेते हैं ।

का ढेला । इसके उत्तर में अगर प्रतिवादी कहे कि “यदि जीव, मिट्टीके ढेलेके समान होनेसे क्रियावाला है तो जैसे ढेलेमें रूप आदि है उसी तरह जीवमें भी होना चाहिये” यह उत्कर्षसमा जाति कही जायगी । क्योंकि क्रियाहेतुगुणाश्रव होना और रूपादि-जाति कही जायगी । उत्कर्ष-वाला होनेका कोई अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । उत्कर्ष-समाको उलट देनेसे अपकर्पसमा जाति हो जाती है । जैसे—“जीव अगर ढेलेके समान रूपादिवाला नहीं है तो क्रियावाला भी मत कहो” । साधर्म्यवैधर्म्यसमामें साध्यके विरोधी धर्मको सिद्ध करनेकी चेष्टा की जाती है और उत्कर्षअपकर्पसमामें किसी अन्य धर्मको सिद्ध करनेकी चेष्टाकी जाती है । ३-४ ॥

जिसका कथन किया जाता है उसे वर्ण्य, और जिसका कथन नहीं किया जाता उसे अवर्ण्य कहते हैं । वर्ण्य या अवर्ण्य की समानतासे जो असदुत्तर दिया जाता है उसे वर्ण्यसमा या अवर्ण्यसमा कहते हैं । जैसे—अगर साध्यमें सिद्धिका अभाव है तो दृष्टान्तमें भी होना चाहिये (वर्ण्यसमा) यदि दृष्टान्तमें सिद्धिका अभाव नहीं है तो साध्यमें भी न होना चाहिये (अवर्ण्यसमा) । दूसरे धर्मोंके विकल्प उठाकर मिथ्या उत्तर देना विकल्पसमा जाति है । जैसे—कृत्रिमता और गुरुत्वका सम्बन्ध ठीक ठीक नहीं मिलता, अनित्यत्व और मूर्त्यत्वका नहीं मिलता, इसलिये अनित्यत्व और कृत्रिमताका भी सम्बन्ध न मानना चाहिये; जिससे कृत्रिमतासे शब्द अनित्य सिद्ध किया जा सके । बादीने जो साध्य बनाया हो उसीके समान दृष्टान्त आदिको

१ धर्मान्तर विकल्पेन प्रत्यवस्थापनं विकल्पसमा जातिः ।

उत्तरार्द्ध मिथ्या उत्तर देना साध्यसमा जाति है । जैसे—यदि मिथ्ये देवेंके समान आमा है तो आत्माके समान मिथ्यके देवेंको भी समान चाहिये । आमामें 'क्रिया' साध्य (सिद्ध करने योग्य, न कि निष्ठ) है तो मिथ्यके देवेंमें भी साध्य मानो । यदि ऐसा नहीं मानने हो तो आमा और मिथ्यके देवेंको समान मत मानो । ये शब्द मिथ्या उत्तर हैं, क्योंकि दृष्टान्तमें सब धर्मोकी समानता नहीं दर्शा जाती रहती रहती है तो सिर्फ़ साध्य और साधनकी समानता दर्प्ति जाती है । इसल्यसामें जो अनेक धर्मोका व्यभिचार बालाका है उसे यदीका अनुमान खड़ित नहीं होता, क्योंकि साध्य पर्मदे भिराय अन्य धर्मोके साथ अगर साधन की व्याप्ति न मिले तो एमध्ये सुधनको व्यभिचारी नहीं कह सकते । हाँ ! अगर साध्य पर्मके साथ व्याप्ति न मिले तो व्यभिचारी हो सकता है, इसे धर्मे के गाय व्यभिचार आनेप साध्यके साथ भी व्यभिचार एवं कल्पना करना पर्य है । धूमरी अगर पत्थरके साथ व्याप्ति नहीं मिले, तो यदि वही कशा जा सकता कि धूमरी व्याप्ति, अग्रिमे साथ मैं नहीं है ॥ ५-६-७-८ ।

प्रति भैर अग्राभिष्ठ प्रश्न उठार सधे हेतुको खड़ित बनलाना
क्षमिष्यते भैर अग्राभिष्ठमें जाति है । जैसे—हेतु साध्यरे, पास
एवं साध्यम् मिथ्य यस्त है या दूर रहकर । यदि पास रहकर,

१ उत्तरार्द्ध अग्राभिष्ठकुर्यक्षमादने रात्यमा ।

२ ते वि वर्ग इष्टान्ते दार्यनिति भविनुमहति ।

३ ५-६-७-८ इष्टु इष्टु याद्यविष्टारं सा ग्रजिरभा ।

४ अग्राभिष्ठे इष्टु इष्टु याद्यविष्टारं सा अवर्त्तिसुमा ।

नहीं या तो वह साध्य कैसे कहलाया ? दोनों एक साथ भी नहीं वन सकते, क्योंकि उससमय यह सन्देह हो जायगा कि कौन साध्य है कौन साधक है ? जैसे—विद्याचलसे हिमाल्यकी और हिमाल्यसे विन्ध्याचलकी सिद्धि करना अनुचित है, उसी तरह एक कालमे होनेवाली वस्तुओंको साध्य साधक ठहराना अनुचित है ” यह असत्य उत्तर है, क्योंकि इसप्रकार त्रिकालकी असिद्धि वत्तलानेसे जिस हेतुके द्वारा जातिवादीने हेतुको अहेतु ठहराया है वह हेतु (जातिवादीका त्रिकालासिद्धि हेतु) भी अहेतु ठहर गया और जातिवादीका वक्तव्य अपने आप खंडित होगया । दूसरी बात यह है कि कालभेद होनेसे या अभेद होनेसे अविनाभाव सम्बन्ध विगड़ता नहीं है; यह बात पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, कार्य, कारण आदि हेतुओंके स्वरूपसे स्पष्ट विदित हो जाती है । जब अविनाभाव सम्बन्ध नहीं मिट्टा तब हेतु, अहेतु कैसे कहा जा सकता है ? कालकी एकतासे साध्यसाधनमें सन्देह नहीं होसकता क्योंकि दो वस्तुओंके अविनाभावमे ही साध्य साधनका निर्णय हो जाता है । अथवा दोमेसे जो असिद्ध हो वह साध्य, और जो सिद्ध हो उसे हेतु मानलेनेसे सन्देह मिट जाता है ॥ १६ ॥

अर्थापत्ति दिखलाकर मिथ्यादूपण देना अर्थापत्तिसमा जाति है । जैसे—“ यदि अनित्यके साधर्म्य (कृत्रिमता) से शब्द अनित्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि नित्य (आकाश) के साधर्म्य (स्पर्शरहितता) से नित्य है ” यह उत्तर असत्य है क्योंकि स्पर्श-

१ यद्यनित्यसाधर्म्यात्प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्दस्तर्हि अर्था-
१ अं यन्नित्यसाधर्म्यादस्पर्शकत्वान्नित्यः ।

रहित होनेसे ही कोई नित्य कहलाने लगे तो सुख वगैरह भी नित्य कहलाने लगेंगे ॥ १७ ॥

पक्ष और दृष्टातमें अविशेषता देखकर किसी अन्य धर्मसे सब जगह (निपक्षमें भी) अविशेषता दिखलाकर साध्यका आरोप करना अविशेषसमा जाति है । जैसे “ शब्द और घटमें कृतिमतासे अविशेषता होनेसे अनित्यता है तो सब पदार्थोंमें सत्त्वधर्मसे अनिशेषता है इसलिये सभी (आकाशादि—विपक्ष भी) अनित्य होना चाहिये । ” यह असत्य उत्तर है क्योंकि कृतिमताका अनित्यताके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, लेकिन सत्त्वका अनित्यताके साथ नहीं है ॥ १८ ॥

साध्य और साध्यविरुद्ध, इन दोनोंके कारण दिखलाकर मिथ्या दोप देना उपेपत्तिसमा जाति है । जैसे—“ यदि शब्दके अनित्यत्वमें कृतिमता कारण है तो उसके नित्यत्वमें स्पर्शरहितता कारण है ” यहा जातिवादी अपने शब्दोंसे अपनी वातका विरोध करता है । जब उसने शब्दके अनित्यत्वका कारण मानलिया तो नित्यत्वमा कारण कैसे मिल सकता है ? दूसरी बात यह है कि स्पर्शरहिततानी नित्यत्वके साथ व्याप्ति नहीं है ॥ १९ ॥

निर्दिष्ट कारण (साध्यकी सिद्धिका कारण—साधन) के अभागमें साध्यकी उपलब्धि बताकर दोप देना उपलब्धिसमा जाति है । जैसे—“ प्रयत्नके बाद पैदा होनेसे शब्दको अनित्य कहते हो, लेकिन ऐसे बहुतसे शब्द हैं जो प्रयत्नके बाद न होने पर भी

१ उभयकारणोपपत्तेऽपत्तिसमा ।

२ निर्दिष्टकारणाभविष्युपलभादुपलभिसमा ।

अनित्य हैं । मेघगर्जना आदि में प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं है ”
यह दूषण मिथ्या है क्योंकि साध्यके अभावमें साधनके अभावका
नियम है, न कि साधनके अभावमें साध्यके अभावका । अग्निके
अभावमें नियमसे धुआँ नहीं रहता, लेकिन धुआँके अभावमें नियमसे
अग्निका अभाव नहीं कहा जा सकता ॥ २० ॥

उपलब्धिके अभावमें अनुपलब्धिका अभाव कहकर दूषण देना
अनुपलब्धिसमा जाति है । जैसे—किसीने कहा कि “ उच्चारणके
पाहिले शब्द नहीं था क्योंकि उपलब्ध नहीं होता था । यदि
कहा जाय कि उससमय शब्दपर आवरण था इसलिये अनुपलब्ध
था तो उसका आवरण तो उपलब्ध होना चाहिये । जैसे कपड़ेसे
ढकी हुई चीज नहीं दिखती है तो कपड़ा दिखता है, उसीतरह
शब्दका आवरण उपलब्ध होना चाहिये ” इसके उत्तरमें जाति-
वादी कहता है “ जैसे आवरण उपलब्ध नहीं होता उसीतरह
आवरण की अनुपलब्ध (अभाव) भी तो उपलब्ध नहीं होती ”
यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि आवरणकी उपलब्धि न होनेसे ही
आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध हो जाती है ॥ २१ ॥

एक की अनित्यतासे सबको अनित्य कहकर दूषण देना
अनित्यसमा जाति है । जैसे—“ यदि किसी धर्मकी समानतासे
आप शब्दको अनित्य सिद्ध करोगे तो सत्त्वकी समानतासे सब
चीजें अनित्य सिद्ध होजावेंगी ” यह उत्तर ठीक नहीं । क्योंकि
वादी प्रतिवादीके शब्दोंमें भी प्रतिज्ञा आदि की समानता तो है
ही, इसलिये जिसप्रकार प्रतिवादी (जातिका प्रयोग करनेवाला) के

^१ एकस्यानित्यत्वे सर्वस्यानित्यत्वापादनमनित्यसमा ।

शब्दोंसे घादीका खडन होगा, उसीप्रकार प्रतिवादीका भी खडन होजायगा । इसलिये जहा जहा अविनाभाव हो, वहाँ वहाँ साध्यकी सिद्धि मानना चाहिये, नकि सत्र जगह ॥ २२ ॥

अनित्यत्वमें नित्यत्वका आरोप करके खण्डन करना नित्यसमा जाति है । जैसे—“ शब्दको तुम अनित्य सिद्ध करते हो तो शब्दमें अनित्यत्व, नित्य है या अनित्य ? अनित्यत्व नित्य है तो शब्दभी नित्य कहलाया [धर्मके नित्य होनेपर वर्माको नित्य कहनाही पड़ेगा] यदि अनित्यत्व, अनित्य है तो शब्द नित्य कहलाया । ” यह असत्य उत्तर है क्योंकि जब शब्दमें अनित्यत्व सिद्ध है तो उसीका अभाव कैसे कहा जा सकता है । दूसरी बात यह है कि इसतरह कोई भी वस्तु अनित्य सिद्ध नहीं हो सकेगी । तीसरी बात यह है कि अनित्यत्व एक धर्म है अगर धर्ममें भी धर्म की कल्पना कीजायगी तो अनन्तरथा होजायगी ॥ २३ ॥

कार्यको अभिव्यक्तिके समान मानना (क्योंकि दोनोंमें प्रयत्न की आवश्यकता होती है) और सिर्फ इतनेसे ही सब हेतुका खण्डन करना कार्यसमा जाति है । जैसे—“ प्रयत्नके बाद शब्दकी उत्पत्तिभी होती है ओर अभिव्यक्ति (प्रगट होना) भी होती है फिर शब्द अनित्य कैसे कहा जा सकता है । ” यह उत्तर ठिक नहीं है क्योंकि प्रयत्नके अनन्तर होना, इसका मतलब है स्वरूपलाभ करना । अभिव्यक्तिको स्वरूपलाभ नहीं कह सकते । प्रयत्नके पहिले अगर शब्द उपलब्ध होता या उसका आवरण उपलब्ध होता तो अभिव्यक्ति कही जा सकती थी ॥ २४ ॥

१ प्रयत्नानेककार्यत्वात्कार्यसमा (प्रयत्नके अनेककार्य-उत्पत्ति अभिव्यक्ति-दिसलानेसे कार्यसमा जाति कहलाती है)

जातियोंके विवेचनसे मालूम होता है कि इनसे परपक्षका विलकुल खण्डन नहीं होता । वादीको चक्करमें डालनेके लिये यह शब्दजाल बिछाया जाता है, जिसका काटना कठिन नहीं है । इसलिये इनका प्रयोग न करना चाहिये । अगर कोई प्रतिवादी इनका प्रयोग करे तो वादीको बतलादेना चाहिये कि प्रतिवादी ने मेरे पक्षका खण्डन नहीं कर पाया । इससे प्रतिवादीका पराजय हो जायगा । लेकिन यह पराजय इसलिये नहीं होगा कि उसने जातिका प्रयोग किया, बल्कि इसलिये होगा कि वह अपने पक्षका मंडन या परपक्षका खंडन नहीं कर पाया ।

निग्रहस्थान ।

विरुद्ध अथवा भद्री वार्ते कहना, अथवा स्वपक्षमंडन और परपक्षखंडन न करसकना निग्रहस्थान है । जिससे पराजय हो जाय वही निग्रहस्थान है । साधारण रीतिसे जो निग्रहस्थानका विवेचन किया जाता है वह उचित है लेकिन निग्रहस्थानोंमें बहुतसे निग्रहस्थान ऐसे हैं जिन्हें निग्रहस्थान कहना अनुचित है । जिससे यह न मालूम हो कि वक्ता अपने पक्षका मंडन या परपक्षका खंडन नहीं कर पाया, उसे निग्रहस्थान कदापि न कहना चाहिये । निग्रहस्थानोंमें कुछ निग्रहस्थान ऐसे भी हैं जिनमें नाम मात्रका अन्तर है ।

निग्रहस्थानके दो भेद हैं विप्रतिपत्ति, और अप्रतिपत्ति । विरुद्ध प्रतिपत्ति अर्थात् उल्टी समझसे पराजय होता है और अप्रतिपत्ति अर्थात् नासमझसे भी पराजय होता है । विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ये दोनों ही अनेक प्रकारकी हैं इसलिये निग्रह-

स्थानके २२ भेद हो जाते हैं—१ प्रतिज्ञाहानि, २ प्रतिज्ञान्तर
 ३ प्रतिज्ञापिरोध, ४ प्रतिज्ञासन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अर्पान्तर,
 ७ निरर्थक, ८ अविज्ञातार्थ, ९ अपार्थक, १० अप्राप्तकाल, ११
 न्यून, १२ अविक, १३ पुनरक्त, १४ अननुभाषण, १५ अज्ञान,
 १६ अप्रतिभा, १७ विक्षेप, १८ मतानुज्ञा, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षण,
 २० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अपसिद्धान्त, २२ हेत्वाभास । इनमेंसे
 अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षण,
 ये छ अप्रतिपत्तिसे होते हैं बाकीके १६ विप्रतिपत्तिसे ।

अपने दृष्टान्तमें विरोधीके दृष्टान्तका धर्म स्वीकार कर लेना
 प्रतिज्ञाहानि है । जैसे—वादीने कहा ‘शब्द अनित्य है क्योंकि
 इन्द्रियका प्रिय है जैसे—घट’ । प्रतिवादीने इसका खड़न करनेके
 लिये कहा ‘इन्द्रियोंका प्रिय तो घटत्व (जाति) भी है, लेकिन
 वह नित्य नहीं है इससे वादीका पक्ष गिरगया । लेकिन वह
 सीधे हार न मानकर कहता है ‘क्या हुआ घट भी नित्य रहे’
 यह प्रतिज्ञाहानि है क्योंकि वादीने अपने अनित्यत्व पक्षको छोड़
 दिया ॥ प्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर पहिली प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिये
 दूसरी प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर है । जैसे—उपर्युक्त अनुमानमें
 प्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर कहना कि शब्द तो घटके समान असर्व-
 गत है इसलिये उसीके समान अनित्य भी है । यहा शब्दको असर्व-
 गत कहकर दूसरी प्रतिज्ञा की गई है लेकिन इससे पूर्वोक्त व्यभिचार
 दोषका परिहार नहीं होता ॥ प्रतिज्ञा और हेतुका मिरोध होना

१ प्रतिदृष्टान्तधर्मानुज्ञा स्वदृष्टान्ते, प्रतिज्ञाहानि ।

२ प्रतिज्ञातार्थप्रतिपेदे धर्मप्रिकल्पातदर्थनिर्देश प्रतिज्ञान्तर ।

प्रतिज्ञाविरोध है । जैसे—गुण, द्रव्यसे भिन्न है क्योंकि द्रव्यसे उदा नहीं माल्यम होता । उदा न माल्यम होनेसे तो अभिन्नता सिद्ध होती है न कि भिन्नता । यह विरुद्ध हेत्वाभासके भीतर भी शामिल किया जा सकता है ॥ अपनी प्रतिज्ञाका त्याग कर देना प्रतिज्ञा संन्यास है “मैंने ऐसा क्व कहा ? ” इत्यादि ।

हेतुके खण्डित हो जानेपर उसमें कुछ जोड़ देना हेत्वन्तर है । जैसे—शब्द अनित्य है क्योंकि इन्द्रियका विषय है । यहां घटत्वमें दोष आया, तो हेतुको बढ़ा दिया कि सामान्यवाला होकर जो इन्द्रियका विषय हो, । घटत्व खुद सामान्य तो है परन्तु सामान्यवाला नहीं है । अगर इसतरह हेतुमे मनमानी वृद्धि होती रहे तो व्यभिचारी हेतुमें भी व्यभिचार दोष न दिखलाया जा सकेगा । ज्योही व्यभिचार दिखलाया गया कि एक विशेषण जोड़ दिया जाया करेगा ।

प्रकृतविपय (जिस विपयपर शास्त्रार्थ हो रहा है) से सम्बन्ध न रखनेवाली बात करना अर्थान्तर है । जैसे वादीने कोई हेतु दिया और उसका खण्डन न हो सका तो कहने लगे ‘हेतु किस भाषाका शब्द है किस धातुसे निकला है ? इत्यादि ।

अर्थरहित शब्दोंका उच्चारण करने लगा निरर्थक है । जैसे—शब्द अनित्य है क्योंकि क ख ग घ ङ है । जैसे च छ ज झ ज आदि ।

ऐसे शब्दोंका प्रयोग करना कि तीन तीन बार कहनेपर भी जिनका अर्थ, न तो प्रतिवादी समझे, न कोई सभासद समझे उसे

१ पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थपिनयनं प्रतिज्ञासन्यासः ।

२ अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम् ।

३ प्रकृतप्रमेयानुपयोगिवचनमर्थान्तरं नाम निग्रहस्थानम् ।

अविज्ञार्गार्थ कहते हैं । जैसे—जङ्गलके राजाके आकार बालेके खाद्यके शत्रुका शत्रु यहा है । जङ्गलका राजा शेर, उसके आकार बाला निभाव, उसका खाद्य मूपक, उसका शत्रु सर्प, उसका शत्रु मोर ।

पूर्वापरसम्बन्धको छोड़कर अड बड बक्त्ता अपार्थक है । जैसे—कलकत्तेमें पानी वरसा, कौओंके दात नहीं होते, बम्बई बड़ा शहर है, यहा दश वृक्ष लगे हैं, मेरा कोट निगड़ गया इत्यादि । इसे एक तरह का निरर्थक ही समझना चाहिये ।

प्रतिज्ञा आदिका बेसिलसिले प्रयोग करना अप्राप्तिकाल है । इसे निम्रहस्यान कहना अनुचित है । क्योंकि पहिले, हेतुको कहकर यदि किसीने प्रतिज्ञा पीछे कही, तो इससे उसकी हार नहीं मानी जा सकती ॥ अनुग्रादके सिभाय शब्द और अर्थका फिर कहना पुनरुक्त है । इसे भी निम्रहस्यान न मानना चाहिये क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति तो यमकै अल्कारमें भी होती है, इससे किसीका पराजय मानना व्यर्थ है । अर्थकी पुनरुक्ति, कहने भरका दोष है इससे पराजय नहीं हो सकता ‘शब्द नित्य है’ यह कह फर अगर किसीने ‘अनित्य नहीं है’ इतना और कह दिया तो उसका पराजय क्यों हो गया ? ॥

१ अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकाठ ।

२ शब्दार्थयोर्पुनर्वचनम् पुनरुत्तमन्यग्रानुवादात् ।

इ एक सीरीसा शब्द बार बार आये और अर्थ जुदा जुदा हो उसे यमक अल्कार कहते हैं । जैसे—मजन क्यों तासा मज्यो मज्यो न एको बार । दूर मजन जासों क्यों सो तैं भज्यो गमार ॥ यहा ‘मज्यो’ और मजन शब्द अनेक बार आया है लेकिन इनके अर्थ जुदे जुदे हैं मजना और भागना ।

वादीने तीन बार कहा, परिपिद्दने भी समझ लिया, लेकिन प्रतिवादी उसका अनुबाद न कर पाया इसे अननुभाषण कहते हैं । वादीके वक्तव्यको सभा समझ गई किन्तु प्रतिवादी न समझा तो अज्ञान निग्रहस्थान है । इस दोनोंमें बहुत कम भेद है । उत्तर न सूझना अप्रतिभा है इसे अलग निग्रहस्थान समझना अनुचित है । क्योंकि बहुतसे निग्रहस्थान उत्तर न सूझनेसे ही होते हैं, फिर इसमें विशेषता कुछ नहीं है ।

विपक्षी निग्रहस्थानमें पड़ गया हो फिर भी यह न कहना कि तुम्हारा निग्रह हो गया है, यह पर्यनुयोज्योपेक्षण है । इस निग्रहस्थानसे पराजय मानना अनुचित है, क्योंकि इस उपेक्षासे विपक्षीके पक्षकी सिद्धि या अपने पक्षकी असिद्धि नहीं होती ।

निग्रहस्थान मे न पड़ा हो फिर भी उसका निग्रह बतलाना निरन्युयोज्यानुयोग है ।

अपने पक्षको कमजोर देखकर बातको उड़ा देना विक्षेप है । जैसे—अभी मुझे यह काम करना है फिर देखा जायगा आदि । किसी आकस्मिक घटनासे अगर विक्षेप हो तो निग्रहस्थान नहीं माना जाता ।

अपने पक्षमें दोष स्वीकार करके परपक्षमें भी वही दोष बतलाना मतानुज्ञा है । जैसे—अगर हमारे पक्षमे यह दोष है तो आपके पक्षमें भी है । इससे पराजय मानना अनुचित है क्योंकि पराजय तो तब हो, जब कि अपने पक्षमें दोष तो स्वीकार करले किन्तु परपक्षमें दोष सिद्ध न कर सके । अगर कोई कहे कि तुम प्रतिवादी) चोर हो क्योंकि पुरुष हो । इसके उत्तरमें अगर

प्रतिवादी कहे कि अगर पुरुष होनेसे मैं चोर हूँ तो तुम भी चोर हो । यहा प्रतिवादीका निप्रह मानना अनुचित है ॥

पाच अगों (प्रतिज्ञा आदि) से कमका प्रयोग करना न्यून है और दो दो तीन तीन हेतु दृष्टान्त आदि देना अधिक है । इन्हें निप्रहस्यान मानना विलकुल व्यर्थ है, क्योंकि प्रतिज्ञा और हेतुसे ही काम चल सकता है इसलिये अगर उदाहरण उपनय निगमन का प्रयोग न भी किया जाय तो पराजय नहीं माना जा सकता । अधिक होनेसे भी कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि इससे पराजय, दृढ़ और स्पष्ट होता है । इससे पराजित होनेका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।

स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध वात कहना अपसिद्धान्त है । जैसे—सत्का उत्पाद नहीं, असत्का प्रिनाश नहीं, यह मानकरके भी आत्माका नाश कहना ॥ हेत्वाभासोंका कथन पहिले हो चुका है ।

छठ जाति और निप्रहस्यानों का प्रयोग न करना चाहिये । फिर भी इनके प्रयोग मात्रसे पराजय मानना अनुचित है । प्रयोग करनेवालेका विरोधी, जनक अपने पक्षका मठन और परपक्षका स्थग्नन न यह सके तक उसे विजयी नहीं कह सकते ।

पचम अध्याय ।

नय ।

वस्तुके किसी एक धर्मको जाननेवाले—विषय करनेवाले—ज्ञानको नय कहते हैं । जब हम किसी मनुष्यको देखते हैं तो

१ स्वीकृतागमदिक्षद्वयाप्तनमनसिद्धान्तो नाम निप्रहस्यानम् ।

२ ‘वस्तुन्यनेकामन्यविरोधेन एवर्णणात्साध्यविशेषस्य याथात्म्यप्राप्तं—ममाग्रयोगो नय’ संशार्थमिदि ।

हमें ज्ञान होता है कि यह मनुष्य है, उससमय हमें उसके किसी एक धर्मसे मतलब नहीं रहता, यह प्रमाण है । किन्तु जब हम उसमें अंश कल्पना करने लगते हैं । जैसे—यह अमुकका पिता है अमुकका पुत्र है आदि—तब वह ज्ञान नय कहलाने लगता है । भतलब यह कि प्रमाण, वस्तुके पूर्णरूपको ग्रहण करता है और नय, उसके अंशोंको । प्रमाण तो सब इन्द्रियोंसे हो सकता है लेकिन नय, मनकेद्वारा ही होता है । जब तक हम वस्तुके जाननेके लिये नयका उपयोग न करेंगे तबतक हमें वस्तुका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा ।

प्रश्न—नय प्रमाण है या अप्रमाण ? यदि प्रमाण है तो उससे जुदा क्यों कहा ? यदि अप्रमाण है तो मिथ्याज्ञान कहलाया । वस्तुके ठीक ठीक जाननेके लिये मिथ्याज्ञान की क्या उपयोगिता है ?

उत्तर—नय, न तो प्रमाण है, न अप्रमाण है, किन्तु प्रमाणका एक अंश है । जैसे—एक सिपाहीको सेना नहीं कह सकते और न सेनाके बाहर ही कह सकते हैं किन्तु सेनाका एक अंश कह सकते हैं । उसीतरह नयको प्रमाणका एक अंश कह सकते हैं ।

१ सकलादेशःप्रमाणाधीनःविकलादेशो नयाधीनः ।

२ स्वार्थनिश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत् । स्वार्थैकदेशानिर्णीति-लक्षणो हि नयः स्मृतः । नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः । नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ॥ तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता । समुद्रवहूत्वं (ता) वा स्यात्तच्चेत्का (का) स्तु समुद्रवित ॥ श्लोकवार्तिक । “नयभी वस्तुका निश्चय करानेवाला है इसलिये उसे प्रमाण मानना चाहिये” यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नयके द्वारा वस्तुका नहीं, एके एक अंशका ही निर्णय होता है । नयका विषय, न तो वस्तु है

प्रश्न—यदि नय, वस्तुके एकही धर्मको ग्रहण करते हैं तब तो उन्हें मिथ्याज्ञान ही कहना चाहिये । अनेकधर्मात्मक वस्तुको एकधर्मात्मक ग्रहण करना मिथ्याज्ञान नहीं, तो क्या है ? व्यवहारमें भी ऐसे अधेर ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहते हैं । जैसे—अगर किसी जगह दस आदमी बैठे हों और कोई कहे कि यहाँ एक आदमी बैठा है तो इसे झूठी वात कहेंगे । यद्यपि दसके भीतर एक शामिल है इसलिये वहाँ एक आदमी भी जखर है । फिरभी दसको एक समझना मिथ्याज्ञान ही माना जाता है ।

उत्तर—एक अशका जो ज्ञान, वाकी अशोंका निषेधक हो जाता है वह मिथ्याज्ञान कहा जासकता है । लेकिन जो अश-ज्ञान वाकी अशोंका निषेधक नहीं होता, उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह सकते । जहाँ दस आदमी बैठे हैं वहाँ पर यह कहनेसे, कि एक आदमी है—यह जाहिर होता है कि वाकीके नय नहीं है, इसलिये यह मिथ्याज्ञान है । लेकिन न्यसे दूसरे अशोंका निषेध नहीं होता इसलिये उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह सकते । जो नय दूसरे अशोंका निषेध करते हैं उन्हें नयाभास या मिथ्यानय कहते हैं ।

“ जितने तरहके वचन हैं उतने ही तरहके नय हैं ” इससे दो बातें मात्रम होती हैं । पहिली यह कि नयके अगणित भेद हैं,

न यस्तुके बाहर, किन्तु यस्तुका अंश है । जैसे—समुद्रका विन्दु, न तो समुद्रही है न समुद्रके धार है, किन्तु समुद्रका एक अंश है । अगर एक विन्दुको ऐसी समुद्र मान हिया जाय तो वाकीके विन्दु, समुद्रके बाहर हो जावेगे, अपवा प्रत्येक विन्दु एक एक समुद्र घटाने लगेगा, इसलिये एकही समुद्रमें करोड़ा समुद्रोंका व्यवहार होने लगेगा ।

१ ‘ निषेधा नया मिथ्या सापेक्षा वग्नु तेऽर्थकृत ’ आत्मामासा ।
२ यावत्तो वचनविक्ल्यास्तावन्तो नया ।

दूसरी यह कि नयका वचनके साथ वहुत कुछ सम्बन्ध है । यदि वचनके साथ नयका सम्बन्ध है तो उपचारसे नय, वचनात्मक भी कहा जासकता है अर्थात् प्रत्येक नय, वचनो द्वारा प्रगट किया जासकता है इसलिये वचन को भी नय कहते हैं । इस तरह प्रत्येक नय दो तरह का है भाव नय, और द्रव्यनय । ज्ञानात्मक नयको भाव-नय और वचनात्मक नयको द्रव्यनय कहते हैं ।

नयके मूलमे दो भेद है—निश्चय और व्यवहार । व्यवहार नय को उपनय भी कहते हैं । जो वस्तुके असली स्वरूपको बतलाता है उसे निश्चय नय कहते हैं । जो दूसरे पदार्थके निमित्तसे अन्यरूप बतलाया है उसे व्यवहार नय या उपनय कहते हैं ।

प्रश्न—जब व्यवहार नय वस्तुके स्वरूपको अन्यरूप बतलाता है तब उसे मिथ्यानय ही समझना चाहिये, फिर यहां उसके कहने की क्या जरूरत है ?

उत्तर—व्यवहार नय, मिथ्या नहीं है । क्योंकि जिस अपेक्षासे जिस रूपमें वह वस्तुको विषय करता है उस रूपमें वस्तु पायी जाती है । जैसे—हम कहते हैं ‘धीका घड़ा’ इस वाक्यसे वस्तुके असली स्वरूपका ज्ञान तो नहीं होता अर्थात् यह तो नहीं मालूम होता कि घड़ा मिट्टीका है या पीतलका है या टीनका है ? इसलिये

१ किसी किसने नयके विषयको भी नय कहा है, इसलिये प्रत्येक नय तीन तरहका हो जाता है । सोचिय इको धर्मो वाचयसहो वि तस्स धर्मस्स । तं जाणदि जं णाणं तं तिणिण वि णय विसेसाय ॥ वरतुका एक धर्म, धर्मका वाचक शब्द, और उस धर्मको जाननेवाला ज्ञान, ये तीनों ही नय हैं ।

२ नयानां समीपा उपनयाः ।

इसे निष्ठय नय नहीं कह सकते, लेकिन इससे इतना अवश्य माद्दम होता है कि उस घड़ेमें धी रक्खा जाता है । जिसमें धी रक्खा जाता हो ऐसे घड़ेको व्यवहारमें 'धीका घड़ा' कहते हैं । इसलिये यह बात व्यवहारसे सत्य है और इसीसे व्यवहार नय भी सत्य है । हा । व्यवहार नय मिथ्या तभी कहा जा सकता है जब कि उसका प्रिय, निष्ठयका विषय मान लिया जाय अर्थात् कोई मनुष्य 'धीके घडे' का अर्थ 'धीसे बनाया हुआ घड़ा' समझे । जबतक व्यवहार नय अपने व्याख्यातिक सत्यपर कायम है तबतक उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता ।

निष्ठय नयके दो भेद हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । द्रव्य अर्थात् सामान्यको प्रिय करनेवाला नय द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है । पर्याय अर्थात् विशेषको प्रिय करनेवाला नय पर्यायार्थिक नय कहा जाता है । द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं, नैगम, सप्रद, व्यवहार और पर्यायार्थिक नयके चार भेद हैं, शजुसून, शन्द, समभिरुद्ध और एवमूत ।

नैगम—सकल्पमात्रको विषय करनेवाला नय, नैगम नय कहाजाता है । निंगम शब्दका अर्थ है सकल्प, जो निगम=सकल्पको प्रिय करे यह नैगम नय कहा जाता है । जैसे—कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ । यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है किन्तु जानेका

१ 'तत्र संकल्पमात्रस्य ग्राहको नैगमो नय' श्लोकवार्तिक ।

२ 'सकल्पो निगमस्तत्र भवोऽयम् तत्प्रयोजन' श्लोकवार्तिक ।

३ इस नयका विषय अनेक शान्ति घटाया गया है । तत्त्वार्थ-भाष्य और सिद्धसेन गणीकी टीकाम इस विषयमें लिखा है "निगम्यन्ते परिच्छियन्ते इति निगमा =दीक्षिका अर्था । तेष निगमेषु

सिर्फ संकल्प किया है इसलिये नैगम नय की अपेक्षासे कह दिया कि मैं जारहा हूँ । इसके तीन भेद हैं—भूत नैगम, भावि नैगम, वर्तमान नैगम । अतीत (भूत) में वर्तमानका संकल्प करना भूत नैगम है । जैसे—आजके दिन ही महावीर स्वामी

भवो योऽध्यवसायः ज्ञानाख्यः स नैगमः ” “ यथा लोको व्यवहरति तथानेन व्यवहर्तव्यम् लोकश्चोपदिष्टैः प्रकारैः समस्तैव्यवहरति ” “ निगमेषु=जनपदेषु, ये=इत्यक्षरात्मकानां ध्वनीनां सामान्यनिर्देशः, अभिहिता=उच्चारिताः, शब्दाः, घटादयः, तेषामर्थो=जलधारणादिसमर्थः ” “ अस्य चार्थस्य अयं वाचक इति यदेवंविधमध्यवसायान्तरं स नैगमः ” यहाँ निगम शब्दके दो अर्थ किये गये हैं—शब्दोंके लौकिक अर्थ और देशनगर आदि । इन सब उद्धरणोंका तात्पर्य यह है कि शब्दोंके जितने और जैसे अर्थ, लोकमें माने जाते हैं उनको माननेकी दृष्टि नैगम नय है । इस दृष्टिसे यह आगेके सभी नयोंसे अधिक विषयवाला सिद्ध हो जाता है । श्लोकवार्तिकमें भी दूसरे शब्दोंमें इसका स्वरूप लिखा गया है—यद्वा नैकं गमो योऽत्र स सतां नैगमो मतः । धर्मयोर्धर्मिणो वापि विवक्षा धर्मधर्मिणोः ॥ प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वतः । इत्ययुक्तं इह ज्ञासः प्रधान-गुणभावतः ॥ प्राधान्येनोभयात्मानमर्थगृह्णद्विवेदनम् । प्रमाणं नान्य-द्वित्येतत्प्रपञ्चेन निवेदितम् ॥ धर्मधर्मसमूहस्य प्राधान्यार्पणया विदः । प्रमाणत्वेन निर्णीतेः प्रमाणादपरो नयः ॥ तात्पर्य यह कि नैगमनय, धर्म और धर्मीको ग्रहण करनेवाला है । यहाँ प्रश्न यह होता है कि नैगम नय, दोनोंको विषय करनेसे प्रमाण कहलाने लगेगा तो इसका उत्तर यह है कि—प्रमाण तो धर्म और धर्मी दोनोंको मुख्य रूपसे ग्रहण करता है और नैगमनय, दोनोंमेंसे किसी एकको मुख्य करके और दूसरेको गौण करके ग्रहण करता है । इस अपेक्षासे नैगम नयके तीन भेद किये जाते हैं । द्रव्यनैगम, पर्यायनैगम, द्रव्यपर्यायनैगम । इन तीनोंके भी नव भेद हो गये हैं । इन सबका स्वरूप श्लोकवार्तिकमें देखना चाहिये ।

मोक्ष गये थे । 'आज' का अर्थ है वर्तमान दिवस, लेकिन उसका सकल्प हजारों वर्ष पहिले के दिन (दीपमालिका दिवस) में किया गया है, इसलिये यह भूत नैगम कहलाता है । मविष्यमें भूतका सकल्प करना भावि नैगम है । जैसे—अरहत, (जीवन-मुक्त) सिद्ध (मुक्त) ही हैं । कोई कार्य शुरू कर दिया गया, और वह पूर्ण न हुआ हो किर भी 'पूर्ण हुआ' कहना वर्तमान नैगम है । जैसे रसोईके प्रारम्भमें ही कहना कि आज तो भात बनाया है ।

एक शब्दके द्वारा अनेक पदार्थोंका प्रहण करना सग्रह नय है । जैसे जीवके कहनेसे सभी त्रस स्थानर आदिका प्रहण करना । इसके दो भेद हैं—सामान्य (पर) सप्रह, विशेष (अपर) सप्रह । सर द्रव्योंको प्रहण करनेवाला सामान्य सग्रह है जैसे—द्रव्यके कहनेसे जीव और अजीव समीका सप्रह हो गया । बुउ द्रव्योंको सप्रह करनेवाले नयको विशेष सग्रह कहते हैं । जैसे—जीवके कहनेसे सब जीव द्रव्योंका सप्रह तो हुआ परन्तु अजीव रहगया इसलिये यह विशेष सप्रह कहलाया ।

सप्रह नयसे प्रहणकियेगये पदार्थका योग्य रीतिसे विभाग करनेवाला व्यवहार नय है । इसके दो भेद हैं सामान्यभेदक, विशेषभेदक । सामान्य सप्रहमें भेद करनेवाला सामान्यभेदक

१ एष्टेन विशेषाणां प्रहण सप्रहो नय । सजातेरविरोधेन हृष्टेषाम्यां कथन ।

२ सप्तहेण गृहीतानामर्थानां विधिपूर्वक । योवरात्रो विभाग स्याद्वश्चत्तरो नय स्मृत । व्यवहार शब्दका याँ उपचार अर्थ नहीं है किंतु विभागित करना अर्थ है—नेत्रस्तत्या व्यवहितते इति व्यवहार ।

प्री प्रात्पुरात्पूर्वी द्वान् रत्निरै प्रपुरु
व्यवहार है। जैसे—द्रव्यके दो भेद हैं जीव और अजीव।
विशेष संप्रहमें भेद करनेवाला विशेषभेदक व्यवहार है।
जैसे—जीवके दो भेद हैं संसारी और मुक्त।

वर्तमान पर्याय मात्रको विपय करनेवाला क्रज्जुसूत्र नय है।
इसके भी दो भेद है। सूक्ष्म क्रज्जुसूत्र, स्थूल क्रज्जुसूत्र, । जो एक
समय मात्रकी वर्तमान पर्यायको ग्रहण करे उसे सूक्ष्म क्रज्जुसूत्र
कहते हैं जैसे शब्द क्षणिक है। अनेक समयकी वर्तमान पर्यायको
जो ग्रहण करता है उसे स्थूल क्रज्जुसूत्र कहते हैं। जैसे—सौ वर्षकी
मनुष्य पर्याय।

यहां तक जो चार नय (नैगम, संग्रह, व्यवहार, क्रज्जुसूत्र)
कहे गये हैं वे अर्थनय कहलाते हैं। और आगे जो तीन नय
कहे जायेंगे वे शब्दनय कहलाते हैं। यद्यपि हम पहिले कह
चुके हैं कि सभी नय ज्ञानात्मक और शब्दात्मक होते हैं इसलिये
सातों नय शब्दात्मक है लेकिन यहां शब्दका मतलब शब्दात्मकसे
नहीं है इसलिये अर्थ नय और शब्द नय, ये भेद यहां बन
सकते हैं। नैगम आदि चारों नय अर्थप्रधान है, क्योंकि इनमें
शब्दके लिंग आदि बदलजाने परभी अर्थ में अन्तर नहीं आता,
इसलिये ये अर्थ नय कहलाते हैं। और शब्द नयों (शब्द,
समभिखृद्, एवंभूत) में शब्दोंके लिंग आदिके बदलनेसे अर्थ-

१ कालके सबसे छोटे अंशको समय कहते हैं, एक मिनिटमें
असंख्य समय होते हैं।

२ सर्वे शब्दनयास्तेन परार्थप्रतिपादने। स्वार्थप्रकाशने मातुरिमें ज्ञान—
स्थिताः। श्लो. वा.।

बदल जाता है अर्थात् लोकमें प्रचलित साधारण अर्थमें कुछ परिवर्तन हो जाता है इससे ये शब्द नय कहलाते हैं । इसका यह मतलब नहीं है कि इन नयोंके द्वारा बतलाया गया अर्थ कभी काम में नहीं आता, विशेष अवसरों पर इन नयोंकी अपेक्षा भी व्यवहार किया जाता है । जैसा कि आगेके विवेचनसे मालूम होगा ।

पर्यायवाची शब्दोंमें भी लिंग आदिके भेदसे अर्थभेद बतलाने वाला शब्द नय है । वास्तवमें शब्दमें कोई लिंग नहीं होता । मुँहसे निकला हुआ शब्द जड़ पदार्थ है उसे पुरुष, लौटी, या नपुसक नहीं कह सकते, फिर भी उसमें लिंगव्यवहार होता है । इसका कारण उसका अर्थ है । अर्थमें जैसा लिंग होता है या जिस लिंगके समान उसमें सदृशता होती है वही लिंग, शब्दका लिंग मान लिया जाता है । यह कहना कठिन है कि किस भाषामें किस शब्दका लिंग, अर्थकी किस समानताको लेकर किया जाता है । फिर भी शब्दके लिंगमें भेद होना, अर्थकी भिन्नतासे सम्बन्ध अपश्य रखता है । किसी शब्दके अर्थमें कोमलता लघुता सुन्दरता निर्वलता आदि देखकर उसे लौटीलिंग कह दिया जाता है, इससे उल्टे धर्मोंको देखकर पुष्टिलिंग कह दिया जाता है । इन्हीं अनेक

१ जिस समय किसी शब्दका सबसे पहिले प्रचलित अर्थमें व्यवहार किया गया होगा उस समय लोगोंके हृदयमें यथा भावना थी जिससे प्रेरित होकर उनने उस शब्दको लौटीलिंग या पुष्टिलिंग आदि समझा, यह खोजका विषय है । हाँ ! कुछ शब्दोंके विषयमें निश्चित रूपसे कहा जा सकता है । और इसी परसे बाकी शब्दोंका अनुमान किया जा सकता है ।

२ जहाँ स्मृति और पुरुषत्वसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता वही नपुसक लिंग माना जाता है हिन्दी भाषामें इसका व्यवहार नहीं होता ।

धर्मोंके कारण एक ही अर्थके वाचक शब्द, जुदी जुदी भाषा-ओमें जुदे जुदे लिंगोंके कहे जाते हैं । इसीलिये शब्द नय कहता है कि जहाँ लिंग आदिका भेद है वहाँ अर्थमें भी अवश्य भेद है । जैसे पहाड़ पहाड़ी, नद नदी, आदि शब्दोंका अर्थ एकसा है फिर भी लिंगके भेदने कुछ अर्थभेद कर ही दिया है । छोटे पहाड़को पहाड़ी (पहाड़िया), बड़ी नदीको नद कहते हैं । इससे मालूम होता है कि लिंगभेद, अर्थभेदमें कारण है । हाँ ! यह हो सकता है कि लिंगभेदसे होनेवाले अर्थभेदका व्यवहार लुप हो गया हो । उपमा रूपक आदिमें तो लिङ्गभेदकी उपयोगिता कुछ अधिक मालूम होने लगती है । जैसे—मुक्ति और मोक्ष पर्यायवाची शब्द हैं फिर भी जिस प्रकार ‘ मुक्तिवधूने वरलिया ’ अच्छा मालूम होता है , उस प्रकार ‘ मोक्षवधूने वरलिया ’ अच्छा नहीं मालूम होता । इसका कारण दोनों शब्दोंका लिंगभेद ही है । इसी प्रकार यह नय, संख्या आदिके भेदसे भी अर्थभेद मानता है ।

‘ जहाँ शब्दका भेद है वहाँ अर्थका भेद अवश्य है ’ इस प्रकार बतलानेवाला समभिस्तु नैय है । शब्द नय तो अर्थ-भेद वहीं बतलाता है जहाँ लिंग आदिका भेद होता है । परन्तु इस नय की दृष्टिमें तो प्रत्येक शब्दका अर्थ जुदा जुदा है । भले ही वे शब्द, पर्यायवाची हों और उनमें लिंग संख्या आदिका भी भेद न हो । इन्द्र और पुरन्दर शब्द पर्यायवाची है फिर भी इनके अर्थमें अन्तर है । इन्द्र शब्दसे ऐश्वर्यवालेका बोध होता है और

१ पर्यायशब्दभेदेन भिन्नार्थस्याधिरोहणात् । नयः समभिस्तुः चा ॥ निश्चयः ॥ श्लो. वा.

पुरन्दरसे पुरों (नगरों) के नाश करनेवालेका । दोनोंका आधार एक ही व्यक्ति है इसलिये ये शब्द पर्यायवाची बन गये हैं किन्तु इनका अर्थ जुदा जुदा ही है । इसीतरह प्रत्येक शब्द मूलमें तो पृथक् अर्थका बतलानेवाला होता है, फिर कालान्तर में एकही व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त होते होते पर्यायवाची बन जाता है । समभिरूढ़ नय उसके प्रचलित अर्थको नहीं, मूल अर्थको पकड़ता है यही इसकी विशेषता है ।

जिस शब्दका अर्थ जिस क्रियारूप हो उस क्रियामें लगे हुए पदार्थको ही उस शब्दका नियम करना एवं भूतनैय है । समभिरूढ़ नयसे प्रत्येक शब्दका जुदा जुदा अर्थ जाना जाता या, और शब्दके अर्थवाले पदार्थको हम जग चाहे उस शब्दसे कह सकते थे, लेकिन इस नयसे तो सिर्फ़ उसी समय कोई पदार्थ उस शब्दसे कहा जा सकता है जग कि वह अर्थके अनुसार क्रिया कररहा हो । जैसे पूजा करते समय ही किसीको पुजारी कहना । युद्ध करते समय ही सैनिक कहना । प्रत्येक शब्दका अर्थ किसी न किसी क्रिया का बतलानेवाला होता है । सस्कृत भाषाका व्याकरण तो इतना समृद्ध है कि उससे प्रत्येक शब्दकी उत्पत्ति किसी न किसी धातुसे सिद्ध कर दी गई है । अन्य भाषाओंमें भी अनेक शब्द किसी न किसी धातुसे सम्बन्ध रखने-

१ हिन्दू पुराणोंके अनुसार इन्द्रने एकबार नगर नष्ट किये थे ॥

२ यूरोपके किसी महाकविने कहा है । सासार की किसी भी भाषामें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका पर्यायवाची शब्द हो ॥

३ तत्त्वियापरिणामोऽर्थस्त्येवेति विनिश्चयात् । एवमूतेन नीयेत क्रियातरपराह्नमुस । श्लो वा ॥

वाले सिद्ध किये गये हैं । फिर भी अनेक शब्दों की धातुओंका पता नहीं है, इसका कारण यही है कि हजारों वर्ष पहिलेका सारा इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है । वह बात विलकुल ठीक है कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी क्रियासे सम्बन्ध रखता है । समझिरुद्ध नय, एक समय, क्रिया देखकर सर्वदा उस शब्दका प्रयोग करेगा जब कि एवंभूतनय, जब तक क्रिया हो रही है तभी तक उस शब्दका प्रयोग करेगा । व्यवहार में इस नयका प्रयोग भी बहुत होता है । जबतक कोई राजकर्मचारी अपने काम (डचूटी) पर रहता है तबतक अगर उसके साथ कोई दुर्घटव्यहार किया जाय तो राजा (गवर्नरमेण्ट) उसका पक्ष लेता है, दूसरे समयमें साधारण प्रजाकी तरह उसका विचार किया जाता है । इसका कारण यह है कि राजा, एवंभूत नयसे अपने कर्मचारिके साथ व्यवहार करता है । इसी एवंभूत नयकी बदौलत ही कोई व्यक्ति, अपने व्यक्तिलिंगको अपने पदसे अलग करके बताता है । “मैं गवर्नरकी हैसियतसे नहीं, एक मित्रकी हैसियतसे मिलना चाहता हूँ” “मैं राजा नहीं, अतिथि हूँ” इत्यादि प्रयोगोंमें एवंभूत नयकी अपेक्षासे ही शब्दका अर्थ करना चाहिये । इन सातों नयों में पहिले पहिलेके नय, बहुत या स्थूल विषयवाले हैं और आगे आगेके नय, अल्प या सूक्ष्म विषयवाले हैं । नैगम नयका विषय सत् और असत् दोनों ही पदार्थ है क्योंकि

१ जब महात्मा गांधी जी लंकाके गवर्नरसे मिले थे तब उनने कहा था कि मैं गवर्नरसे नहीं, अपने मित्रसे मिला था ।

२ पूर्वपूर्वों नयों भूमाविषयः कारणात्मकः । परः परः पुनः सूक्ष्मगोचरो । श्लो. वा. ।

सद् और असत् दोनों में सकल्प होता है । सप्रह नयमें सिर्फ सद् ही विषय किया जाता है । व्यवहार, सप्रहके टुकड़ोंको जानता है । व्यवहारसे ऋजुसूत्र पतला है क्योंकि ऋजुसूत्रमें सिर्फ वर्तमान कालकी पर्याय ही विषय होती है । ऋजुसूत्रसे शब्द नय पतला है क्योंकि ऋजुसूत्रमें तो लिंग आदिक का भेद होने पर भी अर्थ—भेद नहीं माना जाता, जब कि शब्दमें माना जाता है । शब्दसे समभिरूढ़, और सनभिरूढ़से एवभूत नयका विषय पतला है यह बात उन नयोंके विवेचनमें ही समझाकर कहँदी गई है । व्याप्रहारिक दृष्टिमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका विवेचन किया गया । जहाँ दार्शनिक रीतिसे आत्माका विवेचन किया जाता है ऐसे अध्यात्म प्रकरणोंके लिये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का विवेचन कुठ दूसरे ढगका है इसलिये इनके भेद भी दूसरे हैं । इस दृष्टिसे द्रव्यार्थिकके दस्त भेद हैं—कर्म आदिकी उपाधिसे अटग शुद्ध आत्माको प्रियकरनेवाला कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है । जसे—ससारी आत्मा, मुक्तात्माके समान शुद्ध

१ सन्मानविषयत्वेन संग्रहस्य न युज्यते । महाविषयताभावाभावार्थाभेगमाभ्यात् । श्लो वा ।

२ नर्जुसूत्र प्रभूतार्था वर्तमानार्थगोचर । कालवितयवृत्त्यर्थगोचरा द्रव्यवहारत । श्लो वा ।

३ कालादिभेदतोऽप्यर्थमभिन्नमुपगच्छत । नर्जुसूत्रामार्थोऽपि शब्दस्तद्विपरीतवत् । श्लो वा ।

४ शब्दात्पर्यायभेदेनाभिन्नमर्थमभीप्तिन । न स्यात्समभिरूढोपि महार्थस्ताद्विपर्यय ॥ त्रियाभेदेवि चाभिन्नमर्थमभ्युपगच्छत । नैवभूत प्रभूतार्थो नय समभिरूढत । श्लो वा ।

है । उत्पाद (नवीन पर्यायका पैदा होना) व्यय (पर्यायका नाश) को छोड़कर सत्तामात्रको विषय करनेवाला सत्ताग्राहकशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है । जैसे—जीव नित्य है । भेद विकल्पों की अपेक्षा न करके अभेद मात्रको विषय करनेवाला भेदविकल्प-निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है । जैसे—गुण पर्याय (अवस्था) से द्रव्य अभिन्न है । कर्मोंकी उपाधि सहित द्रव्यको ग्रहण करनेवाला कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है । जैसे—क्रोध, आत्माका स्वभाव है । द्रव्यको उत्पाद व्यय सहित ग्रहण करनेवाला उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है । जैसे—द्रव्य प्रतिसमय उत्पादव्ययघौव्यसहित है । भेदकी अपेक्षा रखने

१ जैन दर्शनमें प्रत्येक द्रव्य, प्रति समय उत्पादव्ययघौव्यरूप है । अर्थात् उसमें प्रतिसमय एक नई अवस्था पैदा होती है और पुरानी अवस्था नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य, ध्रुव (नित्य) है । जिस प्रकार एक कोष (वैक) में प्रतिदिन आमदनी और खर्च होता है फिर भी सिलक बनी रहती है उसी प्रकार द्रव्यमें भी उत्पाद (आमदनी) व्यय (खर्च) ध्रौव्य (सिलक) सदा होते हैं । एक मनुष्य बालकसे जवान हो जाता है तो उसमें बालकपनका व्यय और जवानीका उत्पाद है । किन्तु मनुष्यताकी दृष्टिसे वह कायम है, इसलिये उसमें ध्रौव्य भी है । इसीतरह प्रत्येक वस्तुमें समझना चाहिये । हाँ ! आकाश आदि अमूर्तिक और अतीन्द्रिय वस्तुओंमें उत्पाद व्यय नजर नहीं आता इसका कारण उन द्रव्योंकी सूक्ष्मता है । फिर भी हम अनुमानसे उनके उत्पाद ध्ययको भी जान सकते हैं—प्रत्येक द्रव्यका कुछ काम अवश्य रहता है जैसे आकाशका काम जगह देना या कालका काम परिवर्तन कराना है । जगह लेने देनेमें या बाहिरी परिवर्तन करनेमें जब बाह्य पदार्थोंमें परिणमन होता है तब इन निमित्त द्रव्यों (काल आकाश

वाला भेदकर्त्तव्यनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है । जैसे—
ज्ञान दर्शन आदि, जीवके गुण हैं । जीवसे ज्ञानदर्शन पृथक्
नहीं है किन्तु गुणगुणीका भेद मानकर यहा व्याख्यान किया
गया है । गुणपर्यायोंमें द्रव्यकी अनुवृत्ति बतलाने वाला अन्यथ
द्रव्यार्थिक है । जैसे—द्रव्य, गुणपर्यायरूप है । जो स्वद्रव्य स्वक्षेप
स्वकाल स्वभाव की अपेक्षासे द्रव्यको सत् रूप प्रहण करता है
उसे स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक कहते हैं । जैसे—स्वचतुष्टय
(स्वद्रव्यक्षेपकालभाव) की अपेक्षा द्रव्य है । परचतुष्टय की
अपेक्षा द्रव्यको असत् रूप प्रहण करनेवाला परद्रव्यादिग्राहक
द्रव्यार्थिक है । जैसे परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है । जो परम
(मुख्य) भावको प्रहणकरनेवाला नय है उसे परमभावग्राहक
द्रव्यार्थिक नय कहते हैं । जैसे—आत्मा, ज्ञानस्थरूप है ।

इसी आध्यात्मिक कथनकी अपेक्षासे पर्यायार्थिक नयके छ भेद
हैं । स्थूलताकी दृष्टिसे अनादि नित्यपर्यायिको प्रहण करनेवाला
अनादिनित्यपर्यायार्थिक नय है । जैसे मेरुपर्याय नित्य है ।

आदि) में भी परिवर्तन अनिवार्य है । कार्यके भेदसे कारणमें भेद,
कार्यके परिणमनसे कारणमें परिणमन मानना ही चाहिये । यह हो
नहीं सकता कि कुम्हारके चक्रपर मिठी तो नाना आकार घारण करके
पढ़ा घन जाय और कुम्हार में या उसके हाथोंमें कुछ भी क्रिया न
हो । इसलिये जग काल द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्याम परिवर्तन होगा,
तब कुछ न कुछ काल द्रव्यमें भी होगा । परिवर्तन, उत्पाद व्ययके
विना हो नहीं सकता, क्योंकि एक अवस्थाका जाना (व्यय) और
दूसरी अवस्थाका आना (उत्पाद) ही परिवर्तन कहलाता है इसलिये
प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय परिवर्तनशील और नित्य, अर्थात् उत्पाद-
व्ययघोष्यसहित है ।

है । उत्पाद (नवीन पर्यायका पैदा होना) व्यय (पर्याय को छोड़कर सत्तामात्रको विषय करनेवाला सत्ता द्रव्यार्थिक नय है । जैसे—जीव नित्य है । भेद वि अपेक्षा न करके अभेद मात्रको विषय करनेवाला भे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है । जैसे—नुण पर्याय (अ द्रव्य अभिन्न है । कर्मोंकी उपाधि सहित द्रव्यको ग्र वाला कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है । जै आत्माका स्वभाव है । द्रव्यको उत्पाद व्यय सहित ग्र वाला उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है । प्रतिसमय उत्पादव्ययधौव्यसहित है । भेदकी अपेक्ष

१ जैन दर्शनमें प्रत्येक द्रव्य, प्रति समय उत्पादव्ययधौ अर्थात् उसमें प्रतिसमय एक नई अवस्था पैदा होती है । अवस्था नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य, शुब (नित्य) है । १ एक कोष (बैंक) में प्रतिदिन आमदनी और सर्व होता ; सिलक बनी रहती है उसी प्रकार द्रव्यमें भी उत्पाद (आमदन) (सर्व) धौव्य (सिलक) सदा होते हैं । एक मनुष्य बालव हो जाता है तो उसमें बालकपनका व्यय औरं जवानीका किन्तु मनुष्यताकी दृष्टिसे वह कायम है, इसलिये उसमें धौव्य इसीतरह प्रत्येक वस्तुमें समझना चाहिये । हाँ ! आका अमूर्तिक और अतीन्द्रिय वस्तुओंमें उत्पाद व्यय नजर नह इसका कारण उन द्रव्योंकी सूक्ष्मता है । फिर भी हम अनुमान उत्पाद ध्ययको भी जान सकते हैं—प्रत्येक द्रव्यका कुछ का रहता है जैसे आकाशका काम जगह देना या कालका काम कराना है । जगह लेने देनेमें या बाहरी परिवर्तन करनेमें ज पदार्थोंमें परिणमन होता है तब इन निमित्त द्रव्यों (काल १

गुण (सहमावी विशेष) को विषय करनेवाले गुणार्थिक नव्यकी क्या आवश्यकता है?

उपनय अर्थात् व्यवहार नयके तीन भेद हैं। सद्भूत, असद्भूत और उपचरित् । अभिज्ञ वस्तुओं मेदरूपसे विषय करनेवाला सद्भूत व्यवहारनय है। जैसे आल्मा और ज्ञान जुदे जुदे हैं। इसके दो भेद हैं—शुद्ध गुणगुणी या अशुद्ध पर्यायपर्यायीको विषय करनेवाला शुद्धसद्भूत व्यवहार और अशुद्ध गुणगुणी या अशुद्ध पर्यायपर्यायीको विषय करनेवाला अशुद्धसद्भूतव्यवहार ।

मिळाई हुईं मिज वस्तुओं या मिज धर्मोंको एकरूप विषय करने-वाला असद्भूत व्यवहारनय है। वह स्वजाति, विजाति, स्वजाति-विजानि, इसतरह तीन प्रकारका है। परमाणुको बहुप्रदेशी समझना स्वजात्यसद्भूत व्यवहार है। उसारी सुखको मूर्तिक समझना विजात्यसद्भूत व्यवहार है जीव और अजीव दोनों ही ज्ञानके विषय हैं इसलिये दोनोंको ज्ञानरूप विषय करना स्वजातिविजात्य सद्भूत व्यवहार नये हैं।

विट्ठुउड मिज (नहीं मिळी हुईं) वस्तुओंको किसी प्रयोजन (प्रयोगासिद्धि आदि) या निमित्तको देखकर अमेदरूपसे ग्रहण करना उपचरित् प्रयोगासनय है। इसके भी स्वजाति, विजाति, स्वजातिविजाति ऐसे तीन भेद हैं। 'यह मेरा मिज है' इम-

१. इनमेंसे प्रदेहके नव नय भेद होते हैं। (१) द्रव्यमें द्रव्यका जारोप, (२) द्रव्यमें गुणका जारोप, (३) द्रव्यमें पर्यायका जारोप। इनी प्रहार गुणमें तीनों आरोप और पर्यायमें तीनों जारोप, इसतरह नव हुए। प्रदेहके नव नय, हठापाह असद्भूत व्यवहारके कुठ २७ भेद हुए।

२. मुम्पाभावं लाति प्रयोगने निमित्त चीजेवार प्रयोगते।

चृष्टान्तमें मित्र सजातीय है क्योंकि मैं भी जीव हूँ मेरा मित्रभी जीव है । इसलिये यह सजाति उपचरित व्यवहारनय कहलाया । यह मकान मेरा है यह विजाति उपचरित व्यवहार है । यह देश मेरा है यह मिश्र (सजातिविजाति) उपचरित व्यवहार नय कहलाया । क्योंकि देशमें जीव और अजीव दोनोंका समावेश होता है । --- अध्यात्म प्रकरणोंमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंका विवेचन कैसा होता है यह बात हम कह चुके हैं । यहांपर अध्यात्म प्रकरणोंके अनुसार निश्चय व्यवहार और उसके भेद प्रभेदोंका निरूपण किया जाता है ।

नयके मूलभेद दो हैं । निश्चय और व्यवहार । अभेदरूप विषय करनेवाला निश्चय और भेदरूप विषय करनेवाला व्यवहार है । निश्चयके दो भेद हैं । शुद्ध गुणगुणीको (जैसे जीव और केवल ज्ञान) अभेदरूप विषय करनेवाला शुद्ध (निरूपाधिक) निश्चयनय और अशुद्ध गुणगुणी (जैसे जीव और रागद्वेष) को विषय करनेवाला अशुद्ध (सोपाधिक) निश्चयनय है ।

व्यवहार नयके भी दो भेद हैं । सद्भूत व्यवहारनय और असद्भूत व्यवहारनय । एक वस्तुमें भेद विषय करनेवाला सद्भूतव्यवहारनय है । इसके भी दो भेद हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार । सोपाधिक गुणगुणीमें भेद ग्रहण करनेवाला उपचरित सद्भूत और निरूपाधिक गुणगुणीमें भेद ग्रहण करनेवाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है ।

भिन्न वस्तुओंमें सम्बन्धको विषय करनेवाला असद्भूत व्यवहार नय है । इसके भी दो भेद हैं । उपचरित असद्भूत व्यवहार और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार । संश्लेषरहित वस्तुमें सम्बन्धको

*
विषय करनेवाला उपचरित असद्भूत है । जैसे—धनधान्यादिक मेरा है । सक्षेप सहित वस्तुमें सम्बन्धको विषय करनेवाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है । जैसे—मेरा शरीर । यद्यपि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं परन्तु एक स्थानपर दोनों रहती हैं इसलिये इनका सक्षेप है ।

अध्यात्म शास्त्रकी दृष्टिसे सक्षेपमें कहे गये ये छ भेद पहिले बतलाये गये नयोंके भेदोंमें शामिल हो जाते हैं । जैसे—शुद्ध निष्ठयनय, भेदविकल्पनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकमें, अशुद्धनिष्ठयनय, कर्मोपाधिसापेक्षअशुद्धद्रव्यार्थिकमें, उपचरित सद्भूत व्यवहारनय, अशुद्धसद्भूतव्यवहारमें, अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय, शुद्धसद्भूत व्यवहारमें, उपचरित और अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनय, उपचरितव्यवहारनयमें शामिल हैं ।

नयोंके सैकड़ों भेद होते हैं । जितने तरहके वचन या वचनके अभिप्राय हैं, उतनेही तरहके नय हैं । किसी तरहका प्रयोग करते समय इतना स्मरण रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही नहीं है । दूसरी दृष्टिसे दूसरे तरहकी भी है ।

नयरहस्यको समझनेवाला मनुष्य, उदार और विचारसहिष्णु होता है । साधारणत मनुष्य अपनेही ज्ञानको सच्चा समझता है । ऐसी हालतमें एक तरहकी सर्वज्ञमयता उसके भीतर छिपी रहती है । ऐसा आदमी वह महामूर्ख है जिसे अपनी मूर्खता (अज्ञान) का भी पता नहीं है । नयदृष्टि, उसके इस अज्ञानको दूर कर देती है । उसे विनिधि भतों (विचारों)में समन्वय करनेकी योग्यता प्राप्त होजाती है । वह उदार, सहिष्णु, जिज्ञासु और सत्यपथकान्तिक होता है ।

छठवाँ अध्याय ।

निष्केप ।

निष्केप शब्दका अर्थ है रखना, आरोप करना । शब्दका अर्थमें अथवा अर्थका शब्दमें जिस तरह आरोप किया जाता है, उसे निष्केप कहते हैं । अथवा पदार्थकी संज्ञा (नाम) रखना निष्केप है । प्रत्येक शब्दके कमसे कम कितने अर्थ होसकते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर हमें निष्केपसे ही मिलता है । किसी शब्दके भलेही सैकड़ों अर्थ किये जावें अर्थात् सैकड़ों अर्थोंमें उसका निष्केप किया जाय, किन्तु उनके, नाम स्थापना द्रव्य और भावके द्वारा अर्थ अवश्य होंगे । ये ही चार निष्केप हैं ।

प्रश्न—नय और निष्केपमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—नय, ज्ञानात्मक है उसके द्वारा वस्तुका ज्ञान होता है । इसलिये पदार्थके साथ उसका विषयविषयी सम्बन्ध है । शब्द और अर्थका वाच्यवाच्क सम्बन्ध है । इस वाच्यवाच्क सम्बन्धके स्थापनकी क्रिया निष्केप है । यह वाच्यवाच्क सम्बन्ध और उसकी क्रिया नयसे जानी जाती है इसलिये निष्केप भी नयका विषय है । तात्पर्य यह कि नय और निष्केपमें विषयविषयभाव है ।

निष्केपके चार भेद हैं । नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । लोक-व्यवहार चलानेके लिये किसी दूसरे निमित्तकी अपेक्षा न रखकर किसी पदार्थकी कोई संज्ञा रखना नामनिष्केप^३ है । नाम निष्केपमें

१ न्यसनं, न्यसतः इति वा न्यासो निष्केपः इत्यर्थः । राजवार्तिक ।

२ निष्केपविधिना नामशब्दार्थः प्रस्तीर्यते, सर्वार्थसिद्धि ।

३ संज्ञाकर्मानपेक्षयैव, निमित्तान्तरमिष्टिः । नामानेकविधं लोक-व्यवहाराय सूचितं । श्लोकवार्तिक ॥

सिर्फ वक्ताका अभिप्रायही निमित्त है । जाति (सादृश्य) आदि निमित्त नहीं हैं । जैसे किसी पुरुषका नाम महारीर है । यह नाम, गुणोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता । लोकायत्तार चलानेकेलिये प्रत्येक मनुष्यका कुछ न कुछ नाम रखना चाहिये, इसलिये एक आदमीका महारीर नाम रखदिया गया । ऐसे नामसे वीरताका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न—अगर किसी ऐसे पुरुषका नाम महारीर रखा जाय जिसमें भि वीरता आदि गुण हों तो क्या उसके नाममें भी नामनिष्ठेप माना जायगा ?

उत्तर—वस्तुमें गुण भले ही हों, परन्तु जगतक गुण की अपेक्षासे शब्दव्ययहार न किया जाय, तब तक नामनिष्ठेप ही माना जाता है । अगर 'महारीर' नाम, गुणकी अपेक्षासे ही रखा जाय तो विशेषवीरताधारे सभी व्यक्तियोंका नाम महारीर रखना पड़ेगा । ऐसी हालतमें नामनिष्ठेपकी उपयोगिता ही नष्ट हो जायगी । 'महारीर' तो सचे महारीर थे, इस वाक्यमें पहिला महारीर शब्द, नाम निष्ठेपकी अपेक्षासे है और दूसरा महारीर शब्द, भारनिष्ठेपकी अपेक्षासे, क्योंकि पहिले महारीर शब्दसे निसी व्यक्तिका बोध होता है । जब कि दूसरे से फिसी गुणीका ।

किमी वस्तुमें फिसी अन्य वस्तुकी स्थापना करके उसी शब्दसे कहने दगना स्थापना निष्ठेप है । जैसे—पत्थर में फिसी देवकी स्थापना करके देव शब्दसे कहने दगते हैं । अथवा जैसे—शतरंज की गोटोंमें राजा यन्नीर आदिकी स्थापना यही जानी है । स्थापनाके

१ नाम्नो वक्त्राभिप्रायो निमित्तं कथितं सम । तस्मादन्यनु जायादि निमित्तान्तरमिष्यते । क्षणं वा ॥

छठवां अध्याय ।

निक्षेप ।

निक्षेप शब्दका अर्थ है रखना, आरोप करना । शब्दका अर्थमें अथवा अर्थका शब्दमें जिस तरह आरोप किया जाता है, उसे निक्षेप कहते हैं । अथवा पदार्थकी संज्ञा (नाम) रखना निक्षेप है । प्रत्येक शब्दके कमसे कम कितने अर्थ होसकते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर हमे निक्षेपसे ही मिलता है । किसी शब्दके भलेही सैकड़ों अर्थ किये जावें अर्थात् सैकड़ों अर्थोंमें उसका निक्षेप किया जाय, किन्तु उनके, नाम स्थापना द्रव्य और भावके द्वारा अर्थ अवश्य होंगे । ये ही चार निक्षेप हैं ।

प्रश्न—नय और निक्षेपमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—नय, ज्ञानात्मक है उसके द्वारा वस्तुका ज्ञान होता है । इसलिये पदार्थके साथ उसका विषयविषयी सम्बन्ध है । शब्द और अर्थका वाच्यवाचक सम्बन्ध है । इस वाच्यवाचक सम्बन्धके स्थापनकी क्रिया निक्षेप है । यह वाच्यवाचक सम्बन्ध और उसकी क्रिया नयसे जानी जाती है इसलिये निक्षेप भी नयका विषय है । तात्पर्य यह कि नय और निक्षेपमें विषयविषयभाव है ।

निक्षेपके चार भेद हैं । नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । लोक-व्यवहार चलानेके लिये किसी दूसरे निमित्तकी अपेक्षा न रखकर किसी पदार्थकी कोई संज्ञा रखना नामनिक्षेप^१ है । नाम निक्षेपमें

१ न्यसनं, न्यसतः इति वा न्यासो निक्षेपः इत्यर्थः । राजवार्तिक ।

२ निक्षेपविधिना नामशब्दार्थः प्रस्तीर्यते, सर्वार्थसिद्धि ।

३ संज्ञाकर्मानपेक्षयैव, निमित्तान्तरमिष्टितः । नामानेकविधं लोक-१११. सूत्रितं । श्लोकवार्तिक ॥

उत्तर—कई भोले लोग अपने देवतामें अधिक भक्ति होनेसे उसके नामबाले प्रत्येक मनुष्यमें उस देवताकी शीघ्र स्थापना करलेते हैं । इसका कारण नाम नहीं है, किन्तु नामको देखकर कीर्गद्वा स्थापना है । यह स्थापना बहुत शीघ्र की जाती है, दोनोंका अवलम्बन भी एक व्यक्ति होता है, स्थापनाका निमित्त भी नाम बन जाता है, इसलिये स्थापनामें नामका भ्रम हो जाता है । वास्तवमें दोनोंमें अन्तर है । मूर्तिपूजाका विरोधी हो या अविरोधी, उसे भी स्थापनामें आदर अनादर बुद्धि करना पड़ता है । यह बात दूसरी है कि मूर्तिपूजाका विरोधी मूर्तिमें स्थापना ही न करे । जो स्थापना ही नहीं करता वह आदर अनादर बुद्धि क्यों करेगा ? हा । अगर वह स्थापना करे तो आदरअनादरबुद्धि भी करेगा । मूर्तिपूजाका विरोधी भी पाच रूपयेके नोटको पाच रूपयेके समान आदरणीय समझता है । जो किसी एक जगह स्थापना नहीं मानना चाहता वह वहा न माने, परन्तु इससे स्थापनाका समस्त व्यवहार नष्ट नहीं हो जाता ।

प्रश्न—स्थापना, नामबाले पदार्थकी कीजाती है और नामका व्यवहार तो चारों निष्केपोंसे होता है इसलिये किसनामबाले पदार्थ-की स्थापना करना चाहिये ?

उत्तर—चारों तरहके नामोंसे स्थापनाका सम्बन्ध है । महानीर राम कृष्ण आदिकी मूर्तियोंमें जो स्थापनाकी जाती है वह नामनिष्केपसे रखेगये नामबाले व्यक्तियोंकी स्थापना है । पार्श्वनाथकी मूर्तिके चित्रमें पार्श्वनाथकी स्थापना करना, स्थापना निष्केपसे

१ नाम्नि कस्यचिदादरदशनोन्न ततस्तद्देव इतिचेन्न, स्वदेवतायामति-भक्तिनस्तन्नामकेऽर्थं तदध्यारोपस्याशुद्धतेत्स्थापनायामेवाद्रावतारात् ।

रखेगे नामवाली वस्तुकी स्थापना है । पार्श्वनाथ की मूर्तिको स्थापनानिक्षेपसे पार्श्वनाथ कहते हैं, उस मूर्तिकी स्थापनासे मूर्तिके चित्रको भी पार्श्वनाथ कहने लगे । द्रव्यनिक्षेपसे युवराजको भी राजा कहते हैं । यदि उस युवराजकी मूर्तिको या चित्रको भी राजा कह दिया जाय तो द्रव्यनिक्षेपसे रखे गये नामवाले व्यक्तिकी स्थापना कहलायगी । भावनिक्षेपसे राजाको ही राजा कहते हैं । उसकी स्थापना, भावनिक्षेपसे रखेगे नामवाले व्यक्तिकी स्थापना कहलायगी । मतलब वह कि किसी भी निक्षेपसे किसी पदार्थकी संज्ञा रखी जाय, उसकी स्थापना हो सकती है ।

भूत और भविष्यत अवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाले नामका अयोग, वर्तमानमें करना द्रव्यनिक्षेप है । जैसे—राजपुत्रको राजा कहना, अथवा राज्यके छूट जानेपर भी राजा कहना ।

इस निक्षेपका विषय बहुत विस्तीर्ण है । जैसे—लोग युवराजको राजा कहते हैं उसीतरह युवराज और राजाके मरजानेपर उसके मृतक शरीरको भी राजा कहते हैं । कभी कभी ज्ञानको भी राजा कह देते हैं । जैसे—‘राजा तो इसके हृदयमें वसा है’ । हृदयमें तो राजाका ज्ञान वसा है न कि राजा, लेकिन द्रव्यनिक्षेपसे ज्ञानको राजा कह दिया । इसीतरह अन्यपदार्थोंमें द्रव्यनिक्षेपकी अपेक्षा शब्दव्यवहार होता है । इन सब प्रभेदोंको अन्तर्गत करनेके लिये द्रव्यनिक्षेपके दो भेद किये गये हैं । आगम द्रव्यनिक्षेप और नो—आगम द्रव्यनिक्षेप ।

किसी वस्तुके जानेवालेको उस शब्दसे कहना आगमनिक्षेप है । द्रव्यनिक्षेपका सम्बन्ध भूत भविष्यतसे है । इसलिये अगर

उस जाननेगालेका उपयोग उस वस्तुमें न होगा तो आगम द्रव्यनिक्षेप कहलायगा । क्योंकि उपयोग होनेसे वर्तमानता आजाती है, इसलिये वह भावनिक्षेप हो जाता है । यद्यपि यह निक्षेप, ज्ञानमें किया जाता है, परन्तु ज्ञानी (आत्मा) को छोड़कर ज्ञानमें व्यवहार करना कठिन है इसलिये ज्ञानका व्यवहार ज्ञानीमें किया जाता है और वस्तुज्ञाताको भी उसी वस्तुके नामसे कहते हैं ।

ज्ञान (ज्ञाता) को छोड़कर किसी वस्तुकी पूर्वोत्तर अवस्था या उससे सम्बन्ध रखनेवाली किसी अन्यवस्तुको उस वस्तुके नामसे कहना नोआगमद्रव्यनिक्षेप है । इसके तीन भेद हैं—ज्ञायक-शरीर, भावि, तद्रूपतिरिक्त । आगम द्रव्यनिक्षेपसे, वस्तुके ज्ञाताको वस्तुके नामसे कहा या, ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्यनिक्षेपसे वस्तु ज्ञाताके शरीरको उस वस्तुके नामसे कहते हैं । जेसे—किसी राजनीति प्रियारद मनुष्यके मृतशरीरको जलानेपर कहना आज राजनीति जलर्गद् । इस वाक्यमें राजनीतिज्ञके मृतक शरीरको राजनीति नाम दिया गया है ।

ज्ञायकशरीरके तीन भेद हैं । मृत, भविष्यत, वर्तमान । वर्तमान ज्ञायकशरीरका उदाहरण ऊपर दिया गया है । मृतभविष्यतका

१ आत्मा तप्राभृतज्ञायी यो नामानुपयुक्तधी । सोत्रागम समाप्तातः स्पाद्यद्रव्यं लक्षणान्वयात् । श्लो वा ।

२ तत्त्वमसि (तू बद्ध है) अह ब्रह्मासि (मैं ब्रह्म हूँ) इयादि वाक्योंका अर्थ अगर आगमद्रव्यनिक्षेप या आगमभावनिक्षेप की अपेक्षासे किया जाय तो अद्वैतके माननेकी जम्भरत नहीं रहती, और इन वाक्योंका अर्थ ठीक बैठ जाता है ।

३ मृत शरीरके तीन भेद किये गये हैं—स्थृत, घ्युत, घ्यावित । शरीर इटनेके पहिले सुदही शरीरको स्थाग देने जर्थात् ममत्व छोड़कर सन्यास

सम्बन्ध परलोकसे है। ज्ञाता अमर है उसका सम्बन्ध अनेक शरीरोंसे होता है इसलिये ज्ञायकशरीरके तीन भेद किये गये है। यद्यपि वर्तमानका सम्बन्ध भावनिक्षेपसे है लेकिन वर्तमान ज्ञायकशरीरमें ज्ञाताका ज्ञानोपयोग वर्तमान नहीं है इसलिये यहाँ द्रव्यनिक्षेप ही माना गया।

वस्तुके उपादान कारणको वस्तुके नामसे कहना भाविनोआगम द्रव्यनिक्षेप है। इसमें वस्तुके ज्ञाताका शरीर नहीं, किन्तु वस्तुका उपादान पकड़ा जाता है। जैसे—राजाका उपादान युवराज है।

वस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी पदार्थको उस वस्तुके नामसे कहना तद्वयतिरिक्तनोआगम द्रव्यनिक्षेप है। जैसे—राजाके शरीर (मृत या जीवित) को राजा कहना।

प्रश्न—यह भेद ज्ञायकशरीरमें ही शामिल क्यों न किया जावे।

उत्तर—ज्ञायकशरीरसे ज्ञाताका शरीर विवक्षित है, इसलिये ज्ञायकशरीर निक्षेपसे राजाके ज्ञाताका शरीर राजा कहा जाता है और तद्वयतिरिक्तसे खयं राजाका शरीर राजा कहा जाता है।

प्रश्न—इस (तद्वयतिरिक्त) निक्षेपसे घट किसे कहेगे क्योंकि घटके शरीर होता नहीं है।

उत्तर—घटके अन्य निमित्त कारण या सम्बन्धीको। जैसे—कोई कुम्हार कहे कि यहाँ घड़ा नहीं है और इसके उत्तरसे कहा जाय-

धारण करनेके बाद छूटनेवाला शरीर त्यक्त है। समयपर आयु पूर्ण होनेसे जो शरीर छूटता है उसे च्युत कहते हैं। विषभक्षणादिके द्वारा अकाल मृत्युसे जो शरीर छूटता है उसे च्यावित कहते हैं।

१ जीवद्रव्यमें जब यह निक्षेप लगाया जाता है तब तद्वयतिरिक्तके भेद हो जाते हैं कर्म और नोकर्म।

कि तुम्हीं तो घट हो । यहा घटका निमित्त कारण कुम्हार है इसलिये उसे ही घट कह दिया । इसीतरह दड़ चक्र आदि को भी घट कह सकते हैं ।

प्रश्न—क्या द्रव्यनिक्षेपके सभी भेद सभी शब्दोंके साथ उग सकते हैं ?

उत्तर—जीव पुढ़ल आकाश आदि द्रव्यवाची शब्दोंके साथ भाविनोआगम भेद नहीं उग सकता । क्योंकि ये अनादि अनन्त हैं । मापिनोआगम निक्षेप, उपादान कारणमें किया जाता है । जो अनादि है उसका उपादान कारण क्या ? हा । मनुष्य आदि जीवकी विशेष अवस्थाओंमें यह उग सकता है । क्योंकि मनुष्य आदि अवस्थाएँ अनादि नहीं हैं ।

प्रश्न—द्रव्यनिक्षेपको स्थापनानिक्षेपके अत्तर्गत क्यों न माना जाय ? क्योंकि जैसे स्थापनानिक्षेपमें एक परसुकी स्थापना अन्यत्र की जाती है, उसीतरह द्रव्यनिक्षेपमें भी राजाकी स्थापना युवराजमें, या शरीरमें, या उसके ज्ञानमें, या ज्ञानके शरीरमें, या अऽय कारणोंमें कीजाती है ।

उत्तर—जिस परसुकी जिसमें स्थापना कीजाती है उत्तर दोनोंमें भेद रहता है, कि तु द्रव्यनिक्षेपमें अभेद है । महावीरकी गृहिणी और महानीर दो भिन्न परसुए हैं, कि तु राजा और युवराजमें अभेद है । युवराज राजा बननेवाला है इसलिये उसे राजा कहा गया है ।

प्रश्न—नोआगमभाविद्रव्यनिक्षेप जहाँ किया गया है यहाँ अभेद पद्धना ठीक है, किन्तु ज्ञापनशरीर तद्विरिक्त और आगम-द्रव्यनिक्षेपमें तो अभेद नहीं है । इसलिये हाँ है तो स्थापनाके अत्तर्गत मानना चाहिये ।

उत्तर—कार्यकारणसम्बन्ध, विषयविषयीभाव, तथा अन्य एक-देशावस्थान (एक जगहमें रहना) आदि निमित्त पाकर व्यवहार नयसे भिन्न वस्तुओंमें भी अभेद माना जाता है। इसलिये ज्ञायकशरीर आदिमें भी अभेद माना गया।

प्रश्न—व्यवहारकी अपेक्षा अभेद तो महावीर और महावीरकी मूर्तिमें भी है। इसलिये लोग मूर्तिको भी महावीरके समान पूजते हैं।

उत्तर—स्थापना निक्षेपमें अभिन्नता कार्य है। अर्थात् दोनों वस्तुओंमें अभिन्नता खतः नहीं थी स्थापनासे मानी गई है। किन्तु जहांपर द्रव्यनिक्षेप है वहां तो अभिन्नता पहिलेसे ही मौजूद है अर्थात् दोनों वस्तुओंमें खतः अभिन्नता है। वह अभिन्नता द्रव्य-निक्षेपमें कारण है। वहां स्थापनासे अभेद है, यहां अभेदसे द्रव्य-निक्षेप है। यह, दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर है।

वर्तमान पर्यायके अनुसार शब्दका प्रयोग करना भावनिक्षेप है। जैसे—राज्य करनेवालेको राजा कहना। इसके भी दो भेद हैं—आगम भावनिक्षेप और नोआगमभावनिक्षेप। किसी वस्तुके जाननेवालेको उस वस्तुमें उपयोग रखते समय उस वस्तुके नामसे कहना आगमभावनिक्षेप है। द्रव्यनिक्षेपके निरूपणमें आगम नो-आगमका खुलासा किया गया है। आगमद्रव्यनिक्षेप और आगमभाव-निक्षेपमें अन्तर सिर्फ इतना है कि आगमद्रव्यनिक्षेपमें वर्तमानमें उपयोग नहीं रहता और आगमभावनिक्षेपमें रहता है।

वर्तमानपर्यायवाली वस्तुको उस शब्दसे कहना नोआगमभाव निक्षेप है^१। जैसे राज्य करनेवालेको राजा कहना।

^१ साम्प्रतो वस्तुपर्यायो भावो द्वेधा स पूर्ववत् । आगमः प्राभूतज्ञायी पुमांस्तत्रोप्रयुक्तधीः ॥ श्लो. वा. ॥

^२ नोआगमः पुनर्भावो वस्तु तत्पर्ययात्मकम् ॥ श्लो. वा. ॥

प्रभ—नामनिक्षेप और भावनिक्षेपमें क्या अन्तर है ? यदि किसी भनुष्यका नाम हाथीसिंह रखदेना नामनिक्षेप है तो सूड-बाले किसी जानवरका नाम हाथी रख देना नामनिक्षेप क्यों नहीं ? जैसे नामनिक्षेपमें लोगोंकी इच्छा ही कारण है उसी प्रकार भावनिक्षेपमें भी है । लोगोंकी इच्छा हुई इसलिये सूडबाले जानवरको हाथी कहने लगे, अगर उनकी इच्छा हो तो घोड़ा भी कह सकते हैं । जब शन्दोंका अर्थ लोगोंकी इच्छाके आधीन है तब भावनिक्षेपसे नामनिक्षेपमें अन्तर क्या रह जाता है ?

उत्तर—नामनिक्षेपका सम्बन्ध व्यक्तिगतचक सज्जाओंसे हैं, जब कि भावनिक्षेपका सम्बन्ध, भाववाचक और जातिवाचक सज्जाओंसे । व्यक्तिगतचक सज्जाओंसे हम किसी समान धर्मवाली पस्तुमा ज्ञान नहीं करते जब कि जातिवाचक सज्जाओंका अर्थ समान धर्मोंपर ही निर्भर है । सूड, बडे कान, रुदूल शरीर आदि अनेक साधारण चिह्नवाला, हाथी शन्दका अर्थ है परत्तु दक्षी, रमा, उमा आदि शन्दोंसे जिस अर्थका ज्ञान होता है उसे असाधारण (एक ही व्यक्तिमें रहनेयाले) चिन्होंमें ही पहचान सकते हैं । नाम (सज्जा) रखनेसे ही नामनिक्षेप नहीं हो जाता है । नाम तो चारों निक्षेपोंसे रख्या जाता है । यह बात हम पहिले भी कह चुके हैं ।

प्रभ—द्रव्यनिक्षेपमें समान भावनिक्षेपके भी ज्ञायक शरीर आदि अनेक भेद वयों नहीं किये गये ?

उत्तर—भावनिक्षेपका सम्बन्ध सिर्फ वर्णमान पर्याप्तमें है । ऐसलिये भूत भवित्वसे उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता । द्रव्यनिक्षेपका सम्बन्ध द्रव्य अर्थात् क्षन्दयमें है । यहाँ कार्य फारण आदिकी जग्मित्वा प्रियक्षित है । भावनिभेदका सम्बन्ध भाव अर्थात् पर्याप्त

अर्थात् व्यतिरेक से है । इसलिये कार्य कारण और सहचर आदि की अभिनवताके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जिससे शरीर आदिक, भावनिक्षेपके भेदोंमें शामिल हो सकें ।

इन प्रश्नोत्तरोंसे निक्षेपका बहुत कुछ खुलासा हो गया है । हम पहिले कह चुके हैं कि ये निक्षेप, नयके विषय है । यहां हम इस बातको स्पष्ट करदेना चाहते हैं कि कौनसा निक्षेप किस नयका विषय है ।

आदिके तीन निक्षेप, द्रव्यार्थिक नयके विषय हैं । और भाव-निक्षेप, पर्यायार्थिक नयका विषय है । द्रव्यार्थिक नयका विषय है द्रव्य अर्थात् अन्वय । यह अन्वय, नाम स्थापना द्रव्यमें पाया जाता है । क्योंकि इन निक्षेपोंका सम्बन्ध तीनों कालोंसे है । भावनिक्षेपका सम्बन्ध सिर्फ वर्तमान कालसे है इसलिये उसमें अन्वय नहीं है । वर्तमान पर्यायके साथ सम्बन्ध होनेसे वह पर्यायार्थिक नयका विषय माना जाता है ।

सातवां अध्याय ।

सप्तमंगी ।

एक वस्तुमें अविरोधसे विधिप्रतिषेधकल्पना करना सप्तमंगी है । इसमें सातमंग पाये जाते हैं । वे सातमंग ये हैं । १ अस्ति,

१ नामोक्तं स्थापना द्रव्यं द्रव्यार्थिकनयार्पणात् । पर्यायार्थार्पणाद् भावस्तैर्न्यासः सम्यग्गारितिः ॥ श्लो. वा. ॥

२ नामः कचिद्वालाद्यवस्थाभिन्नेषि विच्छेदानुपपत्तेरन्वयित्वसिद्धेः । क्षेत्रपालादिस्थापनायाश्च कालभेदेषि तथात्वा विच्छेद इत्यन्वयित्वमन्वयप्रत्ययविषयत्वात् ।

३ एकस्मिन्वस्तुन्यवरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तमंगी ।

२ नास्ति, ३ अस्तिनास्ति, ४ अवक्तव्य, ५ अस्तिअवक्तव्य, ६ नास्तिअवक्तव्य, ७ अस्तिनास्तिअवक्तव्य । हिन्दी भाषामें इन सातों भगोंके नाम ये हैं—

१ है । २ नहीं है । ३ है और नहीं है । ४ कहा नहीं जा सकता । ५ है फिरभी कहा नहीं जासकता । ६ नहीं है फिरभी कहा नहीं जासकता । ७ है और नहीं है फिरभी कहा नहीं जासकता ।

प्रत्येक विषयमें सात तरहके प्रश्न हो सकते हैं और उनका उत्तर उपर्युक्त सात तरहके वाक्योद्धारा दिया जा सकता है ।

सप्तभगीमें अविरोधसे विधि प्रतिपेधकी कल्पना की जाती है । जो लोग सप्तभगी और अनेकान्तके वास्तविक रूपको नहीं समझ पाते उन्हें उपर्युक्त वाक्योंमें विरोध मालूम होता है । ऐसे लोगोंने इस अनेकान्तमें आठ तरहके दोषोंकी कल्पना की है । वे आठ दोष ये हैं । विरोध, वैयधिकरण, अनवस्था, सकर, व्यतिकर, सशय, अप्रतिपत्ति, अभाव ।

जिसप्रकार शीत और उष्णास्पर्शमें परस्पर विरोध है उसीप्रकार विधि और प्रतिपेध=अस्ति और नास्ति=होने और न होनेमें भी विरोध है । इसलिये ये सातों भग परस्पर विरोधी हैं ।

जब अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी हैं तब अस्तित्वका जो आधार है वह नास्तित्वका आधार नहीं हो सकता । इस तरह युदा युदा अधिकरण होनेसे वैयधिकरण दोष कहलाया ।

जैसे किसी वस्तुमें सात भग लगाये जाते हैं वैसेही ‘अस्ति’ भगमें भी सात भग लगाये जा सकते हैं, इस द्वृसरी सप्तभगीमें जो

१ जो ‘अस्ति’ भगम टागायी गई है ।

अस्ति भंग आवेगा उसमें फिर सप्तभंगी लगाई जा सकती है इस तरह अनन्त सप्तभङ्गियाँ होजावेंगी । यह अनवस्था दोष हुआ ।

जब 'अस्ति' और 'नास्ति' एकही जगह रहेंगे तो जिस-रूपसे 'अस्ति' है उसी रूपसे 'नास्ति' भी होगा । इसतरह 'संकरै' दोष हुआ ।

जिस रूपसे 'अस्तित्व' है उस रूपसे 'नास्तित्व' होजायगा जिस रूपसे नास्तित्व है उस रूपसे अस्तित्व होजायगा, इससिये व्यतिकर दोष कहलायगा, क्योंकि विषयमें परस्पर अदलाबदली हो—जाना व्यतिकर कहलाता है ।

संशयसे वस्तुका ज्ञान (प्रतिपत्ति) न होपायगा इसलिये अप्रतिपत्ति दोष कहलायगा ।

ज्ञानके द्वारा ही किसी वस्तुका सद्ग्राव माना जाता है, जब इनका ज्ञान ही नहीं हुआ तो अभाव होगया ।

अनेकान्तमे ये आठ दोष नहीं रहते हैं । इसलिये पहिले सप्तभंगीका मूल, अनेकान्त समझलेना चाहिये ।

अनेकान्तका अर्थ है अनेक धर्म । प्रत्येक वस्तुमें अनेक धर्म पाये जाते हैं, इसलिये वस्तु अनेकान्तात्मक मानी गई है । यदि चारों दिशाओंसे किसी मकानके चार फोटो लिये जाय तो वे फोटो एकसे तो न होंगे फिरभी एक ही मकानके कहलायेंगे । इसी तरह अनेक दृष्टिओंसे वस्तुभी अनेक तरहकी मालूम होती है, इसीलिये हमारे प्रयोग नानातरहके होते हैं । एक ही आदर्मीके

१ सर्वेषाम् युगपत्त्रात्मिः संकरः ।

२ परस्परविषयगमनं व्यतिक्खरः ।

विषयमें हम कहते हैं यह वही आदमी है जिसे गतर्य देखा था, दूसरे समयमें कहते हैं यह वह नहीं रहा अब बड़ा विद्वान होगया है । पहिले वाक्यके प्रयोगके समय उसके मनुष्यत्वपर ही दृष्टि है दूसरे वाक्यके प्रयोगके समय उसकी मूर्ख विद्वान आदि अवस्थाओंपर, इसलिये परस्पर विरोधी मालूम होने हुए भी दोनों वाक्य सत्य हैं । आमके फलको हम कठहलकी अपेक्षा छोटा और बेर की अपेक्षा बड़ा कहते हैं इसपर कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही फलको छोटा और बड़ा क्यों कहते हो ? वस ! यही जात अनेकान्तके विषयमें भी है । एक ही वस्तुको अपेक्षा-भेदसे “ है ” और “ नहीं है ” कह सकते हैं ।

जो पुस्तक हमारे कमरेमें है वह पुस्तक हमारे कमरेके बाहर नहीं है । यहांपर ‘ है ’ और ‘ नहीं ’ में कुछ विरोध नहीं कहा जा सकता । यह अविरोध अनेकान्तदृष्टिका छुफ्त है । साधारण रीतिसे अनेकान्तको समझनेके बाद उपर्युक्त आठ दोपोका अच्छी तरह निराकरण हो जाता है ।

शीत और उष्णास्पर्शके समान अस्ति और नास्तिमें विरोध नहीं हो सकता । क्योंकि विरोध तभी कहा जासकता है जब कि एकही कालमें एकही जगह ये दोनों धर्म एकत्रित होकर न रहे । लेकिन स्वचतुष्टय (स्वदब्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव) की अपेक्षा अस्तित्व, और परचतुष्टय (परदब्य परक्षेत्र परकाल और परभाव) की अपेक्षा नास्तित्व तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे एकही वस्तुमें सिद्ध हैं, किंतु विरोध कैसा ? किन दो धर्मोंमें विरोध है यह बात हम पहिलेसे नहीं जान सकते । जब हमें यह बात मालूम हो जाती है कि ये धर्म एक ही समयमें एक ही जगह नहीं रहसकते तब

हम उनमें विरोध मानते हैं । अगर वे एकत्रित होकर रह सकें तो विरोध कैसे कहाजासकता है ? स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति और स्वचतुष्टयकी अपेक्षा ही यदि नास्ति कहा जाय तो विरोध कहना ठीक है । लेकिन अपेक्षाभेदसे दोनोंमें विरोध नहीं कहा जा सकता ।

जब अस्तित्व नास्तित्व विरोधी नहीं रहे तो अस्तित्व और नास्तित्वका आधार भी जुदा जुदा नहीं रहा । इससे वैयाधिकरण्य दोष भी नहीं कहा जा सकता ।

कल्पनाके अनन्त होनेसे ही अनवस्था दोष नहीं होता । अनवस्था दोष वहीं होता है जहां कल्पना अप्रामाणिक हो । प्रत्येक मनुष्य माता पितासे पैदा होता है इसलिये मातृपितृपरम्परा अनन्त है, किन्तु यहां अनवस्था दोष नहीं कहा जा सकता । क्योंकि मातृपितृपरम्परा प्रमाणसिद्ध है । इसीप्रकार सर्वत्र सप्तभंग भी अप्रामाणसिद्ध है, इसलिये एक पदार्थमें अनन्त सप्तभंगी हो जानेपर भी प्रमाणसिद्ध होनेसे अनवस्था दोष नहीं होगा । दूसरी बात यह है कि धर्ममें धर्मकी कल्पना नहीं करना चाहिये । घटमें घटत्व धर्म है अब घटत्वमें घटत्वत्व धर्म मानकर और घटत्वत्वमें घटत्वत्वत्व मानकर अनन्त धर्मकी कल्पना कीजासकती है तो क्या अनवस्थाके डरसे घटत्व भी न माना जाय ? जैसे यहांपर धर्ममें धर्मकी कल्पना न करके अनवस्थासे बचते हैं उसीप्रकार अस्तित्वादिभंगमें भी अन्य अस्तित्वादिकी कल्पना न करके अनवस्थासे बच सकते हैं ।

जब अस्तित्व और नास्तित्व जुदे जुदे अविरुद्ध धर्म, सिद्ध होगये, तब जिस रूपसे अस्ति है उसी रूपसे नास्ति कहना अनुचित है, इसलिये संकर दोषभी न रहा । और, 'अस्ति' को

‘नास्ति’, और ‘नास्ति’ को ‘अस्ति’ नहीं कहा जासकता है सलिये व्यतिकर दोप भी नहीं रहा ।

जब एक जगह परत्पर विरुद्ध धर्मोंका अनिधित ज्ञान होता है तब सशय कहा जाता है । एक बखुमें अपेक्षा भेदसे अस्ति और नास्तिमें कुठ मिरोध नहीं है, इसलिये इस जगह सशय पैदा नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि सशयमें अनेक धर्मोंका अनिधिय रहता है, जब कि यहा निश्चय है । ‘अस्ति है या नास्ति’ यह सशय है । अस्ति है और नास्ति भी है यह सशयका रूप नहीं है । इसमें तो दोनों धर्मोंका निश्चय है । जब सशय नहीं रहा तब अप्रतिपत्ति दोप (निधित ज्ञानका अभाव) भी नहीं रहा । अप्रतिपत्ति होनेसे अभाव कहा जाता था । अप्रतिपत्ति दोप न होनेसे अभाव दोप भी न रहा ।

स्वपरचतुष्टय—हमने कहा है कि सचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अस्तिगूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिगूप है । यह चतुष्टय है द्रव्य क्षेत्र काल भाव । गुणोंके समूहको द्रव्य कहते हैं । जैमे ज्ञानादिक अनेक गुणोंका समूह ‘जीन’ द्रव्य है । है । जीव, जीव द्रव्यके रूपसे ‘है’ (अस्ति) जड़ द्रव्यके रूप से ‘नहीं है’ (नास्ति) इसी प्रकार घडा, घडा रूपसे है कपडेके रूपसे नहीं है । हर एक वस्तु रसद्रव्यगृप्तसे है परद्रव्यगृप्तसे नहीं है ।

द्रव्यके प्रदेशोंको (परमाणु चरावर उसके अशोंको) क्षेत्र कहते हैं । घडेके अरयथ, घडेका क्षेत्र है । यद्यपि व्यवहारमें आधारकी जगहको क्षेत्र कहते हैं जितु यह वास्तविक क्षेत्र नहीं है । जैसे—दायातमें स्थाई है । यहांपर व्यवहारसे स्थाईवा क्षेत्र दायात कहा जाता है । ऐसिल वास्तवमें स्थाई और दायातका क्षेत्र

जुदा जुदा है । अगर दावात काच की है तो जिस जगह काच है उस जगह स्याही नहीं है और जिस जगह स्याही है उस जगह काच नहीं है । यद्यपि काचने स्याहीको चारों तरफसे धेर रखा है फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं । स्याहीके प्रदेश अवयव—हिस्से ही, उसका क्षेत्र है । जीव और आकाश एक ही जगह रहते हैं परन्तु दोनोंका क्षेत्र एक नहीं है । जीवके प्रदेश जीवका क्षेत्र है और आकाशके प्रदेश आकाशका क्षेत्र है । ये दोनों द्रव्य भी, क्षेत्रकी अपेक्षासे पृथक् पृथक् हैं । व्यवहार चलानेके लिये या साधारण बुद्धिके लोगोंको समझानेके लिये आधार को भी क्षेत्र कह देते हैं ।

वस्तुके परिणमनको काँड़ कहते हैं । जिस द्रव्यका जो परिणमन है वही उसका काल है । प्रातः सध्या आदि काल भी वस्तुओंके परिणमनरूप है । एक साथ अनेक वस्तुओंके अनेक परिणमन हो सकते हैं परन्तु उनका काल एक नहीं हो सकता । क्योंकि उनके परिणमन जुदे जुदे हैं । घड़ी घंटा मिनिट आदिमें भी कालका व्यवहार होता है । लेकिन यह 'खकाल' नहीं है । व्यवहार चलानेके किये घड़ी घंटा आदिकी कल्पना की गई है ।

वस्तुके गुण=शक्ति=परिणामको भौव कहते हैं । प्रत्येक वस्तुका स्वभाव जुदा जुदा होता है । दूसरी वस्तुके स्वभावसे उसमे सदृशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सकती । क्योंकि एक द्रव्यका गुण दूसरे द्रव्यमें नहीं पाया जाता ।

१ कालो वर्तनमिति वा परिणमनं वस्तुनः स्वभावेन । पंचाध्यायी ।

२ भावः परिणामः किल स चैव तत्त्वस्वरूपनिष्पत्तिः । अथवा शक्ति-समूहो यदि वा सर्वस्वसारः स्यात् । २७९ । पंचाध्यायी ।

इसप्रकार स्वचतुर्षयकी अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और परचतुर्षयकी अपेक्षा नास्तिरूप है । द्रव्य क्षेत्र काल भावका कथन, सरलतासे द्रव्यमें अस्तित्व नास्तित्व समझाने के लिये है । सक्षेपमें यहीं कहना चाहिये कि स्व-रूपसे वस्तु है और पर-रूपसे वस्तु नहीं है । स्व-रूपको स्वात्मा और पररूपको परात्मा शब्दसे भी कहते हैं ।

जब हमें वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षा होती है तब हम उसे 'अस्ति' कहते हैं जब पररूपकी अपेक्षा होती है तब 'नास्ति' कहते हैं । इसी प्रकार जब हमें स्वरूप और पररूप दोनोंकी अपेक्षा होती है तब 'अस्तिनास्ति' कहते हैं । यह तीसरा भग हुआ ।

फिन्तु हम वस्तुके अस्तित्व और नास्तित्व एकही समयमें नहीं कहसकते । जब अस्तित्व कहते हैं तब नास्तित्व भग रह जाता है । जब नास्तित्व कहते हैं तब अस्तित्व रहजाता है । इसलिये जब हम क्रमसे अस्ति और नास्ति कहना चाहते हैं तब तो 'अस्तिनास्ति' नामका तीसरा भग । ननता है फिन्तु जब हम एक समयमें अस्ति और नास्ति कहना चाहते हैं । तब 'अवक्तव्य' (न कहने योग्य) नामका चौथा भग बनता है । इस तरह 'क्रमशः स्वपररूप' की अपेक्षा 'अस्तिनास्ति' और 'युगपद् स्वपररूप' की अपेक्षा 'अवक्तव्य' भग होता है ।

जब हमारे कहनेका आशय यह होता है कि वस्तु, स्वरूपकी अपेक्षा आस्ति होनेपर भी अवक्तव्य है, पररूपकी अपेक्षा नास्ति होनेपर भी अवक्तव्य है, और क्रमशः स्वपररूपकी अपेक्षा अस्तिनास्ति होनेपर भी अवक्तव्य है तब तीन भग और बनजाते हैं, अस्ति-अवक्तव्य नास्तिअवक्तव्य, अस्तिनास्ति अवक्तव्य ।

मूल भंग अस्ति और नास्ति दो हैं । दोनोंकी युगपत् विवक्षासे अवक्त्व नामका भंग और बनता है । और यह भी मूल भंगमें शामिल हो जाता है इनतीनोंके असंयोगी (अस्ति, नास्ति, अवक्त्व) द्विसंयोगी (अस्तिनास्ति, अस्तिअवक्त्व, नास्तिअवक्त्व,) और त्रिसंयोगी (अस्तिनास्तिअवक्त्व) भंग बनानेसे सात भंग हो जाते हैं ।

प्रश्न—मूल भंग जो अस्ति और नास्ति रखें गये हैं उनमेंसे अगर एक ही भंग रखता जावे तो क्या हानि है ? इससे अन्य पांच भंग भी न मानना पड़ेगे ।

उत्तर—अगर सिर्फ 'अस्ति' भंग ही मानें तो जिसप्रकार वस्तु एक जगह 'अस्ति' रूप होगी उसीप्रकार सब जगह होगी । क्योंकि 'नास्ति' भंग तो है ही नहीं ! ऐसी हालतमें हर एक चीज सब जगह पाईजानेसे व्यापक कहलावेगी । बाल्का एक कण भी व्यापक मानना पड़ेगा । परमाणु भी व्यापक मानना पड़ेगा । अगर सिर्फ 'नास्ति' भंग ही माना जावे तो प्रत्येक वस्तु सब जगह 'नास्ति' रूप कहलावेगी । इसतरह प्रत्येक वस्तुका अभाव होजावेगा । ये दोनों बातें प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि न तो प्रत्येक वस्तु सर्वरूपसे 'अस्ति' है न उसका सर्वरूपसे अभाव है ।

प्रश्न—अस्ति भंगके साथ स्वचतुष्टय भी लगा हुआ है और नास्ति भंगके साथ परचतुष्टय लगा हुआ है । अस्तिके प्रयोगसे स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति समझाजायगा न कि सर्वत्र, इसीतरह नास्तिके कहनेसे परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति कहलायगा न कि सर्वत्र । इसलिये न तो प्रत्येक वस्तु व्यापक होगी, न अभावरूप होगी । एक ही भंगका प्रयोग क्यों न किया जाय ?

उत्तर—दोनों भगोंसे जुदी जुदी तरहका ज्ञान होता है । एक भगके प्रयोग करनेपर भी दूसरे भगके द्वारा पैदा होनेवाला ज्ञान नहीं होता । जैसे—यदि कहा जाय कि अमुक आदमी बाजारमें नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अमुक जगद् है । बाजारमें न होनेपर भी ‘कहापर है’ यह जिज्ञासा बनी ही रहती है जिसकोलिये ‘अस्ति’ भगकी जखरत है । व्यग्नहारमें अस्ति भगके प्रयोग होनेपर भी नास्ति भगके प्रयोगकी आवश्यकता होती है । मेरे हाथमें रूपया है यह कहना एक बात है और तुम्हारे हाथमें रूपया नहीं है यह कहना दूसरी बात है । इस तरह दोनों भगोंका प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है ।

प्रश्न—क्या अन्योन्याभावसे नास्ति भगकी पूर्ति नहीं होती ?

उत्तर—नहीं ! क्योंकि इसका सम्बन्ध किसी नियत अभावसे नहीं है । उत्पत्तिके पहिले वस्तुके अभावको प्रागभाव कहते हैं । नए होजानेके बाद वस्तुके अभावको प्रधनसामाव कहते हैं । एक वस्तुका दूसरी वस्तुरूप न होना अथवा जैनदर्शनके अनुसार पुद्गल की एक पर्यायका दूसरी पर्यायरूप न होना अन्योन्याभाव है । इसमें अनुयोगी की प्रधानता है । एकवस्तुमें दूसरी वस्तुका न रहना अत्यन्ताभाव है । इसमें प्रतियोगीकी प्रधानता है । जैनदर्शनके अनुसार यह अभाव नित्य है और न्यायदर्शनके अनुसार अनित्य भी । अयोन्याभावको छोड़कर बाकी तीन अभाव सहसर्गाभाव हैं । नास्ति भगका सम्बन्ध सभीसे है ।

प्रश्न—ऐर ? दो भगोंका प्रयोग भले ही आवश्यक रहे परन्तु तीसरे अस्तिनास्ति भगका प्रयोग क्यों करना चाहिये ? क्योंकि तीसरा भग तो ग्राम्भके दो भगोंमें शामिल है ।

उत्तर—यद्यपि पहिले दो भंगोंको मिलकर तीसरा भंग बना है फिर भी उसका काम अस्ति और नास्ति इन भंगोंसे अलग है । जो काम अस्तिनास्ति (उभय) भंगने किया है वह न अकेला अस्ति कर सकता है न अकेला नास्ति । असंयुक्त उत्तर दूसरी बात है । यद्यपि एक और दो मिलकर तीन होते हैं फिर भी तीन की संख्या एक और दो से जुदी मानी जाती है ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो दो ‘अस्ति’ और एक ‘नास्ति’ आदिके भी जुदे जुदे भंग मानना पड़ेगे, इसलिये भंगोंकी संख्या बढ़ जावेगी ।

उत्तर—यदि किसी वस्तुमें दो अस्तित्व पाये जाते, तो ऐसे भंग बनते । लेकिन प्रत्येक वस्तुमें एकही अस्तित्व पाया जाता है इसलिये सातसे अधिक भंग नहीं बन सकते । यदि अस्तित्व दो माने जावें तो स्वच्छतुष्टय भी और परच्छतुष्टय भी दो माने जावेंगे इसतरह दो सप्तभंगियाँ बनेंगी । मतलब यह है कि एक एक धर्मके पीछे सप्तभंगी बनकर सैकड़ों सप्तभंगियाँ बन सकती हैं परन्तु सप्तभंगी की अष्टभंगी नवभंगी आदि नहीं बन सकती ।

वस्तुके अनेक धर्मोंको हम एक साथ नहीं कहसकते इसलिये युगपत्रस्वपरच्छतुष्टयकी अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य है । वस्तुके अवक्तव्य होनेका दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुमें जितने धर्म हैं उतने शब्दहीं नहीं हो सकते और हम लोगोंके लिये उन धर्मोंका ज्ञानभी नहीं हो सकता जिससे उन सबको शब्दोंसे कहने की चेष्टा कीजाय । तीसरी बात यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वभावसे अवक्तव्य है । वह अनुभवमें तो आसकती है परन्तु शब्दोंके द्वारा नहीं कही जा सकती । मीठापन कैसा होता होता है, इसका ठीक न अनुभव करनेसे मिलेगा नकि शब्दोंसे, इसलिये वस्तु अवक्तव्य

है, ऐकिन अन्य दृष्टियोंसे वक्तव्य भी है। इसलिये जब हम अवक्तव्यके साथ किसी रूपमें बस्तुकी वक्तव्यता भी कहना चाहते हैं तब वक्तव्य तृप्ति तीनों भग (अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति,) अवक्तव्यके साथ मिठ जाते हैं इसलिये आतिथवक्तव्य, नास्तिअवक्तव्य, और अमितनास्तिअवक्तव्य इन भगोंका प्रयोग होता है। इस तरह ये सात भग हैं।

यह सत्तमगी दो तरह की होती है। प्रमाणसत्तमगी और नयसत्तमगी। पम्नुको पूर्ण रूपसे विषयकरनेवाला प्रमाण है और अश रूपसे विषयकरनेवाला नय है। यह बात पहिले भी कही जा सकी है। याक्योंके भी दो भेद होते हैं प्रमाणवाक्य और नयवाक्य। प्रमाणवाक्य और नय वाक्यका अंतर हमें शब्दोंसे नहीं, भागोंसे मात्र होता है। जब हम किसी शब्दके द्वारा पूरी बस्तुको कहते हैं तब सप्ताङ्गदेश या प्रमाणवाक्य माना जाता है और जब शब्दके द्वारा पम्नुके किसी एक धर्मको कहते हैं तब विकाङदेश या नयवाक्य माना जाता है।

प्रथम शब्दके द्वारा पस्तुका एक धर्म ही कहा जाना है। विषुद्ध शब्दका अर्थ घमयनेवाला है। विचली उपाद चमकती है इसलिये हम उसे विषुद्ध कहते हैं। विचली घटूत जन्मी चमक जाती है। अर्थात् यह घमड है इसकिये उसे घमण कहते हैं। पद्यपि 'विषुद्ध' भी 'घमणा' शब्दउ पर एक एक धर्म ही कहा गया है परन्तु इन शब्दोंमें हम छोकर्खर्मियाँ एक धर्मिया वोध घरते हैं। 'सुमारवा दिनवा विषुद्धके मान धारित है, इस वास्त्वमें विषुद्धका प्रयोग सप्ताङ्गदेशसे किया गया है। वक्योंके यद्वार विषुद्ध शब्दका अर्थ कहाँमें ज़रूरते घमयनेवाला एक वार है। न कि केवल घमयना।

इसीलिये क्षणिकताके लिये भी विद्युत् की उपमा दीगयी है । इसी तरह “चपलाकी चमक” आदिमें भी सकलादेश समझना चाहिये । क्योंकि चपला शब्दसे चपल ही नहीं; चमकदारेका भी बोध किया गया है ।

जब शब्दोंके द्वारा धर्मका ही बोध किया जाय अर्थात् धर्मोकी विवक्षा (कहनेकी इच्छा) न हो तो विकलादेश कहलाता है । जैसे—विद्युत् शब्दसे चमकनेका ही बोध किया जाय, चपला शब्दसे चपलताका ही बोध किया जाय आदि । ‘यह लड़कीं तो सचमुच चपला है’ इस वाक्यमे चपला शब्द विकलादेश है । क्योंकि चपला शब्दका चपलता धर्मसे ही मतलब है ।

इसीप्रकार जीव शब्दसे जानना देखना आदि अनेक धर्मोवाली वस्तुका बोध किया जाय तो सकलादेश, और सिर्फ़ ‘जीवन’ धर्मसे ही मतलब हो तो विकलादेश है । इसतरह अन्य शब्दोका अर्थ भी समझना चाहिये । कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक धर्मरूप अर्थ हमे मालूम नहीं होता इसलिये उसका प्रयोग हम सकलादेश रूपमे करते रहते हैं किन्तु ऐसे शब्दोका विकलादेश अर्थ हमें इसलिये नहीं मालूम होता कि वे आज हमारे साम्हने अपने मूलरूपमे नहीं हैं । यह हमारे अज्ञानका फल है । वास्तवमें उनका भी विकलादेश वाक्य बनसकता है । अथवा शब्दका सम्बन्ध एक धर्मसे हो या न हो, जहां पर शब्दके द्वारा एक धर्म पकड़ते हैं । वहां विकलादेश है और जहां पूरी वस्तुको पकड़ते हैं वहां सकलादेश है । इसीलिये सप्तभंगीके दो भेद किये गये हैं । सकलादेशसप्तभंगी अर्थात् प्रमाणसप्तभंगी और विकलादेशसप्तभंगी अर्थात् नयसप्तभंगी ।

‘ प्रमाणवाक्यसे वस्तु अनेकान्तात्मक कही जाती है और नय-वाक्यसे एकान्तात्मक (एकधर्मात्मक) कही जाती है । इसलिये ‘ वस्तुको अनेकान्तात्मक ही मानना भी तो एकान्त कहलाया ’ इस बातका उत्तर इस वक्तव्यसे हो जाता है । क्योंकि वस्तु, प्रमाण-दृष्टिसे अनेकान्तात्मक और नयदृष्टिसे एकान्तात्मक है । सर्वथा अनेकान्तात्मक और सर्वथा एकान्तात्मक नहीं है । इसलिये ‘ प्रत्येक वाक्यके साथ ‘ कथचित् ’ ‘ स्पात् ’ ‘ किसी अपेक्षासे ’ आदि शब्दोंका प्रयोग होता है । कथचित् आदि शब्दोंका उच्चारण मले ही न किया जाय किन्तु अभिप्रायमें ये शब्द रहना ही चाहिये । इसलिये ‘ अस्ति ’ ‘ नास्ति ’ आदि सातों भग ‘ कथचित् अस्ति ’ ‘ कथचित् नास्ति ’ आदि समझना चाहिये ।

पिना अनेकान्तके माने सासारिक व्यवहार भी ठीक ठीक नहीं चलसकता । जैसे हम किसी व्यक्तिको ‘ पिता ’ कहते हैं लेकिन वह हमारी अपेक्षा पिता है दूसरे लोगोंकी अपेक्षा वह पुनर भ्राता आदि भी हो सकता है । इसलिये हम उसे ‘ कथचित् पिता ’ कह सकते हैं न कि सर्वथा पिता । एक आदमीका सज्जका पिता होना असम्भव है । इसीतरह जब हम किसी आमको छोटा कहते हैं, तब हम आमके उस परिमाण की अपेक्षा कहते हैं जो कि हमने मान रखा है अन्यथा देरकी अपेक्षा तो हमें छोटे आमको भी बड़ा कहना पढ़ेगा । मतलब यह है कि विना अपेक्षा लगाये हम अपना व्यवहार भी ठीक नहीं रख सकते ।

‘ प्राय सभी दार्शनिकोंने इस अनेकान्तका सहारा लेकर अपने मतका प्रतिपादन किया है । जैसे सांख्य दर्शनमें प्रकृति एक मानी

गई है इसलिये मूलमें प्रकृति और पुरुष दो तत्वें रहते हैं । किन्तु भेद अपेक्षासे पच्चीस तत्व हैं । प्रकृतिसे तेर्स तत्व और प्रगट होते हैं । अथवा सत्त्व, रज, तम, ये तीन भिन्न गुण हैं जिनका समुदायात्मक प्रधान (प्रकृति) एक है । अगर अपेक्षा भेद न माने तो एक कहकर तीन, या दो कहकर पच्चीस नहीं कह सकते ।

वैशेषिक लोग सत्ताकी अपेक्षा पृथिवीत्वको 'अपर' सामान्य, और घटस्व आदिकी अपेक्षा परसामान्य मानते हैं । अगर अनेकान्त न माने तो एक ही सामान्यको पर और अपर कैसे मान सकते हैं ? इसीतरह अन्य दार्शनिकोंने भी अनेकान्तरूप वस्तुका विवेचन किया है ।

जो लोग कहते हैं कि इस सरल वातको सप्तभागी न्यायसे जटिल क्यों बनाया जाता है । इसका सरल उत्तर यह है कि हल्कीसे हल्की वातपर भी जब विद्वान् लोग गहरा विचार करते हैं तो वह जटिल हो जाती है । गाने वजानेका शौक सभीको होता है, हर एक आदमी इसका प्रयोग अपनी शक्तिके अनुसार करता है । लेकिन जब ताल स्वर और रागरागिनियोंके भेद प्रभेदोपर विचार किया गया तो एक जटिल शास्त्र बनगया । इसलिये इसीके अनेकान्तमें ही नहीं, सभी शास्त्रोंमें ऐसी जटिलता पैदा हुई है । इस जटिलतापूर्ण विवेचनके बिना किसी वातका रहस्य नहीं, मालूम हो सकता । और न विद्वानोंको परितोष होसकता है ।

१ महान्, अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, अप्र, तेज, वायु, आकाश ।

